रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D. (D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 12, 1977/माघ 23, 1898
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 12, 1977/MAGHA 23, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1977

सा०का०नि० 186.—लोक सभा सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1955 के नियम 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अध्यक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. नाम और प्रवर्तन.—(1) ये नियम "लोक सभा सचिवालय की अनुग्रह निधि का विनियमन करने वाले नियम" कहलायेंगे ।

(2) ये नियम 3 जनवरी, 1977 से लागू होंगे ।

2. स्थापना.—लोक सभा सचिवालय की अनुग्रह निधि वार्षिक अनुदान द्वारा स्थापित तथा पोषित की जायेगी जिसके लिये प्रति वर्ष बजट में व्यवस्था की जायेगी । इस निधि का प्रबन्ध एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी (ए), एडीशनल सेक्रेटरी (बी) तथा डायरेक्टर आफ लाइब्रेरी, रेफेंस, रिसर्च डाक्युमेंटेशन एंड इंफारमेशन सर्विस होंगे तथा इसके लिये महा सचिव की पूर्व अनुमति और स्वीकृति लेनी होगी । सीनियर पर्सोनल एंड एग्जीक्यूटिव आफिसर (एस्टेबलिशमेंट)/वरिष्ठ आफिसर समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

3. पात्रता.—इस निधि का उद्देश्य लोक सभा सचिवालय के सेवा के दौरान मरने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवारों को सहायता देना है ।

4. आवेदन-पत्र.—ऐसे किसी आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा जो अधिकारी की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं दिया जायेगा, जब तक कि विलंब के लिये पर्याप्त स्पष्टीकरण न दिया गया हो । यह अपेक्षा की जाती है कि अधिकारी की मृत्यु के बाद ऐसा आवेदन-पत्र शीघ्र दिया जाना चाहिये ।

5. सहायता अनुदान की राशि मंजूर किये जाने संबंधी शर्तें.—(एक) निधि से सहायता अनुदान की राशि केवल उन्हीं मामलों में दी जायेगी, जहां परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय होगी ।

(दो) दिवंगत अधिकारी का सरकारी कर्मचारी के रूप में सेवा रिकार्ड उल्लेखनीय होना चाहिये । जिसकी सेवा जितनी अधिक उल्लेखनीय होगी उसका दावा उतना ही अधिक पुष्ट होना चाहिये ।

(तीन) कर्तव्य-परायणता की विशेष भावना से हुये निधन का मामला ऐसे दावे का पुष्ट आधार माना जायेगा ।

(चार) साधारणतः ऐसे अधिकारियों के मामलों में प्राथमिकता दी जायेगी जिन्होंने अधिक वर्षों तक सेवा की होगी ।

(पांच) अन्य बातों के समान होने पर, उन अधिकारियों के मामलों में प्राथमिकता दी जायेगी, जिनका वेतनमान अपेक्षाकृत कम होगा ।

(छः) सामान्यतः सहायता अनुदान की यह राशि सेवा-निवृत्त अधिकारी के परिवार को नहीं दी जायेगी; परन्तु ऐसे अधिकारी के मामले में विचार किया जा सकेगा, जिसका निधन सेवा-निवृत्त के बाद छः महीने की अवधि में हो जायेगा या अधिकारी पूर्ण रूप से/स्थायी रूप से विकलांग हो जायेगा।

6. सहायता अनुदान की राशि.—(एक) निधि से कोई परिवार पेंशन नहीं दी जायेगी ।

(दो) विशेष मामलों में विशिष्ट आवश्यकताओं, जैसे नाबालिग बच्चों की शिक्षा पर खर्च, के लिये सहायता के रूप में सीमित अवधि के लिये उपयुक्त आवर्ती अनुदान किये ये आवर्ती अनुदान ऐसी शर्त (शर्तों) के अधीन होंगे जो राशि आदि की सतत आवश्यकता, उपयोग, आदि के बारे में समिति अपनी संतुष्टि के लिये लगाये ।

(तीन) अत्यधिक असाधारण मामलों को छोड़कर, 1000 रुपये से अधिक राशि का एक मुश्त अनुदान नहीं दिया जायेगा । किसी भी एक मामले में देय कुल अनुदान (एक मुश्त तथा आवर्ती) सामान्यता 10,000 रुपये अथवा एक वर्ष के वेतन से, जो भी कम है, अधिक नहीं होगा प्रत्येक मामले में अनुदान की ठीक राशि समिति द्वारा निर्धारित की गई मामले की आवश्कताओं के अनुसार निश्चित की जायेगी ।

7: सहायता अनुदान मंजूर करने की प्रक्रिया:—सहायता अनुदान की मंजूरी के लिये आवेदनपत्र अनुबंधक में दिए गये प्रपत्र पर दिया जायेगा। सेवा का प्रमुख अधिकारी आवेदन-पत्र की बहुत ही ध्यानपूर्वक जांच करेगा और केवल उन्ही मामलों को विचारार्थ आगे भेजा जायेगा जहां सेवा का प्रमुख अधिकारी सहायता की वास्तविक आवश्यकता के बारे में संतुष्ट हो। यदि किसी ऐसे सहायता अनुदान की सिफारिश की जाती है, जो अधिक प्रतीत हो और जिसके समर्थन में कोई विशेष कारण नहीं दिये गये हों, तो निधि का सचिव संबंधित सेवा के प्रमुख अधिकारी और स्पष्टीकरण मांग सकता है । सहायता-राशि का प्रत्येक प्रस्ताव, समिति की सिफारिश के साथ महा-सचिव को उनकी स्वीकृति और मंजूरी के लिये प्रस्तुत किया जायेगा । महासचिव द्वारा सहायता-राशि मंजूर कर देने के पश्चात् सीनियर पर्सोनल एंड एग्जीक्यूटिव अधिकारी (एस्टेबलिशमेंट)/कल्याण अधिकारी द्वारा मंजूरी की सूचना वेतन तथा लेखा अधिकारी तथा आवेदक को तथा सेवा के अध्यक्ष को दी जायेगी ।

8. लेखा-जोखा.—निधि का कच्चा लेखा-जोखा वेतन तथा लेखा अधिकारी द्वारा रखा जायेगा मंजूरी की प्रतियों के अतिरिक्त, जो उन्हें भेजी जायेंगी । मंजूर की गई सहायता राशि की सूचियां भी सीनियर पर्सोनल एंड एग्जीक्यूटिव अधिकारी (एस्टेबलिशमेंट) द्वारा उन्हें भेजी जायेंगी । इस पर होने वाले व्यय की पूर्ति लोक सभा सचिवालय के बजट अनुदान मे से की जायेगी और वह "266—पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्त लाभ उपदान" शीर्षक के अन्तर्गत डाला जायेगा ।

9. सामान्य.—निधि संबंधी सभी मामलों अथवा उसमें से अदायगी के बारे में महा-सचिव का निर्णय अंतिम होगा ।

10. निधि से सहायता राशि की अदायगी केवल मात्र अनुग्रह-पूर्वक आधार पर की जायेगी ।

[सं० 33/10/76/ए० एन०-1/जी०एन०-742/77]

श्यामलाल शकधर, महा सचिव

अनुबन्ध

लोक सभा सचिवालय की अनुग्रह-निधि से सहायता अनुदान के लिये आवेदन-पत्र

भाग—एक

(आवेदक द्वारा भरे जाने के लिये)

1. (क) मृतक का नाम :
   (ख) परिवार के सदस्यों का ब्यौरा तथा उनकी आयु और व्यवसाय (यदि सदस्य रोजगार-प्राप्त हों तो उनकी आय भी बतानी चाहिये)

(यदि बच्चे शिक्षा पा रहे हों तो शिक्षा-संस्था का नाम तथा कक्षाओं का उल्लेख जिनमें वे पढ़ रहे हों)

क्रम संख्या	नाम	संबंध	आयु	शिक्षा-संस्था का नाम	कक्षा	अन्य विवरण
1.						
2.						
3.						
4.						

(ग) क्या मृतक की विधवा/पुत्री/पुत्र को अनुग्रह-आधार पर नौकरी दी गई थी और क्या वह अभी भी उस नौकरी पर नियुक्त है । (नौकरी का ब्यौरा उपरोक्त 'अन्य विवरण' कालम में दिया जाना चाहिये)

2. आस्तियां :

(क) जीवन-बीमा की सही-सही राशि :

(ख) नकद रुपया तथा बैंक में जमा राशि :
(राशियों का ठीक-ठीक विवरण लिखें)

(ग) अन्य आस्तियों का कुल मूल्य :
(चल तथा अचल संपत्ति)
(यदि अचल संपत्ति हो तो निम्न ब्यौरा दिया जाना चाहिये)

संपत्ति का स्वरूप	क्षेत्रफल	स्थान	मूल्य

नोट : यदि कोई आय न होती हो तो शब्द "नैव" लिखना चाहिये । अन्यथा आय का ब्यौरा अंकों में दिया जाये ।

3. (क) आवेदक का नाम व पता :
(ख) मृतक अधिकारी के साथ संबंध :
4. लोकसभा सचिवालय की अनुग्रह-निधि से सहायता अनुदान लेने के कारण :
5. यदि आवेदन-पत्र मृतक अधिकारी की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष बाद दिया जाये तो विलम्ब होने के कारणों का उल्लेख करें और यह भी लिखें कि इस अवधि में मृतक की विधवा और बच्चों का पालन-पोषण कैसे होता रहा ।
6. उस कोषागार का नाम जहां से अदायगी अपेक्षित हो ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त जानकारी सही है ।

(आवेदक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान)

स्थान :
दिनांक :

(आवेदक को दो अलग अलग कागजों पर विवरण देना चाहिये)

आवेदक को अनुग्रह निधि में से सहायता अनुदान दिये जाने के लिये विवरण—

(क) ऊंचाई
(ख) आयु
(ग) वर्ण
(घ) पहिचान के लिये शरीर पर चिन्ह यदि कोई हो
(ङ) हस्ताक्षर अथवा अंगूठा तथा अंगुली के निशान

कनिष्ठा	अनामिका	मध्यमा	तर्जनी	अंगूठा

(कस्बा, ग्राम अथवा परगना के जहां आवेदक का निवास है, दो अथवा दो से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा सत्यापित)

हस्ताक्षर
सत्यापनकर्ता का नाम, व्यवसाय और पता } 1. 2.

(सीनियर पर्सोनल एंड एग्जीक्यूटिव आफिसर (ई) और पे एण्ड एकाउन्ट्स आफिसर द्वारा भरा जाने के लिये)

1. (क) मृतक अधिकारी के सेवा में आने की तिथि
(ख) मृतक अधिकारी किस पद पर था
(ग) मृत्यु के समय उसका वेतन तथा भत्ता (यदि मृत्यु 1 जनवरी, 1973 को अथवा उसके बाद हुई है तो केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1973 के अन्तर्गत स्वीकृत वेतन तथा भत्ते होने चाहिये)

वेतन	राशि
वेतन	
विशेष वेतन (यदि कोई है तो)	
मंहगाई भत्ता	
नगर प्रतिपूर्ति भत्ता	
ब्यौरा सहित अन्य कोई भत्ता	
कुल :	

(ख) जन्म तिथि

(ग) मृत्यु तिथि

2. (क) स्थायी/अर्द्ध स्थायी/अस्थायी रूप में की गई सेवा की कुल अवधि वर्ष मास दिन

(ख) पेंशन योग्य अथवा गैर पेंशन योग्य

(ग) क्या परिवार कोई सेवा निवृत्ति लाभ पाने का हकदार है। यदि हां, तो निम्न विवरण दिया जाना चाहिये।

I. परिवार पेंशन—

(i) बढ़ी हुई दर पर : वह तिथि जिससे राशि दी जानी है :

(ii) सामान्य दर पर : वह तिथि जिससे राशि दी जानी है :

II. मृत्यु के समय भविष्य निधि में जमा राशि—

(क) सामान्य भविष्य निधि :

(ख) अंशदायी भविष्य निधि :

(1) अंशदान

(2) सरकारी अंशदान

(3) अनुपूरक अंशदान, यदि कोई हो

कुल :

(ग) खाता सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्य राशि :

3. मृतक के चरित्र—विवरण के आधार पर सेवा के प्रमुख को उसके कार्य के बारे में टिप्पणियां :

4. क्या मृत्यु कर्तव्य-परायणता अथवा असाधारण कर्तव्य परायणता के फलस्वरूप हुई अथवा उसके कारण जल्दी हुई :

5. अनुदान की राशि के बारे में सेवा के प्रमुख की सिफारिश

6. अतिरिक्त टिप्पणियां, यदि कोई हो :

सीनियर पर्सोनल एण्ड एग्जीक्यूटिव अधिकारी (ई)
तथा पे एण्ड अकाउन्टस आफिसर के हस्ताक्षर

स्थान :

तिथि :

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 3rd January, 1977

G.S.R. 186.—In exercise of the powers conferred by Rule 23 of the Lok Sabha Secretariat (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 1955, the Speaker hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title & commencement.—(1) These rules shall be called the "Rules regulating the Compassionate Fund of the Lok Sabha Secretariat".

(2) These Rules will come in force with effect from 3rd January, 1977.

2. Constitution.—The Compassionate Fund of the Lok Sabha Secretariat shall be constituted and fed by means of an annual grant for which Budget provision will be made annually. The Fund shall be administered by a Committee consisting of Additional Secretary (A), Additional Secretary (B) and Director of the Library, Reference, Research, Documentation & Information Service, with the prior approval and sanction of the Secretary-General. Senior Personnel and Executive Officer (Establishment) /Welfare Officer will act as the Secretary of the Committee.

3. Eligibility.—The Fund is intended for the relief of the families of the officers and members of staff of the Lok Sabha Secretariat, who die while in service.

4. Applications.—No application will be considered which is not submitted within one year of the death of the officer, unless the delay in submission is sufficiently explained. It is most desirable that application should be submitted as promptly as possible after the death of the officer.

5. Conditions for the grant of an award.—(i) Grants from the Fund shall be restricted to cases of an exceptionally deserving character where the family is left in indigent circumstances.

(ii) The deceased officer must have been a meritorious public servant. Unusual meritorious service gives special claim for consideration.

(iii) Death due to or accelerated by special devotion to duty establishes a claim for consideration.

(iv) In ordinary cases, preference shall be given to officers who have put in long years of service.

(v) Other things being equal, preference shall be given to those who had been in the lower pay ranges.

(vi) Awards shall not ordinarily be made from the Fund to the family of a retired officer; but a case in which death of an officer occurs within six months of retirement or where the officer has been totally/permanently disabled, can be considered.

6. Amount of the grant.—(i) No Family Pension will be granted from the Fund.

(ii) In exceptional cases, suitable recurring grants shall be sanctioned for a limited period as assistance towards special needs such as expenditure on the education of minor children. These recurring grants shall be subject to such condition(s) as the Committee may impose to satisfy itself regarding the continuance of the need, utilisation of the amount etc.

(iii) Lump sum grants in excess of Rs. 1,000 shall not be made save in very exceptional circumstances. The total benefit payable in any individual case (lump sum and recurring)

shall not normally exceed Rs. 10,000 or a year's pay, whichever is less. The precise amount shall be fixed according to the needs of each case, as assessed by the Committee.

7. Procedure for sanction.—Application for the grant of an award shall be made on the form given in the Annexure. The application shall be scrutinised most carefully by the Head of the Service and only cases where the genuine need for assistance is established to the satisfaction of the Head of the Service shall be forwarded for consideration. When an award is recommended, which appears to be excessive and no special reasons are given in support, the Secretary of the Fund may ask the Head of the Service concerned for further clarification. Each, award, with the Committee's recommendation shall be submitted to Secretary-General for his approval and sanction. After the Secretary-General has sanctioned an award, the sanction shall be communicated to the Pay & Accounts Officer as also to the applicant and the Head of the Service by the Senior Personnel & Executive Officer (Establishment)/Welfare Officer.

8. Accounting.—The proforma account of the Fund shall be maintained by the Pay and Accounts Officer. Besides copies of sanctions which will be communicated to him, the lists of the awards sanctioned shall also be furnished to him by Senior Personnel & Executive Officer (Establishment). The expenditure involved will be met from the Budget grant of the Lok Sabha Secretariat and debitable to "226 Pension and other Retirement Benefit Gratuities."

9. General.—The decision of the Secretary-General on all matters relating to the Fund or payment therefrom shall be final.

10. All awards from the Fund shall be purely ex-gratia.

[No. 33/10/76/AN-I/GN-742/77]

S. L. SHAKDHER, Secretary-General

ANNEXURE

Application for the grant of an award from the Compassionate Fund of the Lok Sabha Secretariat

PART I

(To be completed by the applicant)

1 (a) Name of the deceased :

(b) Particulars of family members with their age and occupation (In the case of persons gainfully employed, income should also be stated).

(In the case of children receiving education, name of the institution and the classes in which they are studying.)

S. No.	Name	Relationship	Age	Name of the Institution	Class	Remarks
1						
2.						
3						
4						

(c) Whether the widow/daughter/son was given an employment on compassionate grounds and whether she/he is still continuing in that employment. (The details of the employment should be shown in the remarks column above).

2. Assets :

(a) Exact amount of Life Insurance :

(b) Cash and Bank Balance (mention exact amounts)

(c) Total value of other assets (movable and immovable property)

(In case of immovable property details should be indicated)

Nature	Area	Location	Value

Note :—In case there is no income, the word 'Nil' should be written. In other cases, the income should be mentioned in figures.

3. (a) Name and address of the applicant

(b) Relationship to the deceased officer

4. Reasons for assistance from the Compassionate Fund of the Lok Sabha Secretariat.

5. If an application is being made after the expiry of one year from the date of death of the deceased officer, mention reasons for delay and also indicate how the widow and children have been subsisting during the period.

6. Name of the Treasury in which payment is desired.

I certify that the information given above is correct.

Place :
Date :

(Signature or thumb impression of the applicant)

(To be completed by the applicant in duplicate on separate sheets)

Descriptive Roll of the applicant for an award from the Compassionate Fund:

(a) Height

(b) Age

Colour

(d) Personal marks of identification, if any

(e) Signature or thumb and finger impressions

Small finger Ring finger Middle finger

Index finger Thumb

(Attested by two or more persons of respectability in the town, village or pargana where the applicant resides).

Signature } 1.
Name, occupation and address of attestors } 2.

(To be completed by Senior Personnel & Executive Officer (E) and Pay & Accounts Officer).

1. (a) Date of entry of the deceased officer into Service.

(b) Last appointment held by the deceased officer.

(c) Pay & Allowances at the time of death.
(If death took place on or after 1-1-73, the pay and allowances should be those admissible under the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1973.

Pay	Amount
Pay	
Spl. pay, (if any)	
Dearness Allowance	
Compensatory (City) Allowance	
Any other allowances with details	
Total	

(d) Date of birth :

(e) Date of death :

2. (a) Total service rendered permanent/quasi-permanent/temporary. Years Months Days

(b) Pensionable or non-pensionable :

(c) Whether family is eligible for any retirement benefits. If so, the following details should be given.

I. Family Pension

(i) At the enhanced rate : Amount with effect from :

(ii) At the normal rate : Amount with effect from :

II. Provident Fund balance at the time of death :

(a) General Provident Fund:

(b) Contributory Provident Fund :

(1) Subscriptions :

(2) Govt. contributions :

(3) Spl. contributions, if any :

Total

(c) Amount admissible under Deposit Linked Insurance Scheme :

3. Remarks of the Head of Service on the work of the deceased officer as based on the character roll :

4. Was death due to or accelerated by devotion/extraordinary devotion to duty :

5. Recommendation of the Head of Service regarding the amount of grant :

6. Additional remarks, if any :

Place: Date: Signatures of Senior Personnel & Executive Officer (E) and Pay & Accounts Officer

---

विधि-न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1977

सा०का०नि० 187.—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 624क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, श्री कामख्या चरण बसु, सरकारी अधिवक्ता, हुगली, को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, हुगली, पश्चिमी बंगाल, के न्यायालय के समक्ष, ऊपर कथित अधिनियम से उत्पन्न मामलों की पैरवी करने के लिये, कम्पनी अभियोजक के पद पर नियुक्त करती है।

[सं० 9/3/76—सी०एल०—4]

जी० सी० खुल्लर, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 20th January, 1977

G.S.R. 187.—In exercise of the powers conferred by Section 624A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri Kamakhya Charan Basu, Government Pleader, Hoogly, as Company Prosecutor for conducting the cases arising out of the aforesaid Act before the Court of First Class Magistrate, Hooghly, West Bengal.

[No. 9/3/76-CL.IV]

G. C. KHULLAR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय (रक्षा)

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1977

सा०का०नि० 188:—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय (रक्षा) (वर्ग-4 पद) भर्ती नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम वित्त मंत्रालय (रक्षा) (वर्ग 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1977 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वित्त मंत्रालय (रक्षा) (वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1969 की अनुसूची में 'चपरासी' पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने—

(क) स्तम्भ 10 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

(2) 25 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा" ।

(ख) स्तम्भ 11 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"स्थानान्तरण :

ऐसे झाड़का, फर्राश और चौकीदार जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो और जो प्रारम्भिक रूप से साक्षर हो, जिसका विनिश्चय सामान्य लिखित विभागीय परीक्षा द्वारा किया जाएगा और जो हिन्दी पढ़ सकने की योग्यता का प्रमाण दें ।"

[फा० सं० 23/1/68—स्थापना II]

जे० आर० निम, सहायक वित्तीय सलाहकार (स्था)

MINISTRY OF FINANCE (DEFENCE)

New Delhi, the 22nd January, 1977

G.S.R. 188.—In exercise of the powers conferrde by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Finance (Defence) (Class IV Posts) Recruitment Rules, 1969, namely :—

(1) These rules may be called the Ministry of Finance (Defence) (Class IV Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule annexed to the Ministry of Finance (Defence) (Class IV Posts) Recruitment Rules, 1969, against serial No. 4 relating to the post of "Peon".—

(a) in column 10, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"(i) 75 per cent by direct recruitment.

(ii) 25 per cent by transfer";

(b) in column 11, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Transfer :

Sweepers, Farashes, Chowkidars, etc., who have rendered at least 5 years' service and who possess elementary literacy which shall be judged by a simple written departmental test and give proof of ability to read Hindi".

[F. No. 23/1/68-Estt. II]

J. R. NIM, Asstt. Financial Adviser (Estt.)

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1977

सा०का०नि० 189:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद् द्वारा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में बाह्य यंत्र विकास केन्द्र के निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड (निदेशक, बाह्य यंत्र विकास केन्द्र) भर्ती नियम, 1976 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो संलग्न अनुसूची में स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयुसीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ 5—13 तक में विनिर्दिष्ट हैं । परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य वर्गों के उम्मीदवारों के मामले में सीधी भर्ती के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ 6 में विनिर्दिष्ट आयु सीमा में छूट दी जा सकेगी ।

4. अनर्हताएं :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, उन्हें लिखित कारणों के आधार पर, किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबंध से आदेश द्वारा छूट दे सकती है ।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आवश्यक आरक्षण तथा अन्य रियायतों पर कुप्रभाव नहीं डालेगी ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
निदेशक वाद्य यंत्र विकास केन्द्र	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग क राजपत्रित	1100–50–1600 रु०	लागू नहीं होता (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय)	45 वर्ष नोट :—आयुसीमा तय करने की निर्णायक तिथि भारत (अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों तथा लक्षद्वीप को छोड़कर) से प्रत्याशियों से प्राप्त आवेदन पत्र पहुंचने के लिए रखी गई अन्तिम तारीख होगी।	आवश्यक : (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था का भारतीय संगीत में डिग्री या डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता। (ii) उच्च परिशुद्धता वाले वाद्य यंत्रों के उत्पाद, विकास अथवा गवेषणा में पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। (iii) भारतीय संगीत कला में मौलिक कार्य। (अन्यथा सुयोग्य प्रत्याशियों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के स्व-विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकेगी, विशेषतः अनुभव से संबंधित अर्हताओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित पदों के मामले में, छूट दी जा सकेगी।) वांछनीय : (i) वाद्य यंत्रों को सिखाने या उन के उत्पादन का अनुभव। (ii) उत्तरदायित्व पूर्ण पद पर प्रशासनिक अनुभव। (iii) वाद्य यंत्रों के उत्पादन के संबंध में गायन तथा वादन में प्रशिक्षण देने का अनुभव। (iv) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता।

क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की विधि सीधे भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिन में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लोक सेवा संघ आयोग के परामर्श से चुनाव किया जाएगा।

[फा० सं० ए०–12018/5/76–एच० सी०]

कैलाश चन्द्र, उप निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 4th January 1977

G.S.R. 189.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director, Development Centre for the Musical Instruments in the All India Handicrafts Board, namely :—

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the All India Handicrafts Board (Director, Development Centre for the Musical Instruments) Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of post, Classification and scale of pay:—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid :

Provided that the upper age limit specified in column 6 of the said Schedule for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.

4. Disqualification :—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class of category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Director Development Centre for the Musical Instruments.	One	General Central Service Group A Gazetted.	Rs. 1100-50-1600.	Not Applicable	45 years (Relaxable for Government servants) Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates from India other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakhsadweep.	Essential : (i) Degree or Diploma in Indian Music of a recognised University/Institution or equivalent. (ii) Five years' practical experience in production, development or research of musical instruments of high precision. (iii) Original work in the art of Indian Music. (Qulifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified; in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes from posts reserved for them. Desirable : (i) Experience of teaching or production of musical instruments.

1	2	3	4	5	6	7
						(ii) Administrative experience in a responsible capacity. (iii) Experience of imparting training in vocal and instrumental music in connection with production of musical instruments. (iv) Degree of a recognised University or equivalent.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Selection shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

[F. No. A-12018/5/76-HC]
KAILASH CHANDRA, Dy. Director

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1977

सा०का०नि० 190.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तकनीकी विकास महानिदेशालय उद्योग मंत्रालय में कनिष्ठ अन्वेषक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तकनीकी विकास महानिदेशालय (कनिष्ठ अन्वेषक) भर्ती नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान —पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 12 तक में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो ;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन तुल्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी

6 व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ अन्वेषक	2	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ग (अराजपत्रित) (अलिपिकवर्गीय)	425–15–500–द० रो०–15–560–20–700 रु०	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष परन्तु विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य विशेष व्यक्ति प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में शिथिल की जा सकेगी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि, जिसमें अर्थशास्त्र, सांख्यिकी वाणिज्य या गणित एक विषय के रूप में रहा हो।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा/की जाएगी	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण : केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ऐसे सदस्य, जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वाणिज्य या गणित के एक विषय सहित, उपाधि हो और जिनकी उच्च श्रेणी लिपिक/आशुलिपिक श्रेणी III के रूप में 5 वर्ष की निरंतर सेवा हो या निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में 8 वर्ष की निरन्तर सेवा हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) प्रोन्नति : अभिकलक-एवं-टंकक जिसका, यदि वह सांख्यिकी, गणित, वाणिज्य या अर्थशास्त्र के एक विषय सहित स्नातक हो तो, उस श्रेणी में तीन वर्ष का अनुभव और यदि अस्नातक हो तो पांच वर्ष का अनुभव हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति समूह ग (i) अध्यक्ष (प्रबन्ध लेखा-परीक्षा समूह) (ii) निदेशक (प्रशासन) —सदस्य (iii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक विकास अधिकारी —सदस्य (iv) औद्योगिक विकास विभाग में तकनीकी विकास महानिदेशालय का प्रशासन प्रभारी अवर सचिव—सदस्य (v) उप निदेशक (प्रशासन)—सदस्य	लागू नहीं होता

[फा० सं० ए-12018/13/75-ई० IV]
श्रीमती सुशीला भनोत, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 20th January, 1977

G.S.R. 190.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Investigator in the Directorate General of Technical Development, Ministry of Industry, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate General of Technical Development (Junior Investigator) Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limits, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 12 of the Scheduled aforesaid.

4. Disqualifications.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ;

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect such reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Junior Investigator	2	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) (Non-Ministerial)	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700	Not applicable	18 to 25 years The upper age limit prescribed may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.	Degree of a recognised University with Economics, Statistics, Commerce or Mathematics as one of the subjects.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	50% by deputation/transfer failing which by direct recruitment. 50% by promotion failing which by direct recruitment.	Deputation/Transfer : Members of the Central Secretariat Clerical Service and Central Secretariat Stenographers Service possessing degree of a recognised university with Economics, Statistics, Commerce or Mathematics, as one of the subjects and having five years regular service as Upper Division Clerk/Stenographer Grade III or eight years regular service as Lower Division Clerk. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years). Promotion : Computer-cum-typist with three years experience in the grade if graduate with Statistics, Mathematics, Commerce or Economics as one of the subject or five years experience, if non-graduate.	Departmental Promotion Committee, Group 'C' : (i) Chairman (Management Audit Group)—Chairman (ii) Director (Administration)—Member (iii) A Development Officer belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes—Member. (iv) Under Secretary in charge of administration of the Directorate General of Technical Development in the Department of Industrial Development—Member. (v) Deputy Director (Administration) —Member.	Not applicable

[F. No. A—12018/13/75-E. IV]
SMT. S. BHANOT, Under Secy.

कृषि व सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1976

सा० का० नि० 191.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेखा अधिकारी (उर्वरक), कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) भर्ती नियम, 1963 को अधिक्रान्त करते हुए कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) में उप-निदेशक लेखा, उर्वरक और लेखा अधिकारी (बजट) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि विभाग, उपनिदेशक लेखा उर्वरक और लेखा अधिकारी (बजट) भर्ती नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर, निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

7. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय बढ़ाए गए वर्षों का लाभ इस पद पर लागू होगा	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1. उप निदेशक लेखा (उर्वरक)	3	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क'	1100-50-1600 रुपए	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2. लेखा अधिकारी (बजट)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क'	1100-50-1600 रुपए	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : ऐसे लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी जिन्होंने किसी भी संगठित लेखा विभाग अर्थात भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, भारतीय रेलवे लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग और भारतीय डाक-तार लेखा और वित्त विभाग में उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित।
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा		लागू नहीं होता	

[सं० ए० 12018/5/72-स्था० I]

रूप राम, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 29th December, 1976

G.S.R. 191.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Accounts Officer (Fertiliser), Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture) Recruitment Rules, 1963 the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director of Accounts (Fertiliser) and Accounts Officer (Budged) in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture), namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Department of Agriculture [Deputy Director of Accounts (Fertiliser) and Accounts Officer (Budget)] Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Application :— These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed in these rules.

3. Number of the posts, their classification and scale of pay :— The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualifications :— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Saving :—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Power to relax :— Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classifications	Scale of pay	Whether the benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules is applicable to the post in question	Whether Selection or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Deputy Director of Accounts (Fertiliser)	3	General Central Service, Group 'A'	Rs. 1100-50-1600	No	Not applicable	Not applicable	Not applicable
2. Accounts Officer (Budget)	1	General Central Service, Group 'A'	Rs. 1100-50-1600	No	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D. P. C. exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation : Accounts/Audit Officers with 5 years' regular service in the grade from any of the organised Accounts Departments, viz. Indian Audit and Accounts Department, Indian Railway Accounts Department, Indian Defence Accounts Department and Indian Posts Telegraphs Accounts and Finance Department.	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Note : The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years.	Not applicable	

[No. A. 12018/5/72—Estt. I]
RUP RAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1977

सा० का० नि० 192.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस पद से सम्बन्धित विद्यमान नियमों को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में जमादार के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (जमादार) भर्ती नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं:

परन्तु विहित अधिकतम आयु सीमा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकेगी।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
जमादार	3	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' (अराजपत्रित)	200-3-206-4-234-द०रो०-4-250 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के ऐसे चपरासी/बरकन्दाज जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की हो ।	विभागीय प्रोन्नति समिति समूह 'ध' जिसमें निम्नलिखित होंगे-- 1. अधीक्षण इंजीनियर (मुख्यालय) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड --अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ जल-भू-विज्ञानी (प्रशासन प्रभारी) (मुख्यालय) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड --सदस्य 3. कार्यपालक इंजीनियर (मुख्यालय) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड --सदस्य 4. प्रशासन अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल-बोर्ड --सदस्य सचिव	लागू नहीं होता

[सं० 23-15/76-एम०आई० (क)]
एस० दयाल, उप सचिव

New Delhi, the 18th January, 1977

G.S.R. 192.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the existing rules relating to the post, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Jamadar in the Central Ground Water Board, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Jamadar) Recruitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc. :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in columns 5 to 13 of the said schedule :

Provided that the upper age limit prescribed may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

4. Disqualifications :—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings :—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Jamadar	3	General Central Service, Group 'D' (Non-Gazetted)	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250	Non-selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications etc. prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation	Method of recruitment	In case of recruitment by promotion/transfer grades from which promotion/transfer to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	100% by promotion.	Promotion : Persons/Barkandaz with 3 years' service in the grade in the Central Ground Water Board.	Departmental Promotion Committee Group Group 'D' consisting of— 1. Superintending Engineer (Headquarters), Central Ground Water Board—Chairman 2. Senior Hydrogeologist (Incharge Administration) (Headquarters), Central Ground Water Board —Member 3. Executive Engineer (Headquarters), Central Ground Water Board —Member 4. Administrative Officer, Central Ground Water Board—Member Secretary.	Not applicable

[No. 23-15/76—MI(A)]

S. DAYAL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1977

सा० का० नि० 193.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय में उप-निदेशक (कीट-विज्ञान) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय (उप निदेशक, कीट विज्ञान) भर्ती नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखाबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
उप-निदेशक (कीट विज्ञान)	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित	1300-50-1700-रु०	लागू नहीं होता	45 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यार्थियों से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहते हों) आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी।	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान के विशेष योग्यता सहित कृषि प्राणिविज्ञान या प्राणी विज्ञान में, एम०एस०सी० की उपाधि या समतुल्य। (2) पादप संरक्षण, विशेषतया फसल नाशी कीट सर्वेक्षण, जैविका और नियंत्रण, और पादप संरक्षण उपस्करों के रख-रखाव का 7 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव, जिसमें उस क्षेत्र में उत्पादक कार्यों के ज्ञात अभिलेख सहित समस्योन्मुख अनुसंधान में पर्याप्त अनुभव भी सम्मिलित है (जिसके लिए प्रकाशित लेखों का साक्ष्य दें)

1	2	3	4	5	6	7
						(3) पादप संरक्षण में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन का 3 वर्ष का अनुभव । (अर्हताएं, अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है, विशेषकर अनुभव सम्बन्धी अर्हता, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उनके लिए आरक्षित पदों के लिए शिथिल की जा सकती है ।) **वांछनीय :** (1) विशेषज्ञता वाले विषय में डाक्टरेट की उपाधि । (2) विशेष रूप से फसल नाशी कीट पर नियंत्रण और उपयोजन उपस्कर के क्षेत्रीय परीक्षण के प्रति विशेष निर्देश सहित, तैयार करने, उसकी अनुकूली अनुसंधान की योजना सुव्यवस्था करने तथा उसमें मार्गदर्शन देने की योग्यता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन यथापेक्षित ।

[सं० 13-9/74-पी०पी०एस०]

सी० सोहोनी, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd January, 1977

G.S.R. 193.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Entomology) in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage (Deputy Director, Entomology) Recruitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No persons—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Director (Entomology)	One	General Central Service Group (A) Gazetted.	1300-50-1700	Not Applicable	Not exceeding 45 years (Relaxable for Government servants) Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	Essential.— (i) M.Sc. degree in Entomology, Agricultural Zoology or Zoology, with specialisation in Entomology, from a recognised University or equivalent. (ii) 7 years' practical experince in plant protection, Particularly in survey biology and control of crop pests and its handling of plant protection equipment, including adequate experience of problem oriented research, with known record of productive work in the field as evidenced by published papers. (iii) 3 years' teaching experience in Plant protection at postgraduate level. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified; in particular, the qualifications regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them). Desirable.— (i) Doctorate in the Subject of specialisation. (ii) Ability to plan, organise and guide adaptive research, with particular reference to the control of crop pests and field testing of application equipment.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years.	By direct recruitment.	Not applicable	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. 13-9/74-PPS]
C. SOHONI, Under Secy.

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

(सी० ए०-1 (5) अनुभाग)

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1977

सा० का० नि० 194.—भारतीय संग्रहालय अधिनियम, 1970 की धारा 15 ए की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय संग्रहालय भर्ती नियमावली, 1970 का अधिक्रमण करते हुए, की गई बातों अथवा जहां वादा किया गया हो, को छोड़कर, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता में पदों की भर्ती के तरीके का नियमन करने के लिए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है ;

1. लघु शीर्षक तथा प्रारम्भण.—(1) इन नियमों को भारतीय संग्रहालय भर्ती नियम, 1977 कहा जाए।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित तिथि से लागू होंगे।

2. प्रयुक्ति —ये संलग्न सूची के कालम (2) में लिखित पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.—उपरोक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे सम्बद्ध वेतनमान वह होगा जैसाकि उपरोक्त सूची के कालम (3) से (5) में लिखित हैं।

4. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा तथा योग्यताएं इत्यादि.—उपरोक्त पदों पर भर्ती का तरीका, आयु सीमा, योग्यताएं तथा इससे सम्बन्धित अन्य मामले वैसे होंगे जैसेकि उपरोक्त सूची के कालम (6) से (13) में लिखित है।

5 अपात्रता.—कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति/स्त्री से शादी की है अथवा शादी का इकरारनामा किया है जिसकी कि पत्नी/पति जीवित है, अथवा

(ख) ऐसा व्यक्ति/स्त्री जिसकी की पत्नी/पति जीवित है परन्तु किसी अन्य स्त्री/पुरुष से शादी की है अथवा शादी करने का इकरारनामा किया है। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

बशर्ते ऐसे मनुष्य तथा पार्टी पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत तथा ऐसा करने के लिए अन्य कारणों से यदि ऐसी शादी अनुमेय हो तो केन्द्रीय सरकार समाधान करके किसी व्यक्ति को ऐसे कानून के लागू होने से मुक्त करें।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार का मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन हो तो केन्द्रीय सरकार न्यासी बोर्ड के परामर्श तथा कारणों को रिकार्ड करके आदेश द्वारा किसी वर्ग अथवा मनुष्यों अथवा पदों के वर्गों के विषय में इन नियमों के धाराओं में शिथिलता दे सकती है।

7. अपवाद —अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा इस विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अन्य विशेष वर्गों के पुरुषों के लिए दी जाने वाली रियायतों तथा आरक्षणों पर इन नियमों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है या अप्रवरण	प्रत्यक्ष भर्ती वालों के लिए आयु	प्रत्यक्ष भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	निदेशक	1	श्रेणी I	रु० 2000-125/2-2250.	—	50 वर्ष चयन समिति की सिफारिश पर न्यासी मंडल (इसके बाद इसे बोर्ड कहा जायेगा) द्वारा छूट दी जा सकती है।	अनिवार्य : 1. भारतीय इतिहास अथवा पुरातत्व या मानव-विज्ञान या संस्कृत या अरबी या ललित कला या पाली या प्राकृत या फारसी या संयुक्त (काम्बीनेशन) विषय में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर्स या समकक्ष आनर्स डिग्री। 2. अनुसंधान अनुभव (लिखित प्रमाण प्रस्तुत किया जाए)। 3. किसी विख्यात संग्रहालय में 5 वर्ष का अनुभव और किसी जिम्मेवार पद पर वर्ष का प्रशासकीय अनुभव। 4. भारतीय पुरावशेष, पुरातत्व खुदाई, संग्रहालय तथा प्रकाशन, भारतीय कला तथा सज्जा कला का ज्ञान। 5. काफी संख्या में तथा विभिन्न ज्ञानवर्धक प्रकाशन। टिप्पणी :—यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है। वांछनीय : (i) विदेश में संग्रहालय सम्बन्धी अध्ययन। संग्रहालय विकास के कम से कम दो उल्लेखनीय देशों की विदेश यात्रा। (ii) संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा अथवा समतुल्य ज्ञान तथा संग्रहालय विज्ञान दर्शन शास्त्र और तकनीकों का अनुभव।
2.	वै० स० व० आशुलिपिक	1	श्रेणी-III अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रु० 425-15-500-द०रो०-15-560-20-700.	चयन	28 वर्ष	अनिवार्य : (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का कम से कम स्नातक। (ख) आशुलिपिक के रूप में 7 वर्ष की सेवा और आशुलिपि तथा टंकण में क्रमशः 120 शब्द प्रति मिनट तथा 40 शब्द प्रति मिनट की गति हो।

क्या प्रत्यक्ष भर्ती वालों के लिए निर्धारित की गई आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के विषय में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की प्रणाली प्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/तबादले द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/तबादले द्वारा भर्ती किये जाने की स्थिति में उन ग्रेडों का उल्लेख जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/तबादला किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति हो उसकी संरचना क्या है ?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने के विषय में भारतीय संग्रहालय के न्यासी मंडल से परामर्श किया जाना है
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(i) अध्यक्ष, भारतीय संग्रहालय न्यासी मंडल। (ii) न्यासियों द्वारा अपने में से ही नामांकित एक सदस्य। (iii) अवैतनिक सचिव, भारतीय संग्रहालय। (iv) दो विशेषज्ञ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय के नियमों में अपेक्षित है भारतीय संग्रहालय का न्यासी मंडल ही नियुक्त करने का प्राधिकारी है, भारतीय संग्रहालय नियमों के उपबन्धों के अनुसार, श्रेणी-I के अधिकारियों के लिए चयन समिति द्वारा चयन किया जायेगा।
कोई नहीं	2 वर्ष	100% पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति : ग्रेड में 7 वर्ष की सेवा वाले आशुलिपिक (330–560 रु० के वेतन के ग्रेड में कार्य कर रहे हों)।	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव। 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय। 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय के संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति। 4. आवश्यकता पड़ने पर एक विशेषज्ञ को सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जा सकता है। 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	कीपर (मानव विज्ञान)	1	श्रेणी-I	रु० 1100-50-1600	प्रवरण	45 वर्ष। पहले से रोजगार में लगे हुए उम्मीदवारों के मामले में चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा रियायत दी जा सकती है।	अनिवार्य : 1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में मास्टर्स डिग्री या समतुल्य डिग्री। 2. संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा तथा किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी प्रकार की संस्था में 5 वर्ष का अनुभव। अथवा किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी तरह की संस्था में 7 वर्ष का अनुभव।

1	2	3	4	5	6	7	8
							3. अनुसंधान का अनुभव तथा साथ में प्रकाशित अनुसंधान कार्य का सबूत। 4. पुरातत्व विज्ञान में व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा क्षेत्रीय अनुभव। टिप्पणी :—यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है।

9	10	11	12	13	14
नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति : उप कीपर (मानव विज्ञान) साथ में 5 वर्ष की सेवा	1. अध्यक्ष भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड। 2. न्यासियों द्वारा अपने में से मनोनीत एक सदस्य। 3. निदेशक, भारतीय संग्रहालय। 4. जिस विषय का पद है, उसका एक विशेषज्ञ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है, भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड ही नियुक्त करने का प्राधिकारी है। भारतीय संग्रहालय नियमों के उपबन्धों के अनुसार श्रेणी-I के अधिकारियों के लिए चयन समिति द्वारा चयन किया जायेगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	उप कीपर (मानव विज्ञान)	1	श्रेणी-I	रु० 700-40-900-ब०रो०-40-1100-50-1300	लागू नहीं होता	45 वर्ष	अनिवार्य : 1. मानव विज्ञान में माध्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर्स अथवा समतुल्य आनर्स डिग्री। 2. संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा तथा किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी प्रकार की संस्था में तीन वर्ष का अनुभव अथवा किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी प्रकार की संस्था में 4 वर्ष का अनुभव। 3. अनुसंधान का अनुभव तथा साथ में प्रकाशित अनुसंधान कार्य का सबूत। वांछनीय : प्रदर्शनियां आयोजित करने अथवा ग्राफीय प्रस्तुतीकरण की तकनीक में व्यावहारिक प्रशिक्षण का क्षेत्रीय अनुभव। टिप्पणी :—यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. अध्यक्ष, भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड है, 2. न्यासियों द्वारा अपने में से मनोनीत एक सदस्य है, 3. निदेशक भारतीय संग्रहालय, 4. जिस विषय का पद है, उसका एक विशेषज्ञ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है, भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड ही नियुक्त करने का प्राधिकारी है। भारतीय संग्रहालयों नियमों के उपबन्धों के अनुसार श्रेणी-I के अधिकारियों के लिए चयन समिति द्वारा चयन किया जायेगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	उप कीपर (प्रागितिहास)	1	श्रेणी I	रु० 700-40-900-द०रो०-40-1100-50-1300	लागू नहीं होता	45 वर्ष चयन समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा रियायत दी जा सकती है।	अनिवार्य : 1 पुरातत्व या मानव विज्ञान (प्रागितिहास में विशेष ज्ञान सहित) में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर्स डिग्री। 2 संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा तथा किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी तरह की संस्था में 3 वर्ष का अनुभव अथवा संग्रहालय अथवा इसी तरह की संस्था में 5 वर्ष का अनुभव। 3. अनुसंधान का अनुभव तथा साथ में प्रकाशित अनुसंधान कार्य का सबूत। 4. प्रागितिहास में क्षेत्रीय अनुभव तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण। वांछनीय : प्रागितिहास में डिग्री अथवा डिप्लोमा। टिप्पणी :—यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. अध्यक्ष भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड। 2. न्यासियों द्वारा अपने में से मनोनीत एक सदस्य। 3. निदेशक, भारतीय संग्रहालय। 4. जिस विषय का पद है, उसका एक विशेषज्ञ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड ही नियुक्त करने का प्राधिकारी है। भारतीय संग्रहालय नियमों के उपबन्धों के अनुसार श्रेणी-I के अधिकारियों के लिए चयन समिति द्वारा चयन किया जायेगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	सहायक कीपर (मानव विज्ञान)	1	श्रेणी-II राजपत्रित अलिपिक वर्गीय	रु० 840-40-1000-द०रो० 40-1200	प्रवरण	45 वर्ष	अनिवार्य : 1. मानव विज्ञान में मास्टर्स अथवा समतुल्य डिग्री। 2. संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा तथा किसी विख्यात अथवा इसी प्रकार की संस्था में तीन वर्ष का अनुभव। अथवा किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी प्रकार की संस्था में पांच वर्ष का अनुभव। 3. अनुसंधान का अनुभव तथा साथ में प्रकाशित अनुसंधान कार्य का सबूत। 4. प्रदर्शनियां आयोजित करने अथवा ग्राफीय प्रस्तुतीकरण की तकनीकी में व्यावहारिक प्रशिक्षण का क्षेत्रीय अनुभव। टिप्पणी :—यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकता है।

9	10	11	12	13	14
			पदोन्नति :		
नहीं	2 वर्ष	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	क्यूरेटर (मानव विज्ञान) ग्रेड में कम से कम 3 वर्ष तक सेवा की हो।	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव; 2. निदेशक भारतीय संग्रहालय; 3. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य; 4. जिस विषय का पद है उसका एक विशेषज्ञ; 5. यदि भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए तो उसका एक प्रतिनिधि।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	क्यूरेटर (मानव विज्ञान)	1	श्रेणी-III अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय	रु० 425-15-500-द०रो० 15-500-20-700	प्रवरण	28 वर्ष	मानव विज्ञान अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति में मास्टर्स अथवा उसके बराबर की आनर्स डिग्री तथा साथ में मानव विज्ञान में विशिष्टता। टिप्पणी :—यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है।

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	जूनियर तकनीकी सहायक तथा गैलरी सहायक (मानव विज्ञान) जिनकी संबंधित ग्रेडों में 3 वर्ष की सेवा हो।	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, 4. आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ । 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	तकनीकी सहायक (प्रलेख)	1	श्रेणी-III अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय	रु० 425-15-500-द०रो०-15-560-20-700	—	28 वर्ष	अनिवार्य : भारतीय इतिहास या मानव विज्ञान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर्स अथवा इसके बराबर की आनर्स डिग्री। वांछनीय : 1 संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा तथा किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी प्रकार की संस्था में 3 वर्ष का अनुभव। 2 मानव विज्ञान में प्रकाशित अनुसंधान कार्य। 3 प्रलेख की जानकारी। टिप्पणी :—यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय में संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, 4. आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किए जाने वाला एक विशेषज्ञ। 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय के नियमों के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	क-गैलरी सहायक ख-जूनियर तकनीकी सहायक (मानव विज्ञान)	2	श्रेणी-III अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय	क० 330-10-380-द०-रो०-12-500-व०रो०-15-560	—	2 वर्ष	अनिवार्य : मानव विज्ञान में कम से कम आनर्स स्नातक या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इसके बराबर की डिग्री। वांछनीय : संग्रहालय का अनुभव या संग्रहालय विज्ञान में प्रशिक्षण।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नही होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक सदस्य। 4 आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किए जाने वाला एक विशेषज्ञ। 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय के नियमों के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	एथनों कलैक्टर (मानव विज्ञान)	1	श्रेणी III अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रु० 225-5-260-6-प० रो०-290-6-308	—	28 वर्ष	अनिवार्य : मैट्रीकुलेट अथवा समान योग्यता। वांछनीय : कार्य से संबन्धित अनुभव।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 % सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति। 4. आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्मत किया जाने वाला एक विशेषज्ञ। 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत का एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय के नियमों के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	कीपर (पुरातत्व)	1	श्रेणी-1	रु० 1100-50-1600	प्रवरण	45 वर्ष। पहले से रोजगार में लगे हुए उम्मीदवारों के मामले में चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा रियायत दी जा सकती है।	अनिवार्य : 1. भारतीय इतिहास अथवा संस्कृत पाली अथवा प्राकृत अथवा फारसी अथवा अरबी अथवा पुरातत्व विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री अथवा उसके तुल्य। 2. संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा तथा किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी प्रकार की संस्था में 5 वर्ष का अनुभव। अथवा किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी तरह की संस्था में 7 वर्ष का अनुभव। 3. अनुसन्धान का अनुभव तथा साथ में प्रकाशित अनुसन्धान कार्य का सबूत। 4. पुरातत्व विज्ञान में व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा क्षेत्रीय अनुभव। टिप्पणी:- यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है।

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति : उप कीपर (पुरातत्व) साथ में ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा।	1. अध्यक्ष भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड, 2. न्यासियों द्वारा अपने में से मनोनीत एक सदस्य 3. निदेशक, भारतीय संग्रहालय 4. जिस विषय का पद है, उसका एक विशेषज्ञ	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है, भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड ही नियुक्त करने का प्राधिकारी है। भारतीय संग्रहालय नियमों के उपबन्धों के अनुसार श्रेणी-1 के अधिकारियों के लिये चयन समिति द्वारा चयन किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	उप कीपर (पुरातत्व)	1	श्रेणी-1	रुपये 700-40-900-द० रो० 40-1100-50-1300	--	45 वर्ष	अनिवार्य : 1. भारतीय इतिहास अथवा श्रेण्य भाषाओं में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर (मास्टर) डिग्री अथवा उसके बराबर आनर्स डिग्री तथा साथ में पुरातत्व विज्ञान की किसी शाखा में विशिष्टता। 2. संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा तथा किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी प्रकार की संस्था में तीन वर्ष का अनुभव। अथवा किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी प्रकार की संस्था में 5 वर्ष का अनुभव। 3. अनुसन्धान का अनुभव तथा साथ में प्रकाशित अनुसन्धान कार्य का सबूत। टिप्पणी :—यदि उम्मीदवार अन्य प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. अध्यक्ष भारतीय हालय का न्यासी बोर्ड, 2. न्यासियों द्वारा अपने में से मनोनीत एक सदस्य 3. निदेशक भारतीय संग्रहालय, 4. जिस विषय का पद है, उसका एक विशेषज्ञ।	संग्र- जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड ही नियुक्त करने का प्राधिकारी है। भारतीय संग्रहालय नियमों के उपबन्धों के अनुसार श्रेणी-1 के अधिकारियों के लिये चयन समिति द्वारा चयन किया जायेगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	संग्रहालय अध्यक्ष (क्यूरेटर) (पुरातत्व)	4	श्रेणी-3 अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700	—	28 वर्ष	अनिवार्य : भारतीय इतिहास अथवा पुरातत्व विज्ञान अथवा श्रेष्य भाषाओं में किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री अथवा उसके बराबर आनर्स डिग्री साथ में अन्य विकल्पों की पूरी जानकारी। टिप्पणी:— यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है। वांछनीय: 1. संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा 2. किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी प्रकार की संस्था में अनुभव। 3. अनुसन्धान अनुभव।

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	75 % सीधी भर्ती द्वारा 25 % पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति द्वारा : गैलरी सहायक (पुरातत्व) ग्रेड में कम से कम 3 वर्ष की सेवा।	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवै० सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय के संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति 4. आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ। 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है

1	2	3	4	5	6	7	8
14	तकनीकी सहायक (प्रलेख)	1	श्रेणी-3 अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रु० 425-15-500-द०रो०-15-560-20-700	लागू नहीं होता	28 वर्ष	अनिवार्य : भारतीय इतिहास अथवा कला या पुरातत्व विज्ञान या इतिहास अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति अथवा संस्कृत अथवा पाली या फारसी या अरबी अथवा संमिश्रण में किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री अथवा उसके बराबर आनर्स डिग्री। वांछनीय : 1. संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा तथा किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी प्रकार की संस्था में तीन वर्ष का अनुभव। 2. प्रलेख की जानकारी। 3. पुरातत्व विज्ञान में प्रकाशित अनुसंधान कार्य। टिप्पणी:—यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवै० सचिव 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबन्धित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, 4. आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	गैलरी सहायक (पुरातत्व)	1	श्रेणी-3 अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रु० 330-8-370-10-400-द०रो०-10-480	—	28 वर्ष	अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ललित कला अथवा भारतीय इतिहास अथवा श्रेण्य भाषाओं में कम से कम आनर्स स्नातक अथवा उसके बराबर की डिग्री, वांछनीय : संग्रहालय में अनुभव अथवा संग्रहालय विज्ञान में प्रशिक्षण ।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. अध्यक्ष, भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड 2. न्यासियों द्वारा अपने में से मनोनीत एक सदस्य, 3. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 4. जिस विषय का पद है, उसका एक विशेषज्ञ ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है, भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड ही नियुक्ति का प्राधिकारी है। भारतीय संग्रहालयों नियमों के उपबन्धों के अनुसार श्रेणी-1 के अधिकारियों के लिए चयन समिति द्वारा चयन किया जाएगा ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	उप-कीपर (मुद्राशास्त्र तथा पुरालेख शास्त्र)	1	श्रेणी-I	रु० 700-40-900-द०रो०-40-1100-50-1300	लागू नहीं होता	45 वर्ष	अनिवार्य : 1. भारतीय इतिहास अथवा श्रेण्य भाषाओं में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर अथवा उसके बराबर आनर्स की डिग्री, साथ में पुरालेख शास्त्र और मुद्राशास्त्र में विशिष्टता । 2. संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा तथा किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी प्रकार की संस्था में तीन वर्ष का अनुभव । अथवा किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी तरह की संस्था में 5 वर्ष का अनुभव । 3. अनुसंधान का अनुभव तथा प्रकाशित अनुसंधान कार्य का सबूत ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. अध्यक्ष, भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड, 2. न्यासियों द्वारा अपने में से मनोनीत एक सदस्य, 3. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 4. जिस विषय का पद है, उसका एक विशेषज्ञ ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है, भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड ही नियुक्ति का प्राधिकारी है । भारतीय संग्रहालय नियमों के उपबन्धों के अनुसार श्रेणी I के अधिकारियों के लिए चयन समिति द्वारा चयन किया जाएगा ।

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	संग्रहालय अध्यक्ष (क्यूरेटर) (पुरातत्व)	3	श्रेणी-III अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रु० 425-15-500-द०रो०-15-560-20-700	—	28 वर्ष	1. भारतीय इतिहास अथवा पुरातत्व विज्ञान अथवा श्रेण्य भाषाओं में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर अथवा उसके बराबर डिग्री साथ में अन्य विकल्पों की पूरी जानकारी । 2. किसी विख्यात संग्रहालय में पुरालेखशास्त्र तथा मुद्राशास्त्र में पांच वर्ष का अनुभव । टिप्पणी.—यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है । वांछनीय : 1. संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा । 2. किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी प्रकार की संस्था में अनुभव । 3. अनुसंधान अनुभव ।

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	75% सीधी भर्ती द्वारा, 25% पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति द्वारा : गैलरी सहायक (पुरातत्व) जिसकी ग्रेड में कम से कम 3 वर्ष की सेवा हो	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवै० सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबन्धित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, 4. आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में संबद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ, 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय के नियमों के अधीन अपेक्षित है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	तकनीकी सहायक (प्रलेख)	1	श्रेणी-III अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रु० 425-15-500-द०रो०-15-560-20-700	—	28 वर्ष	अनिवार्य : भारतीय इतिहास अथवा पुरातत्व के इतिहास अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास या संस्कृत या पाली या फारसी या अरबी अथवा समिश्रण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर अथवा उसके बराबर आनर्स की डिग्री । वांछनीय : 1. संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा तथा किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी प्रकार की संस्था में 3 वर्ष का अनुभव । 2. प्रकाशित अनुसंधान कार्य । 3. प्रलेख की जानकारी । टिप्पणी:—यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है ।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवै० सचिव; 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबन्धित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, 4. आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ, 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय के नियमों के अधीन अपेक्षित है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	कीपर (ललित-कला तथा हस्त-कला)	1	श्रेणी I	रु० 1100-50-1600	प्रत्यरण	45 वर्ष। पहले से काम में लगे हुए उम्मीद-वारों के मामले में चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा रियायतें दी जा सकती हैं।	अनिवार्य : 1. भारतीय इतिहास अथवा संस्कृत या पाली या प्राकृत अथवा फारसी या अरबी अथवा पुरातत्व या कला इतिहास में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री अथवा उसके बराबर अर्हताएं, संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा तथा किसी विख्यात संग्रहालय अथवा उसी प्रकार की संस्था में 5 वर्ष का अनुभव। अथवा किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी प्रकार की संस्था में 7 वर्ष का अनुभव। 3. अनुसंधान का अनुभव तथा साथ में सचित्र पांडुलिपियों, भारतीय लघु-चित्रों और हस्तकला से संबन्धित प्रकाशित कार्य का प्रमाण। 4. ललित कलाओं और हस्त कलाओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा क्षेत्रीय अनुभव। टिप्पणी :—यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है।

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति : उप-कीपर (कला) ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा सहित	1 अध्यक्ष, भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड, 2 न्यासियों द्वारा अपने में से मनोनीत एक सदस्य, 3 निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 4 जिस विषय का पद है, उसका एक विशेषज्ञ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है, भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड ही नियुक्ति का प्राधिकारी है। भारतीय संग्रहालय के नियमों के उपबन्धों के अनुसार श्रेणी I के अधिकारियों के लिए चयन समिति द्वारा चयन किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	उप-कीपर (कला)	1	श्रेणी I	रु० 700-40-900 द०रो०-40-1100-50-1300		45 वर्ष	अनिवार्य : 1. भारतीय इतिहास, श्रेष्ठ भाषाओं में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर अथवा उसके बराबर आनर्स की डिग्री, साथ में ललित कला में विशिष्ट योग्यता । 2. संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा तथा किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी तरह की संस्था में 3 वर्ष का अनुभव । अथवा किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी तरह की संस्था में 5 वर्ष का अनुभव । 3. अनुसंधान का अनुभव तथा साथ में प्रकाशित अनुसंधान कार्य का सबूत । टिप्पणी:—यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है ।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. अध्यक्ष, भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड, 2. न्यासियों द्वारा अपने में से मनोनीत एक सदस्य, 3. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 4. जिस विषय का पद है, उसका एक विशेषज्ञ ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है, भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड ही नियुक्ति का प्राधिकारी है, भारतीय संग्रहालय के नियमों के उपबंधों के अनुसार, श्रेणी I के अधिकारियों के लिए चयन समिति द्वारा चयन किया जाएगा

1	2	3	4	5	6	7	8
21	क्यूरेटर (कला)	1	श्रेणी-III अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रु० 425-15-500-द०रो०-15-560-20-700	—	28 वर्ष	अनिवार्य : भारतीय इतिहास अथवा ललित कला में विशिष्टता के साथ मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर अथवा उसके समतुल्य आनर्स डिग्री टिप्पणी:—यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है । वांछनीय : 1. संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा । 2. संग्रहालय कार्य का अनुभव अथवा संग्रहालय विज्ञान में प्रशिक्षण । 3. ललित कला में प्रकाशित पेपर ।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	20 वर्ष	75% सीधी भर्ती द्वारा और 25% पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति द्वारा गैलेरी सहायक (कला) साथ में 3 वर्ष की उसी ग्रेड में सेवा	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, 4. आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ, 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	तकनीकी सहायक (प्रलेख)	1	श्रेणी III अराजपत्रित	रु० 425-15-500-ब०रो०-15-560-20-700	—	28 वर्ष	अनिवार्य : भारतीय इतिहास अथवा ललित कला तथा शिल्प अथवा शास्त्रीय भाषा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर अथवा समतुल्य आनर्स की डिग्री । वांछनीय : 1 संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा तथा किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी प्रकार की संस्था में तीन वर्ष का अनुभव । 2 ललित कला तथा शिल्प में प्रकाशित अनुसंधान कार्य 3 प्रलेखन का ज्ञान । टिप्पणी :—यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है ।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, 4 आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ, 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
23	गैलरी सहायक (कला)	1	श्रेणी-III अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रु० 300-8-370-10-400-द०रो०-10-480	—	28 वर्ष	अनिवार्य : ललित कला अथवा भारतीय इतिहास अथवा शास्त्रीय भाषा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम आनर्स स्नातक अथवा इसके समतुल्य डिग्री। वांछनीय : संग्रहालय में अनुभव अथवा संग्रहालय विज्ञान में प्रशिक्षण।
24.	संग्रहालय प्रिपरेटर (माउंटकटर)	1	श्रेणी-III अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रु० 330-8-380-10-400-द०रो०-10-480	—	28 वर्ष	अनिवार्य : माउंट कटिंग तथा फ्रेमिंग का पर्याप्त ज्ञान जिसमें वस्तुओं का प्रदर्शन भी शामिल है। वांछनीय : सुन्दर ढंग से माउंट कटिंग तथा किसी संग्रहालय अथवा इसी प्रकार की संस्था में आवश्यक औजारों के प्रयोग का अनुभव।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबन्धित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, 4 आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ, 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है।
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, 4 आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ, 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	शिक्षा अधिकारी	1	श्रेणी-I	रु० 1100-50-1600	प्रवरण	45 वर्ष । यदि उम्मीदवार पहले से ही रोजगार युक्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा आयु में रियायत दी जा सकती है।	अनिवार्य: 1. भारतीय इतिहास अथवा संस्कृत अथवा पाली, अथवा प्राकृत अथवा फारसी, अथवा पुरातत्व अथवा कला का इतिहास अथवा मानव विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर अथवा उसके समतुल्य डिग्री। 2. संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा और विख्यात संग्रहालय या इस जैसी ही किसी संस्था में पांच वर्ष का अनुभव। अथवा विख्यात संग्रहालय या इस जैसी ही किसी संस्था में सात वर्ष का अनुभव योजना अध्यापन और संग्रहालय में शैक्षणिक कार्य के आयोजन का अनुभव संग्रहालय अथवा अन्य शैक्षणिक विषयों पर प्रकाशित अनुसंधान कार्य में प्रमाण सहित अनुसंधान का अनुभव। टिप्पणी :—यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त हो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है।

9	10	11	12	13	14
नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. अध्यक्ष भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड । 2. न्यासियों द्वारा अपने में से मनोनीत एक सदस्य । 3. निदेशक, भारतीय संग्रहालय । 4. जिस विषय का पद है, उसका एक विशेषज्ञ ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है, भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड ही नियुक्ति का प्राधिकारी है। भारतीय संग्रहालय के नियमों के उपबन्धों के अनुसार श्रेणी-I के अधिकारियों के लिये चयन समिति द्वारा चयन किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	गाइड लेक्चरर (चल-प्रदर्शनी)	1	श्रेणी-III अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रु० 425-15-500-द०रो०-15-560-20-700	—	28 वर्ष	अनिवार्य : 1. भारतीय इतिहास अथवा पुरातत्व अथवा मानव विज्ञान अथवा शास्त्रीय भाषा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री अथवा उसके समतुल्य आनर्स डिग्री। 2. बंगला के अतिरिक्त अंग्रेजी और हिन्दी में भारतीय इतिहास अथवा पुरातत्व अथवा मानवविज्ञान पर बोलने की योग्यता। वांछनीय : 1. संग्रहालय में डिप्लोमा। 2. संग्रहालय का अनुभव अथवा संग्रहालय विज्ञान में प्रशिक्षण। 3. पुरातत्व अथवा मानव विज्ञान में प्रकाशित पेपर। नोट :—यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय। 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति। 4. आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ, 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	गाइड लैक्चरर (कला)	1	श्रेणी-III, अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रु० 425-15-500-द.रो.-15-560-20-700	—	28 वर्ष।	अनिवार्य : 1. ललित कला में विशिष्टता के साथ भारतीय इतिहास अथवा शास्त्रीय भाषा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर अथवा उसके समतुल्य आनर्स की डिग्री। 2. बंगला के अतिरिक्त हिन्दी और अंग्रेजी में भारतीय कला पर बोलने की योग्यता। वांछनीय : 1. संग्रहालय में डिप्लोमा। 2. संग्रहालय में अनुभव अथवा संग्रहालय विज्ञान में प्रशिक्षण। 3. ललित कला में प्रकाशित पेपर्स।
28.	गाइड लैक्चरर (पुरातत्व)	1	श्रेणी-III अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रु० 425-15-500-द.रो.-15-560-20-700	—	28 वर्ष	अनिवार्य : 1. भारतीय इतिहास अथवा पुरातत्व अथवा श्रेण्य भाषा में मास्टर अथवा इसके समतुल्य डिग्री। 2. बंगला भाषा के अतिरिक्त हिन्दी और अंग्रेजी में भारतीय पुरातत्व पर बोलने की योग्यता। वांछनीय : 1. संग्रहालय में डिप्लोमा। 2. संग्रहालय में अनुभव अथवा संग्रहालय में प्रशिक्षण। 3. पुरातत्व में प्रकाशित पेपर्स।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, 4. आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ, 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है।
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति. 4. आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ, 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	गाइड लैक्चरर (मानवविज्ञान)	1	श्रेणी-III अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रु० 425-15-500-द०रो० 15-560-20-700	——	28 वर्ष	अनिवार्य : 1. मानव विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर अथवा इसके समतुल्य डिग्री। 2. बंगला के अतिरिक्त हिन्दी और अंग्रेजी में मानवविज्ञान पर बोलने की योग्यता। टिप्पणी : यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है। वांछनीय : 1. संग्रहालय में डिप्लोमा। 2. संग्रहालय में अनुभव अथवा संग्रहालय विज्ञान में प्रशिक्षण। 3 मानवविज्ञान में प्रकाशित अनुसंधान।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, 4. आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ, 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	गाइड लैक्चरर (भूविज्ञान)	1	श्रेणी-III अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रु० 425-15-500-द.रो.-15-560-20-700	——	28 वर्ष	अनिवार्य : 1. भूविज्ञान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर अथवा उसके समतुल्य आनर्स डिग्री। 2. बंगला के अतिरिक्त हिन्दी और अंग्रेजी में भूविज्ञान पर बोलने की योग्यता। टिप्पणी : यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशो पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है। वांछनीय : 1. संग्रहालय में डिप्लोमा। 2. संग्रहालय में अनुभव। 3. भूविज्ञान में प्रकाशित अनुसधान।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, 4. आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ, 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	गाइड लैक्चरर (प्राणि विज्ञान)	1	श्रेणी-III	रु० 425-15-500-द.०रो०-15-560-20-700/-	——	28 वर्ष	अनिवार्य: 1. प्राणि विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर अथवा उसके बराबर आनर्स डिग्री। 2. बंगला के अतिरिक्त प्राणि विज्ञान के बारे में हिन्दी और अंग्रेजी में बोलने की योग्यता। टिप्पणी : यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है। वांछनीय : 1. संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा। 2. संग्रहालय में अनुभव अथवा संग्रहालय विज्ञान में प्रशिक्षण। 3. प्राणि विज्ञान में प्रकाशित अनुसंधान।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1 भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से सम्बन्धित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, 4. आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ, 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	गाइड लैक्चरर (वनस्पति विज्ञान)	1	श्रेणी-III	रु० 425-15-500-द.रो.-15-560-20-700	——	28 वर्ष	अनिवार्य : 1. वनस्पति विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर डिग्री अथवा उसके समकक्ष। 2. बंगला के अतिरिक्त वनस्पति विज्ञान के बारे में हिन्दी और अंग्रेजी में बोलने की योग्यता। टिप्पणी : यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है। वांछनीय : 1. संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा। 2. संग्रहालय में अनुभव अथवा संग्रहालय विज्ञान में प्रशिक्षण। 3. वनस्पति विज्ञान में प्रकाशित अनुसंधान।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, 4. आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ, 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	प्रक्षेपक (प्रोजेक्टनिष्ट)	1	श्रेणी-III	रु० 425-15-530-द०रो०-15-560-20-600	लागू नहीं होता	28 वर्ष	अनिवार्य : 1. मिडिल कक्षा में उत्तीर्ण। 2. चलचित्रकला संचालन की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)। 3. किसी सभा भवन अथवा सिनेमा (चलचित्र भवन) में 16 एम० एम०/35 एम० एम० दृश्य श्रव्य उपस्करों आदि के संचालन में प्रक्षेपण कार्य का 3 वर्ष का अनुभव।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2 निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3 भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, 4 आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ, 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	चालक	1	श्रेणी-III	रु० 260-6-290-द०रो०-6-326-द०रो०-8-390-10-400	—	28 वर्ष	1 अनुज्ञप्ति प्राप्त मोटर चालक जिसे कार चलाने तथा छोटी-छोटी मरम्मतों का ठीक करने की योग्यता व पूरी जानकारी हो। 2. भारी वाहनों को चलाने की योग्यता होनी चाहिए। 3. मिडिल स्कूल स्तर।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2 निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3 भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, 4. आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ, 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	क्लीनर	1	श्रेणी-IV	रु० 196-3-220-द०रो०-3-232	—	25 वर्ष	किसी विख्यात संग्रहालय में क्लीनर के रूप में कुछ अनुभव।	लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. निदेशक भारतीय संग्रहालय, 2. भारतीय संग्रहालय का एक वरिष्ठ अधिकारी।	लागू नहीं होता
36.	परिरक्षण अधिकारी	1	श्रेणी-I	रु० 700-40-900-द०रो०-40-1100 50-1300	—	45 वर्ष	अनिवार्य : 1 भौतिक अथवा कार्बनिक अथवा अकार्बनिक रसायन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर अथवा इसके बराबर की आनर्स डिग्री। 2. कार्बनिक और अकार्बनिक वस्तुओं में मान्यताप्राप्त उच्च प्रशिक्षण और किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी प्रकार की संस्था में मिश्रधातु सिलिकेट और खरल के विश्लेषण में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। 3. प्रकाशित अनुसंधान कार्य के प्रमाण सहित अनुसंधान कार्य का अनुभव। वांछनीय : 1. कीटनाशी और धूमक का ज्ञान। 2. जांच और विश्लेषण में रसायन के प्रयोग का अनुभव तथा संग्रहालय सामग्रियों का परिरक्षण। टिप्पणी :—यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है।	लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1 अध्यक्ष, भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड, 2. न्यासियों द्वारा अपने में से मनोनीत एक सदस्य, 3 निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 4. जिस विषय का पद है, उसका एक विशेषज्ञ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है, भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड ही नियुक्ति का प्राधिकारी है। भारतीय संग्रहालय नियमों के उपबन्धों के अनुसार श्रेणी-I के अधिकारियों के लिए चयन समिति द्वारा चयन किया जायेगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	सहायक रसायनी	1	श्रेणी-II	रु० 550-25-750-द०रो०-30-900	--	35 वर्ष। उम्मीदवारों के रोजगार में होने पर चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा आयु में रियायत दी जायेगी।	अनिवार्य : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक, अथवा कार्बनिक अथवा अकार्बनिक रसायन विज्ञान में कम से कम एम० एस० सी० में द्वितीय श्रेणी। 2. संग्रहालय अथवा पुरातत्व अथवा मानवविज्ञान अथवा प्रयोगशाला के परिरक्षण का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव। टिप्पणी :—यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है। वांछनीय : 1. रसायनिक परिरक्षण कार्य में मूल अनुसंधान का सबूत। 2. कीटनाशी और धूमक का ज्ञान और आंक तथा विश्लेषण में रसायन के प्रयोग का अनुभव तथा संग्रहालय सामग्रियों का परिरक्षण।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1 भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3 न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य, 4. जिस विषय का पद है, उसका एक विशेषज्ञ, 5 यदि भारत सरकार ऐसा चाहे तो उसका एक प्रतिनिधि।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	संरक्षण सहायक (जूनियर)	1	श्रेणी-III	रु० 425-15-500-द०रो०-15-560-20-700	—	28 वर्ष	अनिवार्य : 1. रसायन विज्ञान में किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर अथवा इसके बराबर की आनर्स डिग्री। 2. किसी विख्यात संग्रहालय अथवा इसी प्रकार की संस्था में धातु, मिश्रधातु और सिलिकेशन के विश्लेषण में कम से कम दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : 1. कीटनाशी धूमक और प्लास्टिक की जानकारी। 2. किसी प्रकाशित अनुसंधान कार्य का सबूत।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, 4. आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ, 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	प्रयोगशाला सहायक	2	श्रेणी-III	रु० 260-6-326-द०रो०-8-350	—	28 वर्ष	अनिवार्य : बी०एस०सी० अथवा इसके समकक्ष अर्हताएं तथा साथ में रसायन प्रयोगशाला में कुछ अनुभव। वांछनीय : टंकण का ज्ञान।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, 4. आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ, 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	रफूगर	2	श्रेणी-III	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रुपए	—	28 वर्ष	अनिवार्य : किसी संग्रहालय में कम से कम दो वर्ष का सूक्ष्म रफूगिरी का अनुभव।
41.	प्रयोगशाला सहायक	1	श्रेणी-III	210-4-226-द०रो०-4-250-द०री०-5-290 रुपए		25 वर्ष	(1) मिडिल स्कूल स्तर या विज्ञान विषयों सहित समतुल्य अर्हताएं (2) प्रयोगशाला कार्य का एक वर्ष का अनुभव।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक सदस्य 4. आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन अपेक्षित है।
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती से	लागू नहीं होता	(1) निदेशक, भारतीय संग्रहालय, (2) भारतीय संग्रहालय का एक वरिष्ठ अधिकारी।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	प्रकाशन अधिकारी	1	श्रेणी-I	1100-50-1600 रु०	प्रवरण	45 वर्ष। उम्मीदवार के पहले से ही रोजगार में होने की स्थिति में प्रवरण समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा छूट दी सकती है।	अनिवार्य : (1) अंग्रेजी या भारतीय इतिहास या संस्कृत या पाली या प्राकृत या फारसी या अरबी पुरातत्व और/अथवा भारतीय इतिहास, कला तथा मानव-विज्ञान में मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष। (2) ले-आउट, टाइपोग्राफी, मुद्रण प्रक्रिया, क्रमबद्ध ब्लाक्स आदि प्रूफरीडिंग सहित प्रकाशन कार्य में व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा अनुभव। (3) संग्रहालय पत्रिका/कला या पुरातत्व प्रकाशनों के सम्पादन में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव। (4) संग्रहालय में सम्मिलित हुए किसी क्षेत्र में अनुसंधान अनुभव और प्रकाशनों सहित कुछ विद्वत्तापूर्ण क्षमता और अनुभव। नोट : यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो प्रवरण समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है। वांछनीय : (1) हिन्दी तथा एक विदेशी भाषा का ज्ञान। (2) संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा तथा किसी विख्यात संग्रहालय या उसी के समान संस्था में 5 वर्ष का अनुभव अथवा किसी संग्रहालय अथवा उसके समतुल्य संस्था में 7 वर्ष का अनुभव।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	पदोन्नति से, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति : ग्रेड में 10 वर्षों की सेवा सहित प्रकाशन अधीक्षक	(1) अध्यक्ष, न्यास मण्डल, भारतीय संग्रहालय (2) न्यासों द्वारा अपने में से नामांकित एक सदस्य। (3) निदेशक, भारतीय संग्रहालय। (4) जिस विषय के लिए पद रखा गया है उसके ज्ञान का एक विशेषज्ञ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों द्वारा यथा अपेक्षित है, न्यास मण्डल, भारतीय संग्रहालय नियुक्ति प्राधिकारी है। भारतीय संग्रहालय नियमों की व्यवस्था के अनुसार श्रेणी-I अधिकारियों के लिए प्रवरण समिति द्वारा चनाव किया जाना है।

1	2	3	4	5	6	7	8
43.	प्रशिक्षक (प्रकाशन)	1	श्रेणी-II अराजपत्रित	550-25-750-द०रो० प्रवरण 30-900 रु०		35 वर्ष। उम्मीदवार के पहले से रोजगार में होने की स्थिति में प्रवरण समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा आयु में छूट दी जी सकती है।	अनिवार्य: (1) भारतीय इतिहास या श्रेणी भाषा या पुरातत्व या प्राकृतिक विज्ञान में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री उसके समकक्ष आनर्स डिग्री तथा प्रकाशन कार्य में व्यावहारिक प्रशिक्षण अथवा अनुभव। (2) कला या पुरातत्व-विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञानों के प्रकाशन कार्य में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। अथवा किसी विख्यात संग्रहालय अधिमानतः किसी संग्रहालय प्रकाशन अनुभाग में प्रूफ रीडर के पद पर 10 वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का कम से कम स्नातक। नोट: यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो प्रवरण समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा रियायत दी जा सकती है। वांछनीय: (1) संग्रहालय संग्रहों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य का अनुभव। (2) प्रशासनिक कार्य का अनुभव। (3) मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा तथा किसी विख्यात संग्रहालय में एक वर्ष का अनुभव अथवा किसी विख्यात संग्रहालय में 3 वर्षों का अनुभव। (4) हिन्दी का ज्ञान।

9	10	11	12	13	14
कोई नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति: उसी ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा सहित प्रूफ रीडर	(1) भारतीय संग्रहालय के न्यास मण्डल का अवैतनिक सचिव। (2) निदेशक, भारतीय संग्रहालय (3) न्यासों द्वारा मनोनीत एक सदस्य (4) जिस विषय के लिए पद है उस विषय का एक विशेषज्ञ। (5) भारत सरकार का एक प्रतिनिधि यदि भारत सरकार ऐसा चाहे	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	प्रूफ रीडर	*3	श्रेणी-3 अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय	380-12-500-द०रो०-15-560 रु०	प्रवरण	28 वर्ष	अनिवार्य : (1) प्रूफ रीडर के रूप में कम से कम 5 वर्षों के अनुभव सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा। हिन्दी के लिए : प्रूफ रीडर के रूप में कम से कम 5 वर्षों के अनुभव सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा जिसमें हिन्दी भी एक विषय हो। वांछनीय : (1) मुद्रण कार्य में प्रशिक्षण/ज्ञान। (2) हिन्दी का ज्ञान।

*एक पद हिन्दी के लिये आरक्षित है।

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति से	उसी ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा सहित कापी होल्डर से पदोन्नति द्वारा एक पद	(1) भारतीय संग्रहालय न्यास मण्डल के अवैतनिक सचिव; (2) निदेशक, भारतीय संग्रहालय; (3) भारतीय संग्रहालय से सबंधित मामलों के प्रभारी मंत्रालय के रूप में भारत सरकार के सचिव द्वारा नामजद एक व्यक्ति; (4) जबभी आवश्यक समझा जाए सहयोजित सदस्य के रूप में एक विशेषज्ञ को सम्बद्ध करना ; (5) न्यास द्वारा नामजद एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	कापी होल्डर	*3	श्रेणी-3	260-6-290-द०रो०-326-8-द०रो०-10-400 रु०	—	28 वर्ष	कापी होल्डर के पद पर कम से कम 3 वर्ष के अनुभव सहित मेट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष। हिन्दी के लिए : कापी होल्डर के पद पर कम से कम 3 वर्ष के अनुभव सहित हिन्दी सहित मैट्रिकुलेशन अथवा समतुल्य परीक्षा।

*हिन्दी के लिए आरक्षित एक पद।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा शतप्रतिशत	लागू नहीं होता	(1) भारतीय संग्रहालय के न्यास मण्डल के अवैतनिक सचिव ; (2) निदेशक, भारतीय संग्रहालय ; (3) भारतीय संग्रहालय से संबंधित मामलों के मंत्रालय प्रभारी के रूप में भारत सरकार के सचिव द्वारा नामजद एक व्यक्ति ; (4) जब भी आवश्यक समझा जाए, सहयोजित सदस्य के रूप में एक विशेषज्ञ को सम्बद्ध करना ; (5) न्यास द्वारा नामजद एक सदस्य ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	विक्रय क्लर्क एवं स्वागती	1	श्रेणी-3 अराजपत्रित गैर-लिपिक वर्गीय	330-10-380-रु०रो० 12-500-रु०रो०-15-560रु०	—	28 वर्ष	अनिवार्य : (1) स्नातक अथवा समकक्ष । (2) कम से कम 2 वर्ष का स्वागती के रूप में कार्य अनुभव । वांछनीय : (1) बंगला भाषा के अतिरिक्त हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान । (2) संग्रहालय के कार्य का अच्छा ज्ञान ।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 % सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(1) भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव ; (2) निदेशक, भारतीय संग्रहालय ; (3) भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से सम्बन्धित कार्य के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति (4) आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ; (5) न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य ।	भारतीय संग्रहालय नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित ।

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	बिक्री वर्धक	1	श्रेणी 3 अराजपत्रित गैर-लिपिक वर्गीय	रु० 330-10-380-द० रो०-12-500-द०रो०-15-560	—	28 वर्ष	आवश्यक : (1) स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा पास। (2) विशाल संग्रहालय के किसी बिक्री विभाग में, अथवा प्रकाशनों, फोटोग्राफों तथा प्रलेखों इत्यादि की बिक्री बढ़ाने वाली प्रसिद्ध वाणिज्यिक संस्था में एवं बिक्री वर्धक, बिक्री प्रतिनिधि तथा स्वागत अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव। (3) बंगाली के अतिरिक्त अंग्रेजी तथा हिन्दी का भी व्यावहारिक ज्ञान। वांछनीय : (1) संग्रहालय के कामकाज में अच्छा ज्ञान होना। (2) टाइपिंग का ज्ञान।
48.	पैकर	2	श्रेणी-4	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	—	25 वर्ष	(1) मिडिल कक्षा उत्तीर्ण (2) व्यावसाय में व्यावहारिक अनुभव।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(1) भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव; (2) निदेशक, भारतीय संग्रहालय; (3) भारतीय संग्रहालय से सम्बन्धित मामलों में भारत सरकार के मंत्रालय के प्रभारी सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति; (4) जबकि आवश्यक समझा जाए, एक विशेषज्ञ को सह-सदस्य के रूप में शामिल किया जाए; (5) न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय अजायबघर के नियमाधीन अपेक्षित है।
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(1) निदेशक, भारतीय संग्रहालय; (2) भारतीय संग्रहालय का एक वरिष्ठ अधिकारी।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	हैड माडलर	1	श्रेणी-2	550-25-750-द०रो०-30-900 रु०	प्रवरण	35 वर्ष उम्मीदवारों के पहले से रोजगार में रहने की स्थिति में प्रवरण समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा छूट दी जा सकती है।	अनिवार्य : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से माडलिंग वास्तुकला में डिग्री अथवा डिप्लोमा। (2) वास्तुकला माडल तथा प्रयुक्त कार्य करने की जिम्मेदार हैसियत में लगभग 5 वर्ष का अनुभव। नोट : यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो प्रवरण समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है। वांछनीय : डायग्राम तथा स्केल माडल बनाने का ज्ञान।

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति : एक ही ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष के अनुभव सहित तकनीकी सहायक (माडलिंग) या माडलर्स (425-700 रु०)	(1) भारतीय संग्रहालय न्यास बोर्ड के अवैतनिक सचिव ; (2) निदेशक; भारतीय संग्रहालय ; (3) न्यास द्वारा नामजद एक सदस्य ; (4) जिस विषय के लिए पद रखा गया है उस विषय के ज्ञान में विशेषज्ञ; (5) यदि भारत सरकार चाहे तो भारत सरकार का एक प्रतिनिधि।	जैसाकि भारतीय संग्रहालय के नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	तकनीकी सहायक	1	श्रेणी-3	425-15-500-द०रो० 15-560-20-700 रु०	—	28 वर्ष/प्रवरण समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा छूट दी जा सकती है।	अनिवार्य :— (1) मैट्रिक अथवा समतुल्य परीक्षा पास। (2) किसी मान्यताप्राप्त कला कालेज अथवा माडलिंग में विशिष्टता सहित किसी समतुल्य कला संस्था से डिग्री अथवा डिप्लोमा। (3) माडलिंग में कम से कम 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। वांछनीय : संग्रहालय कार्य में जानकारी अथवा अनुभव।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(1) भारतीय संग्रहालय न्यास मण्डल का अवैतनिक सचिव। (2) निदेशक, भारतीय संग्रहालय। (3) भारतीय संग्रहालय से संबंधित मामलों के भारत सरकार के मंत्रालय प्रभारी के सचिव द्वारा नामजद एक व्यक्ति। (4) जब भी आवश्यक समझा जाए एक सहयोजित सदस्य के रूप में शामिल होने वाला एक विशेषज्ञ। (5) न्यासों द्वारा नामजद एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय के नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
51.	माडलर	3	श्रेणी-3	425-15-500-व०रो०-15-560-20-700 रुपये।	—	28 वर्ष। प्रवरण समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा इसमें छूट दी जा सकती है।	अनिवार्य : 1. अन्तिम स्कूल अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. माडलिंग में विशिष्टिकरण सहित किसी मान्यताप्राप्त कला कालेज अथवा इसके समकक्ष समतुल्य संस्था से कला में डिग्री अथवा डिप्लोमा। 3. माडलिंग में कम से कम 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। वांछनीय : संग्रहालय कार्य का ज्ञान अथवा अनुभव।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(1) भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अवैतनिक सचिव। (2) निदेशक, भारतीय संग्रहालय। (3) भारतीय संग्रहालय से संबंधित मामलों के प्रभारी मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव द्वारा मनोनीत व्यक्ति। (4) जब कभी भी यह जरूरी समझा जाए, एक विशेषज्ञ को सहयोजित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। (5) न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	भारतीय संग्रहालय के नियमों में यथाअपेक्षित

1	2	3	4	5	6	7	8
52.	माडलर	1	श्रेणी-III	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रु०	—	28 वर्ष	अनिवार्य : पैरिस प्लास्टर, सीमेंट तथा मिट्टी में सिक्कों, मोहरों, कोमे तथा पाषाण मूर्तियों आदि को तैयार करने के प्रयोजनों से उनको गढ़ना ।
53.	अधीक्षक (प्रस्तुतीकरण)	1	श्रेणी-II	550-25-750-द०रो०-30-900 रु०	चयन द्वारा	35 वर्ष। यदि उम्मीदवार पहले से ही रोजगार में हो, तो उसके मामले में चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा उसमें छूट दी जा सकती है।	(1) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से चित्रकला, अथवा नक्शानवीश, अथवा माडलिंग सहित ललित-कला में डिप्लोमा। (2) किसी प्रतिष्ठित संग्रहालय अथवा तुलनीय संस्था में गैलरी प्रदर्शनी संबंध में गैलरी प्रदर्शन, डिजाइन और माडलिंग से संबंधित कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। किसी सुसंगत संस्था तकनीकी स्टाफ के पर्यवेक्षण का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

9	10	11	12	13	14
लाग नहीं होता	दो वर्ष	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(1) भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अवैतनिक सचिव। (2) निदेशक, भारतीय संग्रहालय। (3) भारतीय संग्रहालय से संबंधित मामलों के प्रभारी मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव द्वारा मनोनीत व्यक्ति। (4) जब कभी भी यह जरूरी समझा जाए एक विशेषज्ञ को सहयोजित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। (5) न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	भारतीय संग्रहालय नियमों में यथा-अपेक्षित।
नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : ऐसे कलाकार को जिसने उक्त ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो।	(1) भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव। (2) निदेशक, भारतीय संग्रहालय। (3) न्यासियों द्वारा मनोनीत सदस्य। (4) उसी प्रशाखा की जानकारी रखने वाला एक विशेषज्ञ जिस विषय से पद संबंधित है। (5) भारत सरकार का एक प्रतिनिधि, यदि भारत सरकार ऐसा करना चाहे।	भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन यथा अपेक्षित।

1	2	3	4	5	6	7	8
54.	प्रदर्शन तथा डिजाइनिंग अधिकारी	1	श्रेणी-II	550-25-750-द०रो०-30-900 रु०	चयन द्वारा	35 वर्ष यदि उम्मीदवार पहले से ही रोजगार में हो, तो उसके मामले में चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा उसमें छूट दी जा सकती है।	(1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ललितकला, अथवा प्रेंटिंग अथवा मॉडलिंग या नक्शानवीसी में डिग्री अथवा डिप्लोमा। (2) किसी लोकप्रिय संग्रहालय अथवा तुलनीय संस्था में प्रदर्शन डिजाइनिंग, माडलिंग तथा प्रदर्शनी का प्रबन्ध करने से संबंधित कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। (3) किसी संग्रहालय अथवा तुलनीय संस्था में तकनीकी स्टाफ के काय में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।
55.	नक्शानवीस (ड्राफ्टसमैन)	1	श्रेणी-III	425-15-500-द० रो०-15-560-20-700 रु०	—	28 वर्ष	अनिवार्य :— किसी मान्यताप्राप्त संस्था से नक्शानवीसी में डिप्लोमा तथा कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

9	10	11	12	13	14
नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति :— ड्राफ्टसमैन, जिसने ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष सेवा की हो	(i) भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव। (ii) निदेशक, भारतीय संग्रहालय। (iii) न्यासियों द्वारा मनोनीत सदस्य। (iv) उसी प्रशाखा की जानकारी रखने वाला एक विशेषज्ञ, जिस विषय से पद संबंधित हो। (v) भारत सरकार का एक प्रतिनिधि यदि भारतीय सरकार ऐसा करना चाहे।	भारतीय संग्रहालय नियमों के अधीन यथा अपेक्षित।
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रत्यक्ष-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(i) भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अवैतनिक सचिव। (ii) निदेशक, भारतीय संग्रहालय। (iii) भारतीय संग्रहालय से संबंधित मामलों के प्रभारी मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव द्वारा मनोनीत व्यक्ति। (iv) जब कभी भी यह जरूरी समझा जाये, एक विशेषज्ञ को सहयोजित सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा। (v) न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	भारतीय संग्रहालय नियमों में यथा अपेक्षित।

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	आर्टिस्ट	1	श्रेणी-III	380-12-440-द० रो०-15-560-द० रो-20-640 रु०	--	28 वर्ष	अनिवार्य :— (i) मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यता प्राप्त कला कालेज अथवा तुलनीय संस्था से चित्रकला, वाणिज्यक कला में डिग्री अथवा डिप्लोमा। – (iii) प्रदर्शनी, चित्रकला और मॉडल आदि को तैयार करने में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। वांछनीय :— संग्रहालय कार्य में ज्ञान अथवा अनुभव।
57.	संग्रहालय उप-कामक (केबिनेट-मेकर)	1	श्रेणी-III	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480-रु०	चयन द्वारा	28 वर्ष	संग्रहालय की प्रदर्शनीय वस्तुओं के लिये विशेषकर आधुनिक प्रदर्शन मंजूषा केबिनेट निर्माण तथा मूल डिजाइन और कार्य निष्पादन में उसके अधीन काम करने वाले बढ़ईयों का मार्गदर्शन करने के अनुभव सहित उच्चनिपुणता प्राप्त बढ़ई।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(1) भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अवैतनिक सचिव। (2) निदेशक, भारतीय संग्रहालय। (3) भारतीय संग्रहालय से संबंधित मामलों के प्रभारी मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव द्वारा मनोनीत व्यक्ति। (4) जब कभी भी यह जरूरी समझा जाये, एक विशेषज्ञ को सहयोजित सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा। (5) न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	भारतीय संग्रहालय नियमों में यथा अपेक्षित।
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति कम से कम तीन वर्ष के अनुभव सहित बढ़ई	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव, 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय। 3. भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, 4. आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ। 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	भारतीय संग्रहालय नियमों में यथा अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
58.	संग्रहालय तैयार-कर्ता (स्प्रे पेंटर)	1	श्रेणी-III	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480-रु०	—	28 वर्ष	स्प्रे चित्रकला तथा विद्युत् चालित स्प्रे पेंटिंग मशीन को भी चलाने का पर्याप्त ज्ञान। कम से कम इस कार्य का 3 वर्ष का अनुभव हो। संग्रहालय प्रदर्शन मंजूषा, प्रदर्शनी, पेनलों, कैबिनिटों आदि के लिये उक्त चित्रकला की विशेष रुचि रखने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।
59.	मार्कसमैन	2	श्रेणी-III	260-6-326-द०रो०-8-350-रु०	—	28 वर्ष	अनिवार्य :— कम से कम तीन वर्ष के अनुभव सहित लेबल, नामपट्ट, इश्तिहार आदि लिखने का ज्ञान। वांछनीय : किसी भी संग्रहालय का अनुभव।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(1) भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव। (2) निदेशक, भारतीय संग्रहालय। (3) भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति। (4) आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ। (5) न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	भारतीय संग्रहालय नियमों में यथा उपेक्षित
लागू नहीं होता।	2 वर्ष	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(1) भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव (2) निदेशक, भारतीय संग्रहालय। (3) भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के के सचिव द्वारा मनोनीत एक सदस्य। (4) आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ। (5) न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	भारतीय संग्रहालय नियमों के यथा अपेक्षित।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60.	बढ़ई	4	श्रेणी-III	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	—	28 वर्ष	(i) निपुण (कुशल) बढ़ई। (ii) बढ़ई के रूप में कम-से कम तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	2 वर्ष	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(1) भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड का अवैतनिक सचिव। (2) निदेशक, भारतीय संग्रहालय। (3) भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय से संबंधित कार्यों के प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति। (4) आवश्यकता पड़ने पर सहयोजित सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जाने वाला एक विशेषज्ञ। (5) न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	भारतीय संग्रहालय नियमों में यथा अपेक्षित।
61.	पालिश मिस्त्री	1	श्रेणी-III	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	—	28 वर्ष	अनिवार्य :— सभी प्रकार के पालिशिंग कार्य में पर्याप्त ज्ञान। वांछनीय :— किसी संग्रहालय अथवा किसी तुलनीय संस्था में उत्कृष्ट पालिशिंग कार्य का अनुभव अपेक्षित है।	लागू नहीं होता	2 वर्ष	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(1) भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अवैतनिक सचिव। (2) निदेशक, भारतीय संग्रहालय। (3) भारतीय संग्रहालय से संबंधित मामलों के प्रभारी मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव द्वारा मनोनीत व्यक्ति। (4) जब कभी भी आवश्यक समझा जायेगा, एक विशेषज्ञ को सहयोजित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। (5) न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
62.	फिटर	1	श्रेणी-IV	210-4-226-द०रो०-4-250-द०रो०-290 रु०	—	28 वर्ष	(i) कुशल बढ़ई। (ii) बढ़ई के रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।
63.	वरिष्ठ फोटोग्राफर	1	श्रेणी-II	550-25-750-द० रो०-30-900 रु०	प्रवरण	35 वर्ष पहले से ही सेवारत उम्मीदवारों के मामले में प्रवरण समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा रियायत दी जा सकती है।	अनिवार्य :— (i) विज्ञान विषयों के साथ मैट्रिक-परीक्षा अथवा इसके समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फोटोग्राफी में डिप्लोमा अथवा उसके समतुल्य। अथवा फोटोग्राफी में लगभग 5 वर्ष का अनुभव, जिसमें डार्क-रूम कार्य तथा कला कृतियों की फोटोग्राफी भी शामिल है और जिसमें 3 वर्ष का अनुभव किसी संग्रहालय/पुरातत्व अथवा किसी विख्यात स्टुडियो का होना चाहिये। टिप्पणी :—यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो प्रवरण समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है। वांछनीय :—किसी आधुनिक फोटोग्राफिक स्टुडियो को स्थापित करने का अनुभव।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	गत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(1) निदेशक, भारतीय संग्रहालय। (2) भारतीय संग्रहालय का एक वरिष्ठ अधिकारी।	लागू नहीं होता।
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा यदि ऐसा न हो सके तो सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति : फोटोग्राफर जिसकी ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो।	(1) भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अवैतनिक सचिव। (2) निदेशक, भारतीय संग्रहालय। (3) न्यासियों द्वारा मनोनीत सदस्य। (4) पद से संबंधित विषय में एक विशेषज्ञ। (5) भारत सरकार का एक प्रतिनिधि, यदि भारत सरकार ऐसा चाहे तो।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	फोटोग्राफर	1	श्रेणी III	425-15-500-ई० रो०-15-560-20-700 रु०	प्रवरण	28 वर्ष	अनिवार्य : 1. मैट्रिक पास अथवा उसके समतुल्य । 2. किसी संग्रहालय अथवा पुरातत्व विभाग अथवा किसी विख्यात स्टुडियो में फोटोग्राफी तथा डार्क रूम कार्य में 5 वर्ष का अनुभव । वांछनीय : फोटोग्राफी में डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र ।
65.	डार्क रूम सहायक	1	श्रेणी III	330-10-380-ई० रो०-12-500-ई० रो०-15-560 रु०	प्रवरण	28 वर्ष	1. मैट्रिक पास अथवा उसके समतुल्य अर्हता । 2. फोटोग्राफी तथा डार्क रूम में सभी प्रकार के कार्य का दो वर्ष का अनुभव ।

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	50% पदोन्नति द्वारा, यदि ऐसा न हो सके तो तो सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति : ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा सहित डार्क रूम सहायक	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अवैतनिक सचिव । 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय । 3. भारतीय संग्रहलाय से संबन्धित मामलों के प्रभारी मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति । 4. जब कभी भी आवश्यक समझा जाएगा एक विशेषज्ञ को सहयोजित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा । 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है
नहीं	2 वर्ष	50% पदोन्नति द्वारा, यदि ऐसा न हो सके तो सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति : ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा सहित फोटोग्राफी परिचर/फोटो प्रिंटर	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अवैतनिक सचिव । 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय । 3. भारतीय संग्रहालय से संबन्धित मामलों के प्रभारी मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति । 4. जब कभी भी आवश्यक समझा जाएगा, एक विशेषज्ञ को सहयोजित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा । 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
66.	फोटोप्रिंटर	1	श्रेणी III	260-6 326-द०रो०-8-350 रु०	--	28 वर्ष	1. फोटोग्राफी के ज्ञान सहित स्कूल फाइनल उत्तीर्ण । 2. किसी विख्यात फर्म में फोटोप्रिंटर के के रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव ।
67.	फोटोग्राफी सहायक	1	श्रेणी III	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	--	28 वर्ष	1 मैट्रिक पास अथवा उसके समतुल्य अर्हताएं । 2. फोटोग्राफी का ज्ञान ।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अवैतनिक सचिव । 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय । 3. भारतीय संग्रहालय से संबन्धित मामलों के प्रभारी मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति । 4. जब कभी भी आवश्यक समझा जाएगा, एक विशेषज्ञ को सहयोजित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा । 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है ।
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अवैतनिक सचिव । 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय । 3. भारतीय संग्रहालय से संबन्धित मामलों के प्रभारी मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति । 4. जब कभी भी आवश्यक समझा जाएगा, एक विशेषज्ञ को सहयोजित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा । 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	पुस्तकाध्यक्ष	1	श्रेणी II	550-25-750-द०रो०-30-900 रु०	प्रवरण	35 वर्ष पहले से ही सेवारत उम्मीदवारों के मामले में, प्रवरण समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा रियायत दी जा सकती है ।	अनिवार्य : 1. भारतीय इतिहास अथवा मानव विज्ञान अथवा कला में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर अथवा उसके समतुल्य आनर्स डिग्री । 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था का, लाइब्रेरी विज्ञान में डिप्लोमा । 3. भारत में किसी चिर प्रचलित पुस्तकालय, अधिमानतः किसी संग्रहालय पुस्तकालय में 7 वर्ष का अनुभव । 4. पुरातत्व-विज्ञान/कला/मानव-विज्ञान पर प्रकाशित कार्य के प्रमाण सहित अनुसंधान का अनुभव । टिप्पणी:--यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो प्रवरण समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है ।

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, यदि ऐसा न हो सके तो सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नति : ग्रेड में 7 वर्ष की सेवा सहित सहायक पुस्तकाध्यक्ष	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अवैतनिक सचिव । 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय । 3. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य । 4. पद से संबन्धित विषय में एक विशेषज्ञ । 5. भारत सरकार का एक प्रतिनिधि, यदि भारत सरकार ऐसा चाहे तो ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
69.	सहायक पुस्तकाध्यक्ष	1	श्रेणी III	425-15-500-द०रो० 15-560-20-700 रु०	--	28 वर्ष (प्रवरण समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा रियायत दी जा सकती है)	अनिवार्य : 1. प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति अथवा मानव विज्ञान अथवा पुरातत्व-विज्ञान अथवा संग्रहालय से संबंधित अन्य संबद्ध विषय में किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय की मास्टर अथवा उसके समतुल्य आनर्स डिग्री । 2. पुस्तकालय-विज्ञान में डिप्लोमा । 3. किसी विख्यात चिर-प्रचलित पुस्तकालय में एक वर्ष का अनुभव

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अवैतनिक सचिव । 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय । 3. भारतीय संग्रहालय से संबन्धित मामलों के प्रभारी मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति । 4. जब कभी भी आवश्यक समझा जाएगा, एक विशेषज्ञ को सहयोजित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा । 5. न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
70.	सार्टर	—	श्रेणी 4	210-4-226-द०रो० 4-250-द०रो०-5-290	प्रवरण	28 वर्ष	1. स्कूल का मिडिल कक्षा स्तर । 2. किसी थिर-प्रचलित पुस्तकालय, अधिमानतः किसी संग्रहालय पुस्तकालय में 5 वर्ष का अनुभव ।
71.	पुस्तकालय चपरासी	1	श्रेणी 4	रु० 200-3-206-4-234-द०रो०-4-250	चयन	25 वर्ष	श्रेणी 8 स्तर
72.	प्रशासनिक अधिकारी	1	श्रेणी 2	रु० 840-40-1000-द०रो०-40-1200	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	100% पदोन्नति द्वारा ।	पदोन्नति : ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की सेवा वाला पुस्तकालय चपरासी	1. निदेशक, भारतीय संग्रहालय । 2. भारतीय संग्रहालय का एक वरिष्ठ अधिकारी ।	लागू नहीं होता
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : चपरासी अथवा वाहक अथवा संग्रहालय परिचर अथवा दरबान	1. निदेशक, भारतीय संग्रहालय । 2. भारतीय संग्रहालय का एक वरिष्ठ अधिकारी ।	लागू नहीं होता
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	पदोन्नति : ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा वाले कार्यालय अधीक्षक (रु० 550-900) प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति : केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं का उपयुक्त अधिकारी	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी मंडल के अवैतनिक सचिव । 2. निदेशक, भारतीय संग्रहालय । 3. न्यासियों द्वारा नामांकित एक सदस्य । 4. जिस ब्रांच से संबन्धित पद है उस ब्रांच का एक विशेषज्ञ । 5. यदि भारत सरकार की इच्छा हो तो, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि ।	भारतीय संग्रहालय नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित

1	2	3	4	5	6	7	8
73.	कार्यालय अधीक्षक	1	श्रेणी II	रु० 550-25-750-द०रो०-30-900	—	35 वर्ष	1. कम से कम किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक । 2. स्थापना में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव जिसमें सरकारी विभाग अथवा किसी प्रतिष्ठित संगठन के लेखों का अनुभव शामिल है और इसमें भी दो वर्ष तक पर्यवेक्षक की हैसियत से कार्य किया होना चाहिए।
74.	हैड सहायक	1	श्रेणीIII	लिपिकवर्गीय रु० 425-15-500-द०रो०-15-560-20-700	चयन	28 वर्ष	अनिवार्य : 1. कम से कम किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक ; 2. किसी बड़े संगठन में कम से कम 5 वर्ष का सचिवालीय कार्य का अनुभव । वांछनीय : प्रशासन एवं लेखों का पर्याप्त अनुभव

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : कम से कम 5 वर्ष के अनुभव सहित हैड सहायक	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी मंडल के अवैतनिक सचिव । 2. निदेशक भारतीय, संग्रहालय । 3. न्यासियों द्वारा नामांकित सदस्य । 4. जिस विषय से पद संबंधित है उसका एक विशेषज्ञ । 5. यदि भारत सरकार की इच्छा हो तो, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि ।	भारतीय संग्रहालय नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित ।
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : अपर श्रेणी लिपिक अथवा लेखापाल अथवा आशुलिपिक अथवा भंडारी (पदोन्नत)	1. भारतीय संग्रहालय के न्यासी मंडल के अवैतनिक सचिव । 2. निदेशक भारतीय संग्रहालय । 3. भारतीय संग्रहालयों से संबंधित प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा नामांकित कोई व्यक्ति । 4. जहां भी आवश्यक हो सहयोजित सदस्य के रूप में एक विशेषज्ञ । 5. न्यासियों द्वारा नामांकित एक सदस्य ।	भारतीय संग्रहालय नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75.	आशुलिपिक	2	श्रेणी-III लिपिक-वर्गीय	रु० 330-10-380-द०रो०-12-500-15-560	—	28 वर्ष	(i) स्नातक अथवा उसके समकक्ष अर्हता (ii) आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट और टाइप में 40 शब्द प्रति मिनट की गति।	लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(1) भारतीय संग्रहालय के न्यासी मण्डल के अवैतनिक सचिव। (2) निदेशक, भारतीय संग्रहालय। (3) भारतीय संग्रहालयों के मामलों से संबंधित प्रभारी मन्त्रालय के सचिव द्वारा नामांकित एक व्यक्ति। (4) जहाँ कहीं आवश्यक हो सहयोजित सदस्य के रूप में एक विशेषज्ञ को सम्मिलित किया जाए। (5) न्यासियों द्वारा नामांकित एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालयों नियमों में अपेक्षित है।
76.	आशु श्रेणी लिपिक	4	श्रेणी-III लिपिक-वर्गीय	रु० 330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560	चयन	28 वर्ष	स्नातक/किसी कार्यालय/संग्रहालय आदि में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव सहित सभी प्रकार के सचिवालीय कार्यों में अर्हक।	नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : रोकड़िया अथवा कोर्ट क्लर्क अथवा अवर श्रेणी लिपिक अथवा टाइपिस्ट अथवा गेट क्लर्क	(1) भारतीय संग्रहालय के न्यासी मण्डल के अवैतनिक सचिव। (2) निदेशक, भारतीय संग्रहालय। (3) भारतीय संग्रहालय के मामलों से संबंधित प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा नामांकित एक व्यक्ति। (4) जहाँ कहीं आवश्यक हो सहयोजित सदस्य के रूप में विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाए। (5) न्यासियों द्वारा नामांकित एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
77.	भण्डारी (पदो-(न्नति)	1	श्रेणी-III लिपिक वर्गीय	रु० 330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560	चयन	28 वर्ष	(i) मैट्रिकुलेट अथवा उसके समकक्ष अर्हताएँ (ii) भण्डारी के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।
78.	गेट क्लर्क	1	श्रेणी-III लिपिक वर्गीय	रु० 330-8-370-10-400-द० रो०-10-480	चयन	28 वर्ष	(i) मैट्रिकुलेट अथवा उसके समकक्ष। (ii) टाइप की जानकारी।

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : अवर श्रेणी लिपिक अथवा उसी के समकक्ष अन्य।	(1) भारतीय संग्रहालय के न्यासी मण्डल के अवैतनिक सचिव। (2) निदेशक, भारतीय संग्रहालय। (3) भारतीय संग्रहालयों के मामलों से संबंधित प्रभारी-मन्त्रालय के सचिव द्वारा नामांकित एक व्यक्ति। (4) जहाँ कहीं आवश्यक हो सहयोजित सदस्य के रूप में एक विशेषज्ञ को सम्मिलित किया जाए। (5) न्यासियों द्वारा नामांकित एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है।
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : अवर श्रेणी लिपिक अथवा गेट-क्लर्क	(1) भारतीय संग्रहालय के न्यासी मण्डल के अवैतनिक सचिव। (2) निदेशक, भारतीय संग्रहालय। (3) भारतीय संग्रहालयों के मामलों से संबंधित प्रभारी मंत्रालय के सचिव द्वारा नामांकित एक व्यक्ति। (4) जहाँ कहीं आवश्यक हो सहयोजित सदस्य के रूप में एक विशेषज्ञ को सम्मिलित किया जाए। (5) न्यासियों द्वारा नामांकित एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79.	अवर श्रेणी लिपिक	1	श्रेणी-III लिपिक-वर्गीय	रु० 260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400	—	28 वर्ष	(i) मैट्रिकुलेट अथवा उसके समकक्ष अर्हताएं। (ii) टाईप की जानकारी ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(i) भारतीय संग्रहालय के न्यासी मण्डल के अवैतनिक सचिव ; (ii) निदेशक, भारतीय संग्रहालय ; (iii) भारतीय संग्रहालयों के मामलों से संबंधित प्रभारी-मन्त्रालय के सचिव द्वारा नामांकित एक व्यक्ति। (iv) जहाँ कहीं आवश्यक हो सहयोजित सदस्य के रूप में एक विशेषज्ञ को सम्मिलित किया जाए ; (v) न्यासियों द्वारा नामांकित एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित
80.	टाइपिस्ट लिपिक	5	श्रेणी-III लिपिक-वर्गीय	रु० 260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400	—	28 वर्ष	(i) मैट्रिकुलेट अथवा उसके समकक्ष अर्हताएं । (ii) टाईप में गति 40 शब्द प्रति मिनट।	लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(i) भारतीय संग्रहालय के न्यासी मण्डल के अवैतनिक सचिव ; (ii) निदेशक, भारतीय संग्रहालय ; (iii) भारतीय संग्रहालयों के मामलों से संबंधित प्रभारी-मन्त्रालय के सचिव द्वारा नामांकित एक व्यक्ति ; (vi) जहाँ कहीं आवश्यक हो सहयोजित सदस्य के रूप में एक विशेषज्ञ को सम्मिलित किया जाए ; (v) न्यासियों द्वारा नामांकित एक सदस्य ;	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81.	टेलीफोन आपरेटर	1	तीसरी श्रेणी लिपिक वर्गीय	रु० 260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400		28 वर्ष	(i) मट्रिक अथवा समतुल्य। (ii) पी० बी० एक्स में टेलीफोन चालन की जानकारी। (iii) किसी बड़े कार्यालय अथवा स्थापनों में टेलीफोन आपरेटर के रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(i) भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अवैतनिक सचिव; (ii) निदेशक, भारतीय संग्रहालय; (iii) भारतीय संग्रहालय से संबंधित मामलों के प्रभारी मंत्रालयों में भारत सरकार के सचिव द्वारा मनोनीत व्यक्ति; (iv) जब कभी भी आवश्यकता पड़े तो एक विशेषज्ञ को सहयोजित सदस्य के रूप में शामिल करना; (v) न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों में अपेक्षित है।
82.	गेट क्लर्क/द्वार-लिपिक	2	तीसरी श्रेणी लिपिक वर्गीय	रु० 260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400		28 वर्ष	(iv) मैट्रिक पास अथवा इसके समतुल्य योग्यता प्राप्त। (v) टंकणकला की जानकारी।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(i) भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अवैतनिक सचिव; (ii) भारतीय संग्रहालय के निदेशक; (iii) भारतीय संग्रहालय से सम्बन्धित मामलों के प्रभारी मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति। (vi) जब भी आवश्यक समझा जाये तो एक विशेषज्ञ सहयोजित सदस्य के रूप में सम्मिलित करना; (v) न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय के नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
83.	लेखा अधिकारी	1	श्रेणी II	रु० 840-40-1000-द० रो०-40-1200	प्रवरण पद	45 वर्ष प्रवरण समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा इसमें रियायत दी जा सकती है।	(i) द्वितीय श्रेणी स्नातक आनर्स। (ii) लेखा तथा लेखा परीक्षण में, अधीमानत: सरकारी विभाग में जिम्मेवार पद पर, कम से कम 5 सालों का अनुभव। (iii) एस० ए० एस० अथवा समकक्ष लेखा विद्या परीक्षा उत्तीर्ण। नोट:–प्रवरण समिति की सिफारिशों पर अन्यथा उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों के मामलों में अनिवार्य योग्यताओं/अर्हताओं में रियायत।
84.	लेखाकार	1	तीसरी श्रेणी लिपिक वर्गीय	रु० 330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560	प्रवरण पद	28 वर्ष	(i) कम से कम मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का वाणिज्य में स्नातक। (ii) एक बड़ी स्थापना में लेखा सम्बन्धी 3 साल का अनुभव।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति कम से कम 4 वर्ष का अनुभव रखने वाला लेखाकार	(i) भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अवैतनिक सचिव; (ii) निदेशक, भारतीय संग्रहालय; (iii) न्यासियों द्वारा मनोनीत सदस्य; (iv) जिस शाखा से संबंधित पद है उस शाखा का एक विशेषज्ञ; (v) यदि भारत सरकार चाहे, तो एक सरकारी प्रतिनिधि।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय के नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है।
नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : उच्च श्रेणी लिपिक, अथवा रोकड़िया/खजानची अथवा उच्च श्रेणी लिपिक	(i) भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड अवैतनिक सचिव; (ii) भारतीय संग्रहालय के निदेशक; (iii) भारतीय संग्रहालय से संबंधित मामलों के प्रभारी मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति; (iv) जब भी आवश्यक समझा जाये तो एक सहयोजित सदस्य के रूप में सम्मिलित करना; (v) न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय के नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
85.	रोकड़िया	1	तीसरी श्रेणी लिपिक वर्गीय	330-8-370-10-400-व०रो०-10-480 रुपये	प्रवरण पद	28 वर्ष	(i) मैट्रिक पास अथवा समतुल्य योग्यता प्राप्त । (ii) मान्यताप्राप्त संस्था में रोकड़ में तीन साल का अनुभव ।
86.	दफ्तरी	1	चौथी श्रेणी	200-3-206-4-234-व०रो०-4-250 रुपये	प्रवरण	25 वर्ष	आठवीं श्रेणी का स्तर ।
87.	चपरासी	14	चतुर्थ श्रेणी	196-3-220-व०रो०-3-232 रुपये	—	25 वर्ष	आठवीं श्रेणी के स्तर का ।

9	10	11	12	13	14
जी हां	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : अवर श्रेणी लिपिक अथवा समकक्ष ।	(i) भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अवैतनिक सचिव ; (ii) भारतीय संग्रहालय के निदेशक ; (iii) भारतीय संग्रहालय-से संबंधित मामलों के प्रभारी मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति ; (iv) जब भी आवश्यक समझा जाए तो एक विशेषज्ञ सहयोजित सदस्य के रूप में सम्मिलित करना ; (v) न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य ।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय के नियमाधीन अपेक्षित है
नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : चपरासी अथवा सन्देशवाहक अथवा चपरासी अथवा संग्रहालय परिवार अथवा दरबान ।	(i) निदेशक, भारतीय संग्रहालय ; (ii) भारतीय संग्रहालय का एक वरिष्ठ अधिकारी ।	लागू नहीं होता ।
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(i) निदेशक, भारतीय संग्रहालय ; (ii) भारतीय संग्रहालय के वरिष्ठ अधिकारी ।	लागू नहीं होता ।

1	2	3	4	5	6	7	8
88.	चिकित्सा अधिकारी	2	अंशकालीन	200 रु० प्र० मा० निर्धारित	लागू नहीं होता	35 तथा 50 वर्ष के बीच	आवश्यक : सामान्य औषध विज्ञान विशेषज्ञ, तथा 2 साल के उपचार सम्बन्धी अनुभव के साथ मान्यताप्राप्त वि० विद्यालय से एम० बी० बी० एस०। वांछनीय : किसी सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्था में एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत ।
89.	सुरक्षा अधिकारी	1	वर्ग 'क'	700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(i) भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अवैतनिक सचिव; (ii) भारतीय संग्रहालय के निदेशक; (iii) भारतीय संग्रहालय से सम्बन्धित मामलों के प्रभारी मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति; (iv) जब भी आवश्यक समझा जाए तो एक विशेषज्ञ सहयोजित सदस्य के रूप में सम्मिलित करना; (v) न्यासियों द्वारा । मनोनीत एक सदस्य।	जैसाकि भारतीय संग्रहालय नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है।
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पुनर्नियुक्ति द्वारा ऐसा संभव न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	पुनर्नियुक्ति : भूतपूर्व एमर्जेंसी कमीशन अधिकारी अथवा शार्टसर्विस कमीशन अधिकारी अथवा सेना के कैप्टेन स्तर का सेवानिवृत सैनिक सेवा के अधिकारी अथवा इसके समतुल्य सिविल पदों के संदर्भ में निवर्तन की आयु तक पुनर्नियुक्ति । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : उप-अधीक्षक पुलिस जिसका इस सेवा ग्रेड में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों में दो साल का अनुभव हो अथवा पुलिस निरीक्षक जिसका इस सेवा ग्रेड में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन 8 साल का अनुभव हो । प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन साल से अधिक न होगी।	(i) अध्यक्ष, भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड, (ii) न्यासियों द्वारा अपने में से मनोनीत एक सदस्य; (iii) भारतीय संग्रहालय के निदेशक; (iv) जिस विषय से संबंधित पद है उस का विषय का एक विशेषज्ञ।	जैसाकि भारत संग्रहालय नियमाधीन अपेक्षित है, भारतीय संग्रहालय के न्यासियों का बोर्ड ही पुनर्नियुक्ति प्राधिकारी है। भारतीय संग्रहालय नियमाधीन प्रथम श्रेणी अधिकारियों का चयन प्रवरण समिति द्वारा ही किया जायेगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
*90.	सहायक सुरक्षा अधिकारी	1	श्रेणी III	550-20-650-25-750 रुपये	लागू नहीं होता	45 वर्ष लेप्रवरण समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा रियायत की जा सकती है)	अनिवार्य : (i) मैट्रिक/दसवीं पास अथवा इसके समतुल्य योग्यता । (ii) कम से कम जे० सी० ओ० के पद का भूतपूर्व सैनिक अथवा ऐसा पोलिस अधिकारी जिसका पद बाच एण्ड वार्ड स्टाफ के दल से सम्बन्धित अनुभव रखने वाले अधिकारी पद के समतुल्य हो । अथवा (iii) केन्द्रीय संग्रहालय के सुरक्षा विभाग में दूसरी तथा तीसरी श्रेणी के पदों पर काम करने वाले व्यक्ति जिनका— (क) संग्रहालय सुरक्षा दल में कम से कम 5 साल का अनुभव हो; और (ख) सशस्त्र सेना अथवा पुलिस में 5 साल काम किया हो । वांछनीय : सुरक्षा सम्बन्धी कार्य में कम से कम 5 साल का अनुभव ।

*सुरक्षा अधिकारी के वर्तमान पद को सहायक सुरक्षा अधिकारी पद के रूप में पुनः नामित किया जाए जैसे कि भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता की भर्ती प्रणाली विशेष समिति, ने सिफारिश की है ।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति पर, ऐसा सम्भव न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	(i) जे० सी० ओ० अथवा समतुल्य पद के पुलिस अधिकारी जो कि देखभाल तथा सुरक्षा स्टाफ के दल में कार्य का अनुभव रखते हों। (ii) केन्द्रीय संग्रहालय के सुरक्षा विभाग में दूसरी श्रेणी तथा तीसरी श्रेणी वाले व्यक्ति जिसका— (क) कम से कम 5 साल का अनुभव हो, तथा (ख) जिन्होंने सेना अथवा पुलिस में 5 साल तक काम किया हो।	(i) भारतीय संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अवैतनिक सचिव; (ii) भारतीय संग्रहालय के निदेशक; (iii) भारतीय संग्रहालय से संबंधित मामलों के प्रभारी मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति; (iv) जब भी आवश्यक समझा जाए तो एक विशेषज्ञ सहयोजित सदस्य के रूप में सम्मिलित करना; (v) न्यासियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य।	जैसाकि भारतीय संग्रहालय नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
91.	रखवाल	2	श्रेणी-III अलिपिक वर्गीय	330-8-370-10-400-द० रो०-10-480 रु०	लागू नहीं होता	28 वर्ष	(i) मैट्रिकुलेट अथवा समकक्ष। (ii) किसी बड़े संस्थान में सुरक्षा कार्य में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसके पास पर्याप्त योग्यता होगी, इसका पात्र समझा जाएगा।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(i) भारतीय संग्रहालय के न्यासों के मंडल के अवैतनिक सचिव; (ii) निदेशक, भारतीय संग्रहालय; (iii) भारतीय संग्रहालय में संबंधित मामलों के भारत सरकार के मंत्रालय प्रभारी सचिव द्वारा नामांकित व्यक्ति; (iv) जब भी आवश्यक हो, एक विशेषज्ञ के रूप में सहयोजित सदस्य का शामिल करना; (v) न्यासियों द्वारा नामांकित व्यक्ति।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अंतर्गत अपेक्षित हो।

1	2	3	4	5	6	7	8
92.	ड्राईवर-एवं मैकेनिक	1	श्रेणी-III	320-6-326-8-390-10-400 रु०	प्रवरण	28 वर्ष	(क) कार यांत्रिकी में पूर्ण ज्ञान, सामान्य व्यवसाय पटुता तथा मोटर चालक का स्थायी लाइसेंस होने के साथ ड्राईविंग में व्यवसायिक निपुणता। (ख) ड्राइविंग का पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव तथा छोटी-छोटी मरम्मत, आदि करने की योग्यता। वांछनीय : (क) मिडिल कक्षा पास I (ख) भारी वाहन चलाने की क्षमता हो।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	कार/जीप चालक कर्मचारियों के लिए मानक सामर्थ्य को दृष्टि में रखते हुए पद के लिए उपयुक्तता का आकलन करने के लिए निर्धारित चालक परीक्षा के परिणाम के आधार पर, कालम 8 में दी गई अर्हताएं रखने वाले भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के श्रेणी-III के नियमित कर्मचारियों में से स्थानान्तरण द्वारा ।	(i) भारतीय संग्रहालय न्यासियों के मण्डल के अवैतनिक सचिव; (ii) निदेशक, भारतीय संग्रहालय (iii) भारतीय संग्रहालय के संबंधित मामलों के मंत्रालय प्रभारी सचिव, भारत सरकार द्वारा नामांकित एक व्यक्ति; (iv) जब भी आवश्यक हो, एक विशेषज्ञ के रूप में सहयोजित सदस्य को शामिल करना ; (v) न्यासियों द्वारा नामांकित एक व्यक्ति।	जैसा कि भारतीय संग्रहालय नियमों के अंतर्गत अपेक्षित हो।

1	2	3	4	5	6	7	8
93.	लाईन जमादार	1	श्रेणी-IV	200-3-206-4-234-द० रो०-4-250 रु०	प्रवरण	25 वर्ष	कक्षा—VIII स्तर
94.	निरीक्षक	9	श्रेणी-IV	200-3-206-4-234-द० रो०-4-250 रु०	प्रवरण	25 वर्ष	कक्षा—VIII स्तर

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : चपरासी अथवा वाहक अथवा संग्रहालय परिचर अथवा दरबान	(i) निदेशक, भारतीय संग्रहालय; (ii) भारतीय संग्रहालय का एक वरिष्ठ अधिकारी	लागू नहीं होता।
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : चपरासी अथवा वाहक अथवा संग्रहालय परिचर अथवा दरबान	(i) निदेशक, भारतीय संग्रहालय; (ii) भारतीय संग्रहालय का एक वरिष्ठ अधिकारी।	लागू नहीं होता ।

1	2	3	4	5	6	7	8
95.	प्रधान (ट्रैड) माली	1	श्रेणी-IV	200-3-206-4-234-द०रो०-14-250 रु०	प्रवरण	25 वर्ष	कम-से-कम 2 वर्ष का माली के रूप में कार्य का अनुभव।
96.	माली	5	श्रेणी-IV	196-3-220-द० रो० 3-232 रु० ।	—	25 वर्ष	माली का कुछ अनुभव
97.	संग्रहालय परिचर	5	श्रेणी-IV	196-3-220-द० रो०-3-232 रु० ।	—	25 वर्ष	कक्षा -VIII का स्तर
98.	दरबान	73	श्रेणी-IV	196-3-220-द० रो० 3-232 रु० ।	—	25 वर्ष	(i) कक्षा-VIII का स्तर अथवा समकक्ष सशस्त्र सेवा परीक्षा, (ii) भूतपूर्व सशस्त्र सेना कार्मिक, 10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ। टिप्पणी.—यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से पूरी तरह अर्हता प्राप्त है तो चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा अर्हताओं में रियायत दी जा सकती है।
99.	झाड़ूकश (स्वीपर)	21	श्रेणी-IV	196-3-220-द० रो०-3-232 रु०	—	25 वर्ष	झाड़ूकश कार्य का कुछ अनुभव।
100.	क्लीनर	11	श्रेणी-IV	196-3-220-द० रो०-3-232 रु० ।	—	25 वर्ष	किसी विख्यात संग्रहालय में क्लीनर के रूप में कुछ अनुभव।

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : माली	(i) निदेशक, भारतीय संग्रहालय; (ii) भारतीय संग्रहालय का एक वरिष्ठ अधिकारी।	लागू नहीं होता।
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(i) निदेशक, भारतीय संग्रहालय; (ii) भारतीय संग्रहालय का एक वरिष्ठ अधिकारी।	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(i) निदेशक, भारतीय संग्रहालय। (ii) भारतीय संग्रहालय का एक वरिष्ठ अधिकारी।	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(i) निदेशक, भारतीय संग्रहालय; (ii) भारतीय संग्रहालय का एक वरिष्ठ अधिकारी।	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(i) निदेशक, भारतीय संग्रहालय; (ii) भारतीय संग्रहालय का एक वरिष्ठ अधिकारी।	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(i) निदेशक, भारतीय संग्रहालय; (ii) भारतीय संग्रहालय का एक वरिष्ठ अधिकारी।	लागू नहीं होता

[सं० एफ० 11-6/73-सी० ए०-I(5)]

जे० एम० गुगनानी, सहायक शिक्षा सलाहकार

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(Department of Culture)

(CAI (5) Section)

New Delhi, the 22nd January, 1977

G.S.R. 194.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 15-A of the Indian Museum Act, 1910, and in supersession of the Indian Museum Recruitment Rules, 1970, except as respective things done or omitted to be done, the Central Government hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the posts in the Indian, Museum, Calcutta, namely.—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Museum Recruitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule annexed hereto.

3. Number of posts, Classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (3) to (5) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (6) to (13) of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Board of Trustees, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving.—Nothing in these rules shal affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
2		3	4	5	6	7	8
1.	Director	1	Class-I	Rs. 2000-125/2-2250	—	50 years. Relaxable by the Board of Trustees (hereinafter referred to as the Board) on the recommendations of the Selection Committee.	Essential:— (i) Master's or equivalent Honours degree of a recognised University in Indian History or Archaeology or Anthropology or Sanskrit or Arabic or Fine Arts or Pali or Prakrit or Persian or a combination. (ii) Research experience (Documentary evidence to be produced). (iii) 10 years' experience in a Museum of standing and 5 years' administrative experience in a responsible post. (iv) Knowledge of Indian antiquities, Archaeology, excavation, Museums and publications; Indian Arts and decorative arts.

1	2	3	4	5	6	7	8
							(v) Scholarly publications of some volume and variety. Note.—Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified. Desirable:— (i) Study abroad on Museums ; travel abroad in at least 2 countries notable for Museum development. (ii) Diploma in Museology or equivalent knowledge and experience in Museological, philosophy and techniques.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation/ transfer from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a Selection Committee exists, what is composition	Circumstances in which the Board of Trustees of the Indian Museum is to be consulted in making recrt.
9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years.	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) Chairman, Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) a member nominated by the Trustees from amongst themselves; (iii) the Hony. Secretary Indian Museum; (iv) two experts in the branch of knowledge to which the post pertains.	As required by the Indian Museum Rules, the Board of Trustees, Indian Museum, is the appointing authority. The selection has to be made by the Selection Committee for Class-I Officers as provided in the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	P.A.-cum-Stenographer	1	Class-III Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Selection	28 years	Essential : (a) At least a Graduate of a recognised University. (b) 7 years' service as Stenographer having a speed of 120 w.p.m. in Shorthand and 40 w.p.m. in typewriting respectively.

9	10	11	12	13	14
No.	2 years	100% by promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : Stenographers (working in the grade of pay of Rs. 330—560 with 7 years' service in the grade.	(i) the Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum ; (ii) The Director Indian Museum ; (iii) A person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum ; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary ; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Keeper (Anthropology)	1	Class I	Rs. 1100-50-1600	Selection	45 years. Relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates already in employment.	Essential : (i) Master's degree of a recognised University or equivalent in Anthropology. (ii) Diploma in Museology and 5 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. OR 7 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. (iii) Research experience with evidence of published research work. (iv) Field experience and practical training in Anthropology. Note : Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.

9	10	11	12	13	14
No	2 Years	By promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : Deputy Keeper (Anthropology) with 5 years' service in the grade.	(i) Chairman, Board of Trustees of the Indian Museum ; (ii) A member nominated by the Trustees from amongst themselves ; (iii) The Director, Indian Museum ; (iv) One expert in the branch of knowledge to which the post pertains.	As required by the Indian Museum Rules, the Board of Trustees, Indian Museum is the appointing authority. The selection has to be made by the Selection Committee for Class I Officers as provided in the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Deputy Keeper (Anthropology)	1	Class I	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300	Not applicable.	45 years.	Essential : (i) Master's or equivalent Honours degree of a recognised University in Anthropology. (ii) Diploma in Museology and 3 years' experience in a Museum of standing in a Museum of standing or a comparable institution. OR 5 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. (iii) Research experience with evidence of published research work. Desirable : Field experience of practical training in organising exhibitions or in techniques of graphic presentation. Note : Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not Applicable	(i) Chairman, Board of Trustees of the Indian Museum ; (ii) A member nominated by the Trustees from amongst themselves ; (iii) Director, Indian Museum ; (iv) One expert in the branch of knowledge to which the post pertains.	As required by the Indian Museum Rules, the Board of Trustees, Indian Museum, is the appointing authority. The selection has to be made by the Selection Committee for Class-I Officers as provided in the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Deputy Keeper (Pre-History)	1	Class-I	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300	Not applicable	45 Years. Relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee.	Essential : (i) Master's degree of a recognised University in Archaeology or in Anthropology (with special knowledge in Pre-History). (ii) Diploma in Museology and 3 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. OR 5 years' experience in a Museum or a comparable institution. (iii) Research experience with evidence of published research work. (iv) Field experience and practical training in Pre-History. Desirable : Degree or Diploma in Pre-History. Note : Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.

9	10	11	12	13	14
Not applicable.	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) Chairman, Board of Trustees of the Indian Museum. (ii) A member nominated by the Trustees from amongst themselves. (iii) Director, Indian Museum. (iv) one expert in the branch of knowledge to which the post pertains.	As required by the Indian Museum Rules, the Board of Trustees, is the appointing authority. The Selection has to be made by the Selection Committee for Class-I Officers as provided in the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Assistant Keeper (Anthropology)	1	Class -II Gazetted Non-Ministerial	Rs. 840-40-1000-EB-40-1200	Selection	45 Years.	Essential: (i) Master's or equivalent degree in Anthropology. (ii) Diploma in Museology and 3 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. OR 5 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. (iii) Research experience with evidence of published Research work. (iv) Field experience of practical training in organising exhibitions or in techniques of graphic presentation. NOTE: Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of the candidates otherwise well qualified.

9	10	11	12	13	14
No	2 years	100% by promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : Curator (Anthropology) with at least 3 years' service in the grade.	(i) the Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) the Director, Indian Museum; (iii) a member nominated by the Trustees; (iv) an expert in the branch of knowledge to which the post pertains; (v) a representative of the Government of India, if so desired by the Govt. of India.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Curator (Anthropology)	1	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700	Selection	28 Years.	Master's or equivalent Honours degree of a recognised University in Anthropology or Ancient Indian History and Culture with specialization in Anthropology. NOTE: Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.
8.	Technical Asstt. (Documentation)	1	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700	—	28 Years.	Essential: Master's or equivalent Honours Degree of a recognised University in Indian History or Anthropology. Desirable: (i) Diploma in Museology and 3 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. (ii) Published research work in Anthropology. (iii) Knowledge of Documentation. NOTE: Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.

9	10	11	12	13	14
No.	2 years	50% by promotion failing which by direct recruitment.	Junior Technical Assistant & Gallery Assistant (Anthropology) who have put in 3 years' service in their respective grades.	(i) the Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) the Director, Indian Museum; (iii) a person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	(i) the Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) the Director, Indian Museum; (iii) a person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	a. Gallery Asstt. b. Jr. Technical Assistant (Anthropology)	2	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	—	2 Years.	Essential: At least an Honours Graduate in Anthropology or equivalent degree of a recognised University. Desirable: Experience in Museum or training in Museology.
10.	Ethno-Collector (Anthropology)	1	Class-III Non-Gezetted Non-Ministerial	Rs. 225-5-260-6-290-6-308	—	28 Years.	Essential: Matriculate or equivalent qualification. Desirable: Relevant experience.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	(i) the Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) the Director, Indian Museum; (iii) a person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (v) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	(i) the Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) the Director, Indian Museum; (iii) a person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Keeper (Archaeology)	1	Class I	Rs. 1100-50-1600	Selection	45 years. Relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates already in employment.	Essential : (i) Master's degree of a recognised University or equivalent in Indian History or Sanskrit or Pali or Prakrit or Persian or Arabic or Archaeology. (ii) Diploma in Museology and 5 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. OR 7 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. (iii) Research experience with evidence of published research work. (iv) Field experience and practical training in Archaeology. Note:—Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.

9	10	11	12	13	14
No.	2½ years	By Promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : Deputy Keeper (Archaeology) with 5 years' service in the grade.	(i) Chairman, Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) a member nominated by the Trustees from amongst themselves; (iii) Director, Indian Museum; (iv) one expert in the branch of knowledge to which the post pertains.	As required by the Indian Museum Rules, the Board of Trustees, Indian Museum, is the appointing authority. The selection has to be made by the Selection Committee for Class I Officers as provided in the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Deputy Keeper (Archaeology)	1	Class I	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300	..	45 years	Essential : (i) Master's or equivalent Honour's degree of a recognised University in Indian History or classical languages with specialization in any branch of Archaeology. (ii) Diploma in Museology and 3 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. OR 5 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. (iii) Research experience with evidence of published research work. Note:—Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	(i) Chairman, Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) a member nominated by the Trustees from amongst themselves; (iii) the Director Indian Museum; (iv) one expert in the branch of knowledge to which the post pertains	As required by the Indian Museum Rules, the Board of Trustees, Indian Museum is the appointing authority. The selection has to be made by the Selection Committee for Class I Officers as provided in the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Operator (Archaeology)	4	Class III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700		28 years	Essential : Master's or equivalent Honours degree of a recognised University in Indian History or Archaeology or Classical languages with sound knowledge in the other alternatives. Note:—Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified. Desirable : (i) Diploma in Museology. (ii) Experience in a Museum of standing or a comparable institution. (iii) Research experience.

9	10	11	12	13	14
No.	2 years	75% by direct recruitment, 25% by promotion.	By Promotion : Galley Asstt. (Archaeology) with at least 3 years' of service in the grade.	(i) the Honorary Secretary to the Board of Trustees, of the Indian Museum; (ii) the Director, Indian Museum; (iii) a person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Technical Assistant(Documentation)	1	Class III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700	Not applicable	28 years	Essential : Master's or equivalent Honours' degree of a recognised University in Indian History or History of Art or Archaeology or Ancient Indian History and Culture or Sanskrit or Pali or Persian or Arabic or combination Desirable : (i) Diploma in Museology and 3 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. (ii) Knowledge of Documentation. (iii) Published Research work in Archaeology. Note:—Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) the Honorary Secretary to the Board of Trustees of the the Indian Museum; (ii) the Director, Indian Museum; (iii) a person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry - in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Gallery Assistant (Archaeology)	1	Class III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480	..	28 years	Essential : At least an Honours Graduate or equivalent degree of a recognised University in Fine Arts or Indian History or Classical languages. Desirable : Experience in Museum or training in Museology.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) Chairman, Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) a member nominated by the Trustees from amongst themselves; (iii) the Director, Indian Museum; (iv) one expert in the branch of knowledge to which the post pertains.	As required by the Indian Museum Rules, the Board of Trustees, Indian Museum is the appointing authority. The selection has to be made by the Selection Committee for Class I Officers as provided in the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Deputy Keeper (Numismatics & Epigraphy)	1	Class I	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.	Not applicable.	45 years.	Essential : (i) Master's or equivalent Honours degree of a recognised University in Indian History or Classical languages with specialization with Epigraphy and Numismatics. (ii) Diploma in Museology and 3 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. OR 5 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. (iii) Research experience with evidence of published research work.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	(i) Chairman, Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) a member nominated by the Trustees from amongst themselves; (iii) the Director, Indian Museum; (iv) one expert in the branch of knowledge to which the post pertains.	As required by the Indian Museum Rules, the Board of Trustees, Indian Museum is the appointing authority. The selection has to be made by the Selection Committee for Class I Officers as provided in the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Curator (Archaeology)	3	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	—	28 years.	Essential : (i) Master's or equivalent Honours degree of a recognised University in Indian History or Archaeology or Classical languages with sound knowledge in the other alternatives. (ii) 5 years' experience in Epigraphy and Numismatics in a Museum of standing. Note: Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified. Desirable : (i) Diploma in Museology. (ii) Experience in a Museum of standing or a comparable institution. (iii) Research experience.

9	10	11	12	13	14
No.	2 Years	75% by direct recruitment 25% by promotion.	By Promotion: Gallery Asstt. (Archaeology) with at least 3 years' of service in the grade.	(i) the Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) the Director, Indian Museum; (iii) a person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Technical Assistant (Documentation)	1	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	—	28 years.	Essential : Master's or equivalent Honours degree of a recognised University in Indian History or History of Archaeology or Ancient Indian History or Sanskrit or Pali or Persian or Arabic or a Combination. Desirable : (i) Diploma in Museology and 3 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. (ii) Published research work. (iii) Knowledge of Documentation. Note : Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case candidates otherwise well qualified.

9	10	11	12	13	14
Not applicable.	2 Years	100% by direct recruitment	Not applicable	(i) the Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) the Director, Indian Museum; (iii) a person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Keeper (Fine Arts & Crafts)	1	Class-I	Rs. 1100-50-1600	Selection	45 years. Relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates already in employment.	Essential : (i) Master's degree of a recognised University or equivalent qualifications in Indian History or Sanskrit or Pali or Prakrit or Persian or Archaeology or Art History. (ii) Diploma in Museology and 5 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. OR 7 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. (iii) Research experience with evidence of published work on illustrated manuscripts, Indian Miniatures and Crafts. (iv) Practical training and field experience in Fine Arts and Crafts. Note : Qualifications relaxable by the Board on the recommendations the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.

9	10	11	12	13	14
No	2 Years.	By Promotion failing which by direct recruitment	Promotion : Deputy Keeper (Art) with 5 Years' service in the grade.	(i) Chairman, Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) a member nominated by the Trustees from amongst themselves, (iii) the Director, Indian Museum; (iv) one expert in the branch of knowledge to which the post pertains.	As required by the Indian Museum Rules, the Board of Trustees, Indian Museum, is the appointing authority. The selection has to be made by the Selection Committee for Class-I Officers as provided in the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Deputy Keeper (Art)	1	Class-I	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.	—	45 yeras.	Essential : (i) Master's or equivalent Honours degree of a recognized University in Indian History, Classical languages with specialization in Fine Arts. (ii) Diploma in Museology and 3 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. OR 5 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. (iii) Research experience with evidence of published research work. Note : Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable.	(i) Chairman, Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) a member nominated by the Trustees from amongst themselves; (iii) the Director, Indian Museum; (iv) one expert in the branch of knowledge to which the post pertains.	As required by the Indian Museum Rules, the Board of Trustees, Indian Museum is the appointing authority. The selection has to be made by the Selection Committee for Class-I Officers as provided in the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	1
21.	Curator (Art)	1	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700/-	—	28 years	Essential : Master's or equivalent Honours degree of a recognised University in Indian History or Classical languages with specialization in Fine Arts. NOTE: Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified. Desirable. : (i) Diploma in Museology. (ii) Experience in Museum or Training in Museology. (iii) Published papers in Fine Arts.

9	10	11	12	13	14
No	2 years	75% by Direct Recruitment 25% by Promotion.	By Promotion : Gallery Assistant (Art) with at least 3 years' of service in the grade.	(i) the Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum, (ii) the Director, Indian Museum ; (iii) a person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Technical Assistant (Documentation)	1	Class III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700/-	—	28 years.	Essential : Master's or equivalent Hons. degree of a recognised University in Indian History or History of Fine Arts & Crafts or Classical languages. Desirable : (i) Diploma in Museology and 3 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. (ii) Published research work in Fine Arts & Crafts. (iii) Knowledge of Documentation. NOTE : Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.

9	10	11	12	13	14
Not applicable.	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable.	(i) the Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum ; (ii) the Director, Indian Museum ; (iii) a person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum ; (iv) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	Gallery Assistant (Art)	1	Class-III Non Gazetted Non-Ministerial	Rs. 330-8-370-10-400 EB-10-480/-	—	28 years	Essential : At least an Honours Graduate or equivalent degree of a recognised University in Fine Arts or Indian History or Classical languages. Desirable : Experience in Museum or Training in Museology.

9	10	11	12	13	14
Not applicable.	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable.	(i) the Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) the Director Indian Museum; (iii) a person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Museum Preparator (Mount Cutter)	1	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 330-8-380-10-400 EB-10-480	—	28 years	Essential : Adequate knowledge in Mount-cutting and framing, including display of objects. Desirable : Experience of the job of fine mount-cutting and handling of necessary instruments in a Museum or a comparable institution.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable.	(i) the Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) the Director, Indian Museum; (iii) a person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Education Officer	1	Class-I	Rs. 1100-50-1600	Selection	45 years. Relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in the case of candidates already in employment.	Essential : (i) Master's degree of a recognised University or equivalent in Indian History or Sanskrit or Pali or Prakrit or Persian or Archaeology or Art History or Anthropology. (ii) Diploma in Museology and 5 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. OR 7 years' experience in a Museum of standing or comparable institution. (iii) Experience in Teaching Planning and Organising of Educational work in Museum. (iv) Research experience with evidence of published research work on museums or other educational subjects. NOTE : Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in the case of candidates otherwise well qualified.

9	10	11	12	13	14
No	2 years.	By direct recruitment.	Not applicable.	(i) Chairman, Board of Trustees, Indian Museum; (ii) A member nominated by the Trustees from amongst themselves; (iii) Director, Indian Museum; (iv) One expert in the branch of knowledge to which the post pertains.	As required by the Indian Museum Rules, the Board of Trustees, Indian Museum, is the appointing authority. The selection has to be made by the Selection committee for Class-I Officers as provided in the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Guide-Lecturer (Mobile Exhibition)	1	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	—	28 years.	Essential : (i) Master's or equivalent Hons. Degree of a recognised University in Indian History or Archaeology or Anthropology or Classical languages. (ii) Ability to speak on Indian History or Archaeology or Anthropology in Hindi and English in Addition to Bengali. Desirable : (i) Diploma in Museology. (ii) Experience in Museum or Training in Museology. (iii) Published Papers in Archaeology or in Anthropology. Note : Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.

9	10	11	12	13	14
Not Applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not Applicable	(i) the Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum, (ii) the Director, Indian Museum; (iii) a person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary. (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	Guide-Lecturer (Art)	1	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	—	28 years	Essential : (i) Master's or equivalent Hons. degree of a recognised University in Indian History or Classical languages with specialization in Fine Arts. (ii) Ability to speak on Indian Art in Hindi and English in addition to Bengali. Desirable : (i) Diploma in Museology (ii) Experience in Museum or Training in Museology (iii) Published Papers in Fine Arts	Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) the Director, Indian Museum; (iii) a person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.
28.	Guide-Lecturer (Archaeology)		Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	—	28 years	Essential : (i) Master's or equivalent degree of a recognised University in Indian History or Archaeology or Classical languages. (ii) Ability to speak on Indian Archaeology in Hindi and English in addition to Bengali. Desirable : (i) Diploma in Museology. (ii) Experience in Museum or Training in Museology. (iii) Published papers in Archaeology.	Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) the Director, Indian Museum; (iii) a person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessay; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Guide-Lecturer (Anthropology)	1	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700	—	28 years	Essential : (i) Master's or equivalent degree of a recognised University in Anthropology. (ii) Ability to speak on Anthropology in Hindi and English in addition to Bengali. Note : Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified. Desirable : (i) Diploma in Museology. (ii) Experience in Museum or Training in Museology. (iii) Published research in Anthropology.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100 % by direct recruitment.	Not applicable	(i) the Honorary Secretary to the Board of Trustees (ii) the Director, Indian Museum; (iii) a person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in- Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	Guide-Lecturer (Geology)	1	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700	—	28 years	Essential : (i) Master's or equivalent Hons Degree of a recognised University in Geology. (ii) Ability to speak on Geology in Hindi and English in addition to Bengali. Note : Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified. Desirable : (i) Diploma in Museology. (ii) Experience in Museum or Training in Museology. (iii) Published research in Geology

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	(i) The Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) the Director, Indian Museum; (iii) a person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry -in -Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	Guide-Lecturer (Zoology)	1	Class-III, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-E.B-15-560-20-700.	—	28 years	Essential : (i) Master's or equivalent Hons. degree of a recognised University in Zoology. (ii) Ability to speak on Zoology in Hindi and English in addition to Bengali. NOTE : Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified. Desirable : (i) Diploma in Museology. (ii) Experience in Museum or Training in Museology. (iii) Published Research in Zoology

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	(i) The Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum ; (ii) the Director, Indian Museum ; (iii) a person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry - in-Charge of matters relating to the Indian museum; (vi) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary ; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	Guide-Lecturer (Botany)	1	Class-III, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700	—	28 years	Essential : (i) Master's or equivalent degree of a recognised Univeristy in Botany. (ii) Ability to speak on Botany in Hindi and English in addition to Bengali. Note : Qualifications relaxable by the Board of the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified. Desirable : (i) Diploma in Museology. (ii) Experience in Museum or Training in Museology. (iii) Published Research in Botany.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 Years	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Honorary ecretary to the Board of Trustees of the Indian Museum ; (ii) the Director, Indian Museum ; (iii) a person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum ; (iv) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary ; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules,

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	Projectionist	1	Class-III, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 425-15-530-EB-15-560-20-600.	Not applicable	28 years	Essential : (i) Middle Class Pass. (ii) Licence for handling and operating a Cinematography. (iii) 3 years' experience of Projection work in respect of operating 16 mm./35 mm. Audio Visual equipments etc. in an Auditorium or a Cinema.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	(i) the Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum ; (ii) the Director, Indian Museum ; (iii) a person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	Driver	1	Class-III, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 260-6-290-EB-6-326-EB-8-390-10-400.	—	28 Years.	(i) Licensed Motor Driver with thorough knowledge of Car mechanism and ability to carry out minor repairs. (ii) Should be able to handle heavy Vehicles. (iii) Middle School Standard.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 Years	100% by direct recruitment	Not applicable	(i) the Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum ; (ii) the Director, Indian Museum ; (iii) a person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum ; (iv) one expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary ; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	Cleaner	1	Class-IV	Rs. 196-3-220-EB-3-232	—	25 Years.	Some experience as Cleaner in a Museum of standing.
36.	Preservation Officer	1	Class-I	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300	—	45 years.	Essential : (i) Master's or equivalent Honours degree of a recognised University in Physical or Organic or Inorganic Chemistry. (ii) Recognised higher training in treatment of organic and inorganic objects and at least 3 years' experience in the analysis of alloys, silicates and mortars in a Museum of standing or a comparable institution. (iii) Research experience with evidence of published research work. Desirable : (i) Knowledge of insecticides and fumigants. (ii) Experience in application of Chemistry in the Examination, analysis and preservation of Museum materials. NOTE : *Qualifications relaxable* by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	(i) The Director, Indian Museum ; (ii) One Senior Officer of the Indian Museum.	Not applicable
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	(i) Chairman, Board of trustees, Indian Museum ; (ii) A member nominated by the Trustees from amongst themselves ; (iii) Director, Indian Museum; (iv) One expert in the branch of knowledge to which the post pertains.	As required by the Indian Museum Rules, the Board of Trustees, Indian Museum, is the appointing authority. The selection has to be made by the Selection Committee for Class-I Officers as provided in the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	Assistant Chemist	1	Class-II Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 550-25-750-EB-30-900	---	35 years, Relaxable by the Board on the recommendations of the selection Committee in case of candidates already in employment.	Essential : (i) At least a Second Class M.Sc. in Physical or Organic or Inorganic Chemistry of a recognised University. (ii) At least 2 years' experience of preservation in a Museum Archaeology or Anthropology or Laboratory. NOTE : Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified. Desirable : (i) Evidence of original research in Chemical preservation work. (ii) Knowledge of insecticides and fumigants and experience in the application of chemistry in the examination and analysis and preservation of museum materials.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	(i) The Honorary Secretary to the Board of trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A member nominated by the Trustees; (iv) An expert in the branch of knowledge to which the post pertains; (v) A representative of the Government of India if so desired by the Govt. of India.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	Conservation Asstt. (Junior)	1	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700	—	28 years.	Essential : (i) Master's or equivalent Hons. degree of a recognised University in Chemistry. (ii) At least 2 years' experience in analysis of metals, alloys and silication in a Museum of standing or a comparable institution. Desirable : (i) Knowledge of insecticides, fumigants and plastics. (ii) Evidence of any published research work.

9	10	11	12	13	14
Not applicable.	2 years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	Laboratory Assistant	2	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 260-6-326-EB-8-350	—	28 years	Essential : B.Sc. or equivalent qualifications with some experience in Chemical Laboratory. Desirable : Knowledge of typing.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessry; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	Darner.	2	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480	—	28 years	Essential : Experience in fine darning work in any museum for at least 2 years.

9	10	11	12	13	14
Not applicable.	2 years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	Attendant for Laboratory	1	Class IV	Rs. 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290	—	25 years	(i) Middle School Standard or equivalent qualifications with Science Subjects. (ii) One year's experience for Laboratory work.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Director, Indian Museum; (ii) One Sr. Officer of the Indian Museum.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	Publication Officer	1	Class I	Rs. 1100-50-1600	Selection	45 years. Relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in the case of candidates already in employment.	Essential : (i) Master's degree of a recognise d University or equivalent in English or Indian History or Sanskrit or Pali or Prakrit or Persian or Arabic or Archaeology and/or Indian History, Art and Anthropology. (ii) Practical training and experience in publication work, including layout, typography printing process, ordering blocks etc. proof reading. (iii) At least 7 years' experience in editing Museum Journal/Art or Archaeology publications. (iv) Some scholarly competence and experience with research experience and publications in a field included in Museum collections. NOTE : Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in the case of candidates otherwise well qualified. Desirable : (i) Knowledge of Hindi and one Foreign language. (ii) Diploma in Museology and 5 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution. OR 7 years' experience in a Museum of standing or a comparable institution.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By Promotion failing which by direct recruitment	Promotion : Publication Superintendent with 10 years service in he grade.	(i) Chairman, Board of Trustees, Indian Museum (ii) A member nominated by the Trustees from amongst themselves. (iii) Director, Indian Museum. (iv) One expert in the branch of knowledge to which the post pertains.	As required by the Indian Museum Rules the Board of Trustees, Indian Museum, is the appointing authority The selection has to be made by the Selection Committee for Class I Officers as provided in the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
43.	Superintendent (Publication)	1	Class II Non-Gazetted	Rs. 550-25-750-EB-30-900	Selection	35 years. Relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates already in employment.	Essential : (i) Master's or equivalent Honours degree of a recognised University in Indian History or Classical language or Archaeology or Natural Science with practical training or experience in publication work. (ii) At least 3 years' experience in publication work on Art or Archaeology or Natural Sciences. OR At least a Graduate of a recognised University with 10 years' experience in the post of Proof Reader in a Museum of standing preferably a Museum Publication Section. NOTE : Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of the candidates otherwise well qualified. Desirable : (i) Experience of research work in a field covered by Museum collections. (ii) Experience of administrative work. (iii) Diploma in printing technology and one year's experience in a Museum of standing or 3 years' experience in a Museum of standing. (iv) Knowledge in Hindi.

9	10	11	12	13	14
No	2 years	By Promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : Proof Reader with 10 years' service in the grade.	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A Member nominated by the Trustees; (iv) An expert in the branch of knowledge to which the post pertains; (v) A representative of the Government of India, if so desired by the Govt. of India.	As required under the Indian Museum Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	Proof Reader	*3	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 380-12-500-EB-15-560.	Selection	28 Years	Essential : (i) Graduate or equivalent Examination of a recognised University with at least 5 years' experience as Proof Reader. For Hindi.—Graduate or equivalent examination with Hindi of a recognised University with at least 5 years' experience as Proof Reader. Desirable : (i) Training in/Knowledge of printing work. (ii) Knowledge in Hindi.

*One post reserved for Hindi

9	10	11	12	13	14
No.	2 years.	By Promotion	One post by promotion from Copy Holder with 5 years' service in the grade.	(i) The Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) a member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	Copy Holder	*3	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-EB-10-400	—	28 Years.	Matriculate or equivalent with at least 3 years' experience as Copy Holder. For Hindi: Matriculate or equivalent Examination with Hindi with at least 3 years' experience as Copy Holder.

*One post reserved for Hindi.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	(i) the Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46.	Sales Clerk-cum-Receptionist	1	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 330-10-380-EB-12 500-EB-15-560	—	28 Years.	Essential : (i) Graduate or equivalent. (ii) Experience as Receptionist for at least 2 years. Desirable: (i) Knowledge of Hindi and English in addition to Bengali. (ii) Fair knowledge in Museum work.	Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	Sales Promoter	1	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	—	28 Years.	Essential : (i) Graduate or equivalent Examination Passed. (ii) 5 years' experience in the Sales Department of any large Museum or reputed Commerical concern in developing the sales volume of the publications, photographs, documentations, etc., as Sales Promoter or Sales Representatives or Receptionist. (iii) Working knowledge of English and Hindi in addition to Bengali. Desirable: (i) Fair Knowledge in Museum work. (ii) Knowledge of typing.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	(i) The Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	Packer	2	Class-IV	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	—	25 years.	(i) Middle Class Pass. (ii) Practical experience in the trade.
49.	Head Modeller	1	Class-II Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 550-25-750-EB-R30-900.	Selection	35 Years. Relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates already in employment.	Essential : (i) Degree or Diploma in Modelling sculpture from a recognised University/Institution. (ii) About 5 years' experience in a responsible position of working on sculpture models and allied work. NOTE :—Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified. Desirable : Knowledge of preparing diagrams and scale models.

9	10	11	12	13	14
Not applicable.	2 years	100% by Direct Recruitment.	Not applicable.	(i) The Director, Indian Museum; (ii) One Senior offiocer of the Indian Museum.	Not applicable.
No.	2 Years	By Promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : Technical Asstt. (Modelling) or Modellers (Rs. 425-700) with at least 5 years' experience in the grade.	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum ; (ii) The Director, Indian Museum ; (iii) A member nominated by the Trustees ; (iv) An expert in the branch of knowledge to which the post pertains; (v) A representative of the Government of India, if so desired by the Govt. of India.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	Technical Asstt (Modelling)	1	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	—	28 Years. Relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee	Essential : (i) Matric or equivalent Examition passed. (ii) Degree or Diploma of a recognised Art College or a comparable institution in Arts with specialization in Modelling. (iii) At least 3 years' practical experience in Modelling. Desirable : Knowledge or experience in Museum work.
51.	Modeller	3	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	—	28 Years. Relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee	Essential : (i) School Final or equivalent examination passed. (ii) Degree or Diploma of a recognised Art College or a comparable institution in Arts with specialization in modelling. (iii) At least 3 years' practical experience in modelling. Desirable : Knowledge or experience in Museum work.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable.	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum ; (ii) The Director, Indian Museum ; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum ; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary ; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum ; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum ; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary ; (v) A member nomiated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
52.	Moulder	1	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480.	—	28 years.	Essential : Moulding and casting in Plaster of Paris, cement and in clay for the purpose of preparing casts of coins, sealings, bronze and stone images, etc., as well as piece moulding and casting of the same. At least 2 years' experience in the job.
53.	Superintendent (Presentation)	1	Class-II Non-Gazetted	Rs. 550-25-750-EB-30-900,-	Selection	35 Years. Relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in the case of candidates already in employment.	(i) Diploma in Fine Arts with specialization in Painting or Draftsmanship or Modelling from a recognised institution. (ii) At least 3 years' experience in work relating to Gallery lay-out, designing and modelling in respect of Gallery Exhibition in a Museum of standing or a comparable institution. Experience of supervising relevant Technical staff in an institution for at least 3 years.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary ; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.
No	2 years	By promotion	Promotion : Artist with at least 3 years' service in the grade.	(i) The Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum"; (ii) The Director, I.M.: (iii) A member nominated by the Trustees; (iv) An expert in the branch of knowledge to which the post pertains; (v) A representative of the Government of India, if so desired by the Govt. of India.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
54.	Display and Designing Officer	1	Class-II Non-Gazetted	Rs. 550-25-750-EB-30-900.	Selection	35 Years. Relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidate already in employment.	Essential : (i) Degree or Diploma in Fine Art or Painting or Modelling or Draftsmanship from a recognised Institution. (ii) At least 3 years' experience in work relating to display, designing, modelling and arranging Exhibition in a Museum of standing or a comparable institution. (iii) Supervising experience in work over the Technical staff for at least 3 years in a Museum or a comparable institution.
55.	Draftsman	1	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	—	28 Years	Essential : Diploma in Draftsmanship from a recognised Institution. Experience for at least 3 years.

9	10	11	12	13	14
			Promotion :		
No	2 years	By promotion	Draftsman with at least 3 years' service in the grade.	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A member nominated by the Trustees; (iv) An expert in the branch of knowledge to which the post pertains; (v) A representative of the Government of India, if so desired by the Govt. of India.	As required under the Indian Museum Rules.
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56.	Artist	1	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 380-12-440-EB-15-560-EB-20-640.	—	28 Years	Essential (i) Matric or equivalent examination passed. (ii) Degree or Diploma of a recognized Art College or Comparable Institution in Paintings, Commercial Arts. (iii) 3 years' practical experience in display, painting and preparation of models, etc. Desirable : Knowledge or experience in Museum work.	Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.
57.	Museum Preparator (Cabinet Maker)	1	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480.	Selection	28 Years	Highly skilled Carpenter with experience in Cabinet making specially modern show cases for the exhibits of the Museum and guiding Carpenters working under him in original designing and execution.	No	2 years	By promotion	Promotion : Carpenters with at least 3 years' experience.	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
58.	Museum Preparator (Spray-Painter)	1	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480/-	—	28 years.	Sound knowledge in Spray Painting and also handling the Spray Painting Machine electrically operated. At least 3 years' experience of the job. Preference will be given to the candidate having special aptitute for fine painting for Museum show-cases, Exhibition panels, cabinets, etc.
59.	Marksman	2	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 260-6-326-EB-8-350/-.	—	28 Years.	Essential: Knowledge of writing labels, sign-boards, posters, etc. with at least 3 years' experience. Desirable: Experience in any Museum.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.
Not applicable	2 years.	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60.	Carpenter	4	Class III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 260-6-326-EB-8-350/-	—	28 Years.	(i) Skilled Carpenter (ii) At least 3 years' experience as Carpenter.	Not applicable	2 years.	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.
61.	Polish Mistry	1	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 260-6-326-EB-8-350/-.	—	28 Years.	Essential: Adequate knowledge in all kinds of polishing work. Desirable: Experience of Fine Polishing work required in a Museum or a comparable institution.	Not applicable	2 years.	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.
62.	Fitter	1	Class-IV	Rs.210-4-226-EB-4-250-EB-5-290/-.	—	28 Years.	(i) Skilled Carpenter (ii) At least 3 years' experience as Carpenter.	Not applicable	2 years.	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Director, Indian Museum; (ii) One Senior Officer of the Indian Museum.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	Senior Photographer	1	Class II Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 550-25-750-EB-30-900.	Selection	35 years. Relaxable by the Board on the recomm end a-tions of the Selection Committee in the case of candidates already in employment.	Essential : (i) Matriculation or equivalent examinatibn passed with cience subjects. (ii) Diploma in Photography from a recognised Institution or equivalent. OR About 5 years' experience of Photography including experience of Dark Room work and photography of art objects of which 3 years' should be in a Museum/ Archaeology or a Studio of repute. NOTE : Qualifications relaxable by the Board on the reco mendations of the Selectioln Committee in case of candidates otherwise well qualified. Desirable : Experience of organising a moder photographic studio.

9	10	11	12	13	14
No	2 years	By Promotion falling which by direct recruitment.	Promotion : Photographer with 5 years' service in the grade.	(i) The Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A member nominated by the Trustees; (iv) An expert in the branch of knowledge to which the post pertains; (v) A representative of the Govt. of India, if so desired by the Govt. of India.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	Photographer	1	Class III, Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 425-15-500--EB-15-560-20-700.	Selection	28 years	Essential : (i) Matriculate or equivalent. (ii) 5 years' exprience of photography and dark room work in a Museum or Department of Archaeology or in a reputed studio. Desirable : Certificate or Diploma in Photography.

9	10	11	12	13	14
No	2 years	50% by Promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : Dark Room Asstt. with 5 years' service in the grade.	(i) The Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered by the Trustees; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	Dark Room Assistant	1	Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Selection	28 years	(i) Matriculate or equivalent qualification. (ii) 2 years' experience in photography and all types of work in the Dark Room.

9	10	11	12	13	14
No	2 years	50% by promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : Photography Attendant/ Photo-Printer with 3 years' service in the grade.	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66.	Photo-Printer	1	Class III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 260-6-326-EB-8-350	—	28 years	(i) School Final Passed with knowledge of Photogaphy (ii) Experience as Photo-Printer in a reputable Firm for at least 3 years.	Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.
67.	Photography Asstt.	1	Class III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 260-6-326-EB-8-350.	—	28 years	(i) Matriculate or equivalent qualifications. (ii) Knowledge of photography	Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A : person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	Librarian	1	Class-II Non-Gazetted Non Ministerial	Rs. 550-25-750-EB-30-900.	Selection	35 Years. Relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates already in employment.	Essential : (i) Master's or equivalent Hons. degree of a recognised University in Indian History or Anthropology or Art. (ii) Diploma in Library Science of a recognised University or Institution. (iii) 7 years' experience in a Library of standing in India preferably a Museum Library. (iv) Research experience with evidence of published work on Archaeology/Art/Anthropology. Note : Qualifications relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.

9	10	11	12	13	14
No	2 years	By Promotion failling which by direct recruitment.	Promotion: Assistant Librarian with seven years' service in the grade.	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A member nominated by the Trustees; (iv) An expert in the branch of knowledge to which the post pertains; (v) A representative of the Government of India, if so desired by the Govt. of India.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
69.	Assistant Librarian	1	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	—	28 years (Relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee).	Essential: (i) Master's or equivalent Honurs degree of a recognised University in Ancient Indian History and Culture or Anthropology or Archaeology or other allied subject related to Museum. (ii) Diploma in Library Science. (iii) One Year's experience in a Library of good standing.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years.	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum ; (iii) A person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indain Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
70.	Sorter	—	Class-IV	Rs.210-4-226-EB-4-250-EB-5-290.	Selection	28 Years	(i) Middle Class School Standard. (ii) 5 years' experience in any Library of standing preferably a Museum Library.
71.	Library Peon	1	Class-IV	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250.	Selection	25 years.	Class VIII Standard.

9	10	11	12	13	14
No.	2 years	100% by Promotion	Promotion: Library Peon with at least 5 years' service in the grade.	(i) The Director, Indian Museum; (ii) One Senior Officer of the Indian Museum.	Not applicable.
No.	2 years.	By Promotion.	Promotion: Peon or Bearer or Museum Attendant or Durwan.	(i) The Director, Indian Museum; (ii) One Senior Officer of the Indian Museum.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7	8
72.	Administrative Officer.	1	Class-II, Gazetted (Non-Ministerial.)	Rs.840-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Not applicable.	Not applicable.
73.	Office Superintendent	1	Class-II Non-Gazetted	Rs.550-25-750-EB-30-900	—	35 Years	(i) At least a Graduate of a recognised University. (ii) At least 5 years' experience of establishment including accounts in a Government Department or an organization of a repute of which at least 2 years should be in supervisory capacity.

9	10	11	12	13	14
No	2 years.	By Promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion: Office Superintendent (Rs. 550-900) with 5 years' service in the grade. Transfer on deputation: Suitable Officer of Central Secretariat Services.	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Meseam; (ii) The Director, Indian Museum ; (iii) A member nominated by Trustees; (iv) An expert in the branch of knowledge to which the post pertains ; (v) A representative of the Government of India if so desired by the Govt. of India.	As required under the Indian Museum Rules.
No	2 years	By Promotion	Promotion: Head Assistant with at least 5 years' experience.	(i) The Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A member nominated by the Trustees; (iv) An expert in the branch of knowledge to which the post pertains; (v) A representative of the Government of India, if so desired by the Govt. of India.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
74.	Head Assistant	1	Class-III Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Selection	28 Years	Essential: (i) At least a Graduate of a recognised University. (ii) At least 5 years' experience in Secretariat work in a big establishment. Desirable: Adequate experience of administrative and accounts.
75.	Stenographer	2	Class-III Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	—	28 Years	(i) Graduate or equivalent qualification. (ii) Speed of 120 w.p.m. in Shorthand and 40 w.p.m. in typing respectively.

9	10	11	12	13	14
No	2 years	By Promotion	Promotion: U.D. Clerk or Accountant or Stenographer or Store-Keeper (Upgraded).	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry In-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
76.	Upper Division Clerk	4	Class-III Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560/-	Selection	28 years	Graduate. Qualified in all sorts of Secretariat with at least 3 years' experience in any office/Museum etc.
77.	Store-Keeper (Up-Graded)	1	Class-III Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Selection	28 years	(i) Matriculate or equivalent qualification. (ii) 3 years' experience as Store-Keeper.

9	10	11	12	13	14
No	2 years	By Promotion	Promotion: Cashier or Court Clerk or Lower Division Clerk or Typist Clerk or Gate-Clerk	(i) The Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.
No	2 years	By Promotion	Promotion: Lower Division Clerk or equivalent.	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
78.	Court Clerk	1	Class-III Ministerial	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480.	Selection	28 years	(i) Matriculate or equivalent. (ii) Knowledge of typing.
79.	Lower Division Clerk	1	Class-III Ministerial	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	—	28 years	(i) Matriculate or equivalent qualification. (ii) Knowledge of typing.

9	10	11	12	13	14
No	2 years	By Promotion	Promotion: Lower Division Clerk or Gate Clerk	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable.	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
80.	Typist Clerk	5	Class-III Ministerial	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	—	28 years	(i) Matriculate or equivalent qualification. (ii) Typing Speed 40 w.p.m.
81.	Telephone Operator	1	Class-III Ministerial	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	—	28 years.	(i) Matriculate or equivalent. (ii) Knowledge of Telephone Operating in the P.B.X. (iii) Experience in a large office or establishment as Telephone Operator for at least 3 years.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years.	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum ; (ii) The Director, Indian Museum ; (iii) A person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum ; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary ; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.
Not applicable	2 years.	100% by direct recruitment	Not applicable	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum ; (ii) The Director, Indian Museum ; (iii) A person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum ; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary : (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
82.	Gate-Clerk	2	Class-III Ministerial	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	—	28 Years.	(i) Matriculate or equivalent qualification. (ii) Knowledge of Typing.
83.	Accounts Officer	1	Class-II Gazetted	Rs. 840-40-1000-EB-40-1200	Selection	45 Years. Relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee.	(i) Honours Graduate with Second Class ; (ii) At least 5 years' experience in accounting and auditing preferably in a Government Department in a responsible position. (iii) S.A.S. or Chartered Accountancy Passed. NOTE : Essential Qualifications relaxable in case of candidates otherwise well qualified on the recommendations of the Selection Committee.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum ; (ii) The Director, Indian Museum ; (iii) A person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum ; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary ; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.
Yes.	2 years	By Promotion or by transfer on deputation failing which by direct recruitment.	Promotion : Accountant with at least 4 years' experience.	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum ; (ii) The Director, Indian Museum ; (iii) A member nominated by the Trustees ; (iv) An expert in the branch of knowledge to which the post pertains ; (v) A representative of the Govt. of India, if so desired by the Government of India.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84.	Accountant	1	Class-III Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Selection	28 Years.	(i) At least a Commerce Graduate of a recognised University. (ii) 3 years' experience in accounts work in a big establishment.	No	2 years	By Promotion	Promotion : Upper Division Clerk or Cashier or Lower Division Clerk.	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum ; (ii) The Director, Indian Museum ; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum ; (iv) One expert to be associated as a co-oppted member whenever considered necessary ; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.
85.	Cashier	1	Class-III Ministerial	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480.	Selection	28 Years.	(i) Matriculate or equivalent qualification. (ii) Cash experience for 3 years in a recognised Institution.	Yes	2 years	By Promotion	Promotion : Lower Division Clerk or equivalent.	(i) The Honorary Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum ; (ii) The Director, Indian Museum ; (iii) A person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum ; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary ; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
86.	Daftary	1	Class IV	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250	Selection	25 years	Class VIII Standard.
87.	Peon/Chaprashi	14	Class IV	Rs. 196-3-220-EB-3-232	—	25 years	Class VIII Standard.
88.	Medical Officer	2	Part-time	Rs. 200 p.m. (fixed)	Not applicable	Between 35 and 50	Essential : M.B.B.S. from a recognised University with specialisation in general medicine and experience of treating cases for at least 2 years. Desirable : Working as Medical Officer in Government or Semi-Government Institution.

9	10	11	12	13	14
No	2 years	By Promotion	Promotion : Peon or Bearer or Chaprashi or Museum Attendant or Durwan	(i) The Director, Indian Museum; (ii) One Sr. Officer of the Indian Museum.	Not applicable
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Director, Indian Museum; (ii) One Senior Officer of the Indian Museum.	Not applicable
Not applicable	Not applicable	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
89.	Security Officer	1	Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300	Not applicable	Not applicable	Not applicable
90.	*Assistant Security Officer	1	Class III Non-Gazetted	Rs. 550-20-650-25-750	Not applicable	45 years. (Relaxable by the Board on the recommendations of the Selection Committee).	Essential : (i) Marticulate or equivalent. (ii) Exservice man at least in the rank of J.C.O. or Police Officer with equivalent rank having experience of dealing with contingent of watch-and-ward staff. OR (iii) Persons holding Class II or Class III Posts in the Security Department of Central Museums having— (a) at least 5 years' experience in Museum Security and (b) 5 years' service in Armed forces or Police. Desirable : At least 5 years' experience of handling security.

*The existing post of Security Officer be re-designated as Assistant Security Officer as recommended by the Special Committee for staffing pattern of the Indian Museum, Calcutta.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By re-employment or by transfer on deputation	Re-employment : Ex-Emergency Commissioned Officers or Short Service Commissioned Officers or Retired Defence Services Officers of the rank of Captain in the Army or equivalent. (Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil Posts). Transfer on deputation : Deputy Superintendents of Police with 2 years' service in the grade or Inspectors of Police with 8 years' service in the grade, from Central Government or State Government. (Period of deputation shall not ordinarily exceed 3 years).	(i) Chairman, Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) A member nominated by the Trustees from amongst themselves; (iii) The Director, Indian Museum; (iv) One expert in the branch of knowledge to which the post pertains.	As required by the Indian Museum Rules, the Board of Trustees, Indian Museum, is the appointing authority. The selection has to be made by the Selection Committee for Class I Officers as provided in the Indian Museum Rules.
Not applicable	2 years	By transfer or on deputation failing which by direct recruitment.	(i) J.C.O. or Police Officer of equivalent rank having experience in dealing with contingent of watch-and-ward staff. (ii) Persons having Class II or Class III posts in Security Department of Central Museums, having (a) at least 5 years experience; and (b) 5 years' service in armed forces or Police.	(i) The Hony. Secretary to the B ard of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Govt. of India in the Ministry—in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules

1	2	3	4	5	6	7	8
91.	Caretaker	2	Class-III Non-Ministerial	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480.	Not applicable	28 years	(i) Matriculate or equivalent. (ii) At least 3 years' experience of security work in a big establishment. Ex-Servicemen with adequate capacity will be considered eligible.
92.	Driver-cum-Mechanic	1	Class-III Non-Ministerial	Rs. 320-6-326-8-390-10-400.	Selection	28 years	Essential : (a) Professional skill in driving, with thorough knowledge of Car mechanism, general smartness and possessing of permanent licence for Motor driving. (b) 5 years' practical experience in driving and ability to carry out minor repairs, etc. Desirable : (a) Middle Class Pass. (b) Should be able to handle heavy vehicles.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary; (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.
Not applicable	2 years	By Promotion or transfer failing which by direct recruitment.	By transfer on the result of a test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential in drives of Staff Cars/Jeeps, from amongst the regular Class-III employees of the Indian Museum, Calcutta, possessing the qualifications in Column 8.	(i) The Hony. Secretary to the Board of Trustees of the Indian Museum; (ii) The Director, Indian Museum; (iii) A person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry-in-Charge of matters relating to the Indian Museum; (iv) One expert to be associated as a co-opted member whenever considered necessary. (v) A member nominated by the Trustees.	As required under the Indian Museum Rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
93.	Line Jamadar	1	Class-IV	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250.	Selection	25 years	Class VIII Standard.
94.	Inspector	9	Class-IV	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250.	Selection	25 years	Class VIII Standard.
95.	Head Mali	1	Class-IV	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250.	Selection	25 years	Experience at least 2 years' as Mali.
96.	Mali	5	Class-IV	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	—	25 years	Some Experience as Mali.
97.	Musoum Attendant	5	Class-IV	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	—	25 years	Class VIII Standard.
98.	Durwan	73	Class-IV	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	—	25 years.	(i) Class VIII Standard or equivalent Armed Service Examination. (ii) Ex-Armed Force personnel with at least 10 years' of regular service. NOTE : Educational Qualifications may be relaxable by the Honorary Secretary of the Indian Museum on the recommendations of the Selection Committee if the candidate is found otherwise well qualified.

9	10	11	12	13	14
No	2 years	By promotion	Promotion : Peon or Bearer or Mesuem Attendant or Durwan.	(i) The Director, Indian Museum; (ii) One Senior Officer of the Indian Museum.	Not applicable.
No	2 years	By promotion	Promotion : Peon or Bearer or Museum Attendant or Durwan.	(i) The Director, Indian Museum; (ii) One Senior Officer of the Indian Museum.	Not applicable.
No	2 years	By promotion	Promotion : Mali	(i) The Director, Indian Museum; (ii) One Senior Officer of the Indian Museum.	Not applicable.
Not applicable	2 years	100% by direct Recruitment.	Not applicable	(i) The Director, Indian Museum; (ii) One Senior Officer of the Indian Museum.	Not applicable.
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	(i) The Director, Indian Museum; (ii) One Senior Officer of the Indian Museum.	Not applicable.
Not applicable	2 Years	100% by direct Recruitment.	Not applicable	(i) The Director, Indian Museum ; (ii) One Senior Officer of the Indian Museum.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7	8
99.	Sweeper	21	Class-IV	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	—	25 Years.	Some experience as Sweeper.
100.	Cleaner	11	Class-IV	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	—	25 Years.	Some experience as Cleaner in a Museum of standing.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 Years	100% by direct Recruitment.	Not applicable	(i) the Director, Indian Museum; (ii) one Senior Officer of the Indian Museum.	Not applicable.
Not applicable	2 Years.	100% by direct Recruitment.	Not applicable	(i) the Director, Indian Museum ; (ii) one Senior Officer of the Indian Museum.	Not applicable.

[No. F. 11-6/73-CAI(5)]
J.M.GUGNANI, Asstt. Educational Adviser.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1977

पत्तन

सा० का० नि० 195:—नव तूतीकोरिन पत्तन (उतराई स्थान के उपयोग का विनियमन नियम, 1976 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 18) की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (अअ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (2) में अपेक्षित है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है और सूचना दी जाती है कि राजपत्र में उस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जायगा।

2. उक्त साठ दिनों की अवधि के अवसान के पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

नियम का प्रारूप

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) उन नियमों का नाम नव तूतीकोरिन महा पत्तन (उतराई स्थानों का उपयोग विनियमन) नियम, 1976 है।

2. उतराई स्थान या अन्य सम्पत्ति के पट्टे को शासित करने वाली प्रक्रिया:—(1) भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (अअ) में विनिर्दिष्ट उतराई स्थान या अन्य सम्पत्ति के (जिसे उसमें इसके पश्चात् अन्य सम्पत्ति कहा गया है) एक समय पर एक वर्ष से अनधिक अवधि तक उपयोग के लिये पट्टे, नव तूतीकोरिन पत्तन के मुख्य इंजीनियर और प्रशासक (जिसे इसमें इसके पश्चात् मुख्य इंजीनियर और प्रशासक कहा गया है) द्वारा जारी किये गये अनुज्ञापत्रों के अन्तर्गत आयेंगे, जब कि ऐसी सम्पत्ति के एक से अधिक वर्ष की अवधि तक उपभोग के लिये पट्टे, पट्टा विलेख के अन्तर्गत आयेंगे।

(2) उतराई स्थान या अन्य सम्पत्ति के पट्टे के लिये आवेदन लिखित रूप में मुख्य इंजीनियर और प्रशासक को दिया जायगा और जब तक ऐसी अनुज्ञा प्राप्त न हो जाए किसी ऐसे स्थान में किसी माल का भंडारकरण नहीं किया जायगा।

(3) इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट मापमान के अनुसार भाटक उक्त पट्टाकृत सम्पत्ति के उपयोग के लिये प्रभार्य होगा।

(4) भाटक यथास्थिति अनुज्ञापत्र या पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट रीति में संदेय होगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट रीति में भाटक का संदाय न किये जाने पर, सम्पृक्त व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पट्टे को रद्द और ऐसे शास्तिक भाटक का उद्ग्रहण किया जायगा जो उक्त अनुज्ञापत्र या पट्टे में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(5) उतराई स्थान या अन्य सम्पत्ति में भंडारकृत माल स्वामी के जोखिम पर रहेगा और मुख्य इंजीनियर और प्रशासक उस के किसी भूषण, चोरी, नुकसान या हानि के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

(6) मुख्य इंजीनियर और प्रशासक की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना उक्त उतराई स्थान या अन्य सम्पत्ति को उप पट्टे पर देना अनुज्ञेय नहीं होगा और इस नियम के किसी उल्लंघन पर, समुचित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पट्टे को रद्द और पट्टाकृत परिसर से पट्टाधारी की संक्षिप्त बेदखली की जा सकेगी।

(7) यदि स्थौरा का भंडार इन नियमों के अधीन पट्टे पर न दिये गये क्षेत्र में किया जाता है तो पट्टाधारी से भंडारकरण की तारीख से उन नियमों के अधीन ऐसे भंडार के नियमित किये जाने या खाली किये जाने की तारीख तक की अवधि के लिये, विनिर्दिष्ट भाटक से दूना भाटक प्रभारित किया जायेगा।

(8) यदि इन नियमों के अधीन किये गये पट्टे की आगे की अवधि के लिये मंजूरी किये जाने की अपेक्षा हो तो एक नया आवेदन, उक्त पट्टे की अवधि के अवसान के एक मास पूर्व मुख्य इंजीनियर और प्रशासक को दिया जायेगा।

अनुसूची

[नियम 2(3) देखें]

विशिष्टियां	यूनिट	भाटक
(1)	(2)	(3)
उतराई स्थान		
	वर्ग मीटर	
(1) ढका हुआ स्थान	10	50 रु० प्रति मास या 25 रु० प्रति अर्धमास
(2) स्टोरा के भंडारकरण के लिये लिये खुला स्थान	100	50 रु० प्रति मास या 25 रु० प्रति अर्धमास
(3) 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिये पट्टे पर वाणिज्यिक भवन/भांडागार के संनिर्माण के लिये खुला स्थान	100	5 रु० प्रति मास

टिप्पण: (क) मास की गणना कलेण्डर मास के रूप में की जायेगी। एक से पन्द्रह और सोलह से कलेण्डर मास के अन्त तक की अवधि को अर्धमास के रूप में माना जायेगा।

(ख) मद (1) और (2) के अधीन एक वर्ष से अधिक से पट्टे के लिये ऊपर वर्णित दर पर दश प्रतिशत छूट दी जायेगी।

[फा० सं० पी० जी० एल०-25/76]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 22nd January, 1977

PORTS

G.S.R. 195.—The following draft of the Port of New Tuticorin (Regulation of the Use of Landing Places) Rules, 1976, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (jj) of sub-section (1) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), is hereby is published as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period of sixty days will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Major Port of New Tuticorin (Regulation of the Use of Landing Places) Rules, 1976.

2. Procedure governing lease of landing places or other property.—(1) The leases for the use of landing places or other property specified in clause (jj) of sub-ection (1) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) (hereinafter referred to as the other property), for periods not exceeding one year at a time shall be covered by permits to be issued by the Chief Engineer and Administrator of the Port of New Tuticorin (hereinafter referred to as the Chief Engineer and Administrator), whereas leases of such property for periods of more than one year shall be covered by the lease deeds.

(2) Application for the leases of landing places or other property shall be made in writing to the Chief Engineer and Administrator and no goods shall be stored in any such place in the absence of such permission.

(3) The rents as per the scale specified in the Schedule hereto annexed shall be chargeable for the use of the said property leased.

(4) The rent shall be payable in the manner specified in the permit or the lease deed, as the case may be, and failure to pay the rent in the matter so specified may, after giving a reasonable opportunity of being heard to the person concerned, result in the cancellation of the lease and the levy of penal rent which shall be specified in the said permit or the lease deed.

(5) Goods stored in the landing places or other property shall remain at the owner's risk and the Chief Engineer and Administrator shall have no responsibility or liability for any pilferage, theft, damage or loss thereof.

(6) It shall not be permissible to sub-let the said landing places or property leased without the previous permission in writing of the Chief Engineer and Administrator and any contravention of this rule may, after giving a reasonable opportunity of being heard to the person concerned, entail the cancellation of the lease and summary eviction of the lessee from the leased premises.

(7) If cargoes are stored in areas not leased under these rules, double the specified rent shall be charged from the lessee for the period from the date of storage till such storage is regularised under the provisions of these rules, or vacated.

(8) If the renewal of the lease entered into under these rules is required for a further period, a fresh application shall, one month before the expiry of the period of the said lease, be made to the Chief Engineer and Administrator.

SCHEDULE

[See rule 2(3)]

Particulars	Unit	Rent
1	2	3
Landing Places :		
(1) Covered space	10 sq. m.	Rs. 50/- per month or Rs. 25/- per half month.
(2) Open space for storage of cargo	100 sq. m.	Rs. 50/- per month or Rs. 25/- per half month.
(3) Open space for constructing commercial buildings/ warehouse on lease for a period longer than 10 years.	100 sq.m.	Rs. 5/- per month.

Note :—(a) The month shall be reckoned as the calendar month. The periods from 1st to 15th and from 16th to the end of the calendar month will be treated as half month.

(b) For leases of more than one year under items (1) and (2) a rebate of 10% on the rates mentioned above shall be allowed.

[F. No. PGL-25/76]

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1977

सा० का० नि० 196.—तूतीकोरिन महापत्तन (बन्दरगाह यान) नियम, 1976 का प्रारूप, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 917, तारीख 15 मई, 1976 के अन्तर्गत, भारत के राजपत्र, भाग 2, उपखंड (1), तारीख 26 जून, 1976 में पृष्ठ 1748 से 1753 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें, राजपत्र में उस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति तक, उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी;

और उक्त राजपत्र 6 जुलाई, 1976 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था, और जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तूतीकोरिन महापत्तन (बन्दरगाह यान) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये तूतीकोरिन महापत्तन को लागू होंगे ।

2. परिभाषायें.—इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "उप-संरक्षक" से पत्तन का उप-संरक्षक अभिप्रेत है;

(ख) "प्रारूप" से इन नियमों से संलग्न न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "बन्दरगाह यान" से ऐसा कैटामरान जो भाड़े या किसी फ्लैट या स्थोरा, यात्रियों के लिये चल रहा हो या अन्य नाव जो, चाहे भाड़े के लिये चल रही हो या नहीं और चाहे विद्युत्-चालित हो या नहीं और जो चाहे नियमित रूप से या केवल यदाकदा चल रही हो या भागतः पत्तन के भीतर और भागतः पत्तन के बाहर चल रही हो, अभिप्रेत है;

(घ) "आन्तरिक बन्दरगाह" से पत्तन के जल-क्षेत्र का वह भाग अभिप्रेत है जो बेसलाईन के पूर्व में पड़ता है (दक्षिण उत्तरी-सड़क) और जिसकी बियरिंग 205° पर हो और इसमें दो प्रवेश द्वारों के पश्चिम में तथा तरंग-रोध से घरे गये, खरादन बेसिन, पूर्वी डाक भुजा, तेल जेट्टी और भविष्य में होने वाली अर्थ, डाक भी है जिसका निकर्षण और विकास समय-समय पर किया गया हो;

(ङ) "अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान" से इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान अभिप्रेत है;

(च) "मोटर बोट" से ऐसा शक्ति चालित बन्दरगाह यान अभिप्रेत है जो पूर्णतः या भागतः वाष्प से भिन्न विद्युत् या यांत्रिक शक्ति के किसी रूप में नोदित हो रहा हो;

(छ) "बाहरी बन्दरगाह" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो घेरी गई तरंग रोधों के बाहर तथा दो तरंग रोध द्वारों को जोड़ने वाली रेखा के पूर्व में है तथा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 11 जुलाई, 1974 में प्रकाशित, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 304 (असा०) में यथा-परिभाषित समस्त पत्तन-सीमाओं तक फैला हुआ है;

(ज) बन्दरगाह यान के सम्बन्ध में प्रयुक्त "स्वामी" से भागिक स्वामी, अभिकर्ता या सकब्जा बन्दरगाह भी है;

(झ) "पत्तन" से तूतीकोरिन महापत्तन अभिप्रेत है;

(ञ) "सड़क" से पत्तन का वह भाग अभिप्रेत है जो घेरी गई तरंग-रोधों के बाहर और भौमांकित जल-सरणी के पार, किन्तु पत्तन-सीमा के भीतर पड़ता है;

(ट) स्वामी के सम्बन्ध में "विवेक" से टिण्डल या कोई नाविक भी है;

(ठ) "वाष्प नौका" से ऐसे बन्दरगाह यान अभिप्रेत है जो पूर्णतः या भागतः वाष्प शक्ति से नोदित हो;

(ड) "टिण्डल" से ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी बन्दरगाह यान का भारसाधक हो।

3. बन्दरगाह यान का अनुज्ञप्ति के बिना न चलना.—(क) कोई भी व्यक्ति, चाहे स्वामी के रूप में या सेवक के रूप में, पत्तन की सीमा के भीतर पत्तन के किसी जलयान तक या जलयान से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक या माल या यात्रियों के ले जाने के लिये किसी बन्दरगाह यान का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण का अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा अनुदत्त प्ररूप क में अनुज्ञप्ति न हो और जब तक इस प्रकार प्रयुक्त बन्दरगाह यान का रजिस्ट्रीकरण न कर लिया गया हो । रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिये बन्दरगाह यान का स्वामी उसे ऐसे स्थान में पहुंचायेगा जिसे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अनुज्ञापन अधिकारी नियत करे।

(ख) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त किए जाने वाले किसी अन्य यान के स्वामी को, अपनी नौकाओं के रजिस्ट्रीकृत और अनुज्ञप्त होने से पूर्व सीमाशुल्क विभाग से "निरापत्ति" प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना चाहिए।

(2) इन नियमों की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,

(i) ऐसे यान जो किसी पोत या स्टीमर के उपस्कर के भाग के रूप में हैं, या

(ii) ऐसे बन्दरगाह यान जिसे एकमात्र रूप से आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिये रखा गया हो, और

(iii) ऐसे यान जो सरकार या पत्तन की सेवा में हैं।

4. बन्दरगाह यान का अनुज्ञापन.—(1) नियम 3 के अधीन किसी बन्दरगाह यान के अनुज्ञापन के लिये प्रत्येक आवेदन लिखित रूप में उप-संरक्षक को किया जायेगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात्:—

(क) स्वामी का नाम और उसका पूरा पता और यदि स्वामी अवयस्क हो तो इसमें उसके संरक्षक का नाम पता होगा,

(ख) अपनी ओर से कार्य करने के लिये स्वामी द्वारा सम्यकतः प्राधिकृत अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम और पता,

(ग) उस टिण्डल का नाम जिसको स्वामी बन्दरगाह यान के भार-साधक के रूप में रखने की प्रस्थापना करता है,

(घ) अपेक्षित अनुज्ञप्ति की प्रकृति, अर्थात् क्या इसकी अपेक्षा किसी यात्री नौका के लिये या किसी स्थोरा नौका के लिये या किसी अन्य प्रयोजन के लिये है, और

(ङ) बन्दरगाह यान के माप सकल टन भार और अन्य सुसंगत विशिष्टियां ।

(2) उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन प्राप्त करने पर उप-संरक्षक, स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा इस प्रयोजन के लिये सम्यकतः नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति की उपस्थिति में सर्वेक्षण या माप करेगा या करवायेगा और यह समाधान कर लेने पर कि बन्दरगाह यान समुद्र में चलने योग्य है और पत्तन में सेवा के लिए ठीक है या

ऐसे अधिकारी से जिसने निम्नलिखित प्रमाणित करते हुए बन्दरगाह यान का सर्वेक्षण किया है, लिखित रूप में प्रमाणपत्र के पेश किये जाने पर—

(क) ऐसे बन्दरगाह यान समुद्र के में जाने योग्य है, भलीभांति लेस है और उस प्रयोजन के लिये ठीक है जिसके लिये अनुज्ञप्ति की अपेक्षा की गई है,

(ख) यात्रियों की वह संख्या जिसे ऐसा बन्दरगाह यान सभी दशाओं में ले जाने में समर्थ है,

(ग) ऐसे बन्दरगाह यान के सुरक्षित नौ परिवहन के लिये अपेक्षित कर्मीदल की संख्या,

(घ) कि ऐसे बन्दरगाह यान का उपस्कर अच्छी दशा में है,

नियम 28 में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर प्ररूप क में अनुज्ञप्ति मंजूर करेगा।

(3) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण और माप के प्रयोजनों के लिए स्वामी बन्दरगाह यान को ऐसे स्थान पर पहुंचायेगा जिसे उप-संरक्षक विनिर्दिष्ट करे।

(4) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्ररूप क में सभी अनुज्ञप्तियां 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये जारी की जायेंगी।

5. अवयस्क या भू-स्वामी.—यदि किसी बन्दरगाह यान का स्वामी कोई अवयस्क हो तो अनुज्ञप्ति अवयस्क के संरक्षक द्वारा अभिप्राप्त की जा सकेगी। यदि स्वामी कोई ऐसी स्त्री हो जो देश की प्रथा के अनुसार सर्वसाधारण के सामने उपस्थित नहीं होती है, तो अनुज्ञप्ति उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा अभिप्राप्त की जा सकेगी। ऐसे मामलों में, यथास्थिति, संरक्षक या अभिकर्ता को इन नियमों के अधीन स्वामी समझा जायेगा।

6. अनुज्ञप्ति, नियमों आदि तब पेश किया जाना जब कि उनकी मांग की जाये :—

(1) प्रत्येक बन्दरगाह यान की अनुज्ञप्ति टिण्डल के कब्जे में रहेगी जो अनुज्ञप्ति को तब पेश करेगा जब कभी उप-संरक्षक या इस निमित्त उप-संरक्षक द्वारा सम्यकतः प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उसे ऐसा करने के लिये की जाये।

(2) इन नियमों और उनके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उप-संरक्षक द्वारा जारी किये गये लिखित अनुदेशों की एक प्रति स्वामी द्वारा टिण्डल को दी जायेगी जो मांग किये जाने पर उन्हें ऐसे बन्दरगाह यान को भाड़े पर लेने वाले या परेषक को या यात्री को दिखलायेगा। स्वामी यह सुनिश्चित करने के लिये कि टिण्डल इन नियमों और अनुदेशों को समझता है और उससे इस आशा की घोषणा अभिप्राप्त करने के लिये और जब कभी उप-संरक्षक द्वारा उपेक्षा की जाये तब उसे पेश करने के लिये उत्तरदायी होगा।

7. अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का स्पष्ट रूप से संख्यांकन किया जाना.—(1) अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का स्वामी ऐसे बन्दरगाह यान के एक ओर और दूसरी ओर के चौथाई भाग पर कम से कम छह इंच की लम्बाई में काली पृष्ठभूमि में सफेद रंग से या हल्की पृष्ठभूमि में काले रंग के अंकों में बन्दरगाह यान की वह संख्या जो कि अनुज्ञप्ति में उल्लिखित है, रंग चित्रित करेगा या करवायेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति नियम 4 के अधीन सम्यकतः अनुज्ञप्त किसी बन्दरगाह यान पर ऐसी संख्या जो ऊपर कही गई है या अन्य कोई चिन्ह जिससे इस विश्वास को उत्प्रेरित करने की संभावना हो कि ऐसा बन्दरगाह यान इस प्रकार अनुज्ञप्त किया गया है, रंग-चित्रित नहीं करेगा या करवायेगा।

8. अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान के स्वामित्व या नियंत्रण में परिवर्तन.—जब प्ररूप 'क' में अनुज्ञप्ति का कोई धारक किसी बन्दरगाह यान के स्वामित्व को अन्य व्यक्ति को अन्तरित करता है, तो ऐसे अन्तरण की तारीख से छह दिन की समाप्ति पर अनुज्ञप्ति विधिमान्य नहीं रह जायेगी जहां ऐसा धारक बन्दरगाह यान को दूसरे व्यक्ति के पास बन्धक रखता है या उसके नियंत्रण में रखता है, वहां अनुज्ञप्ति ऐसे बन्धक या नियंत्रण में रखने की तारीख से 6 दिन की समाप्ति पर उस दशा में तब तक विधिमान्य नहीं रह जायेगी जब तक कि उप-संरक्षक द्वारा अनुज्ञप्ति पर इस आशय का पृष्ठांकन नहीं किया जाता है कि ऐसे अन्तरण या रखे जाने के होते हुए भी अनुज्ञप्ति विधिमान्य बनी रहेगी।

9. अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान के कर्मीदल या वहन क्षमता में परिवर्तनों की बाबत रिपोर्ट की जानी.—जब कभी रजिस्ट्रीकृत बन्दरगाह यान के सिरांग या टिण्डल को बदला जाता है या ऐसे यान में ऐसा परिवर्तन किया जाता है जिससे उसके लिये मंजूर की गई अनुज्ञप्ति में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों पर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी बदली या परिवर्तन की बाबत स्वामी द्वारा तुरन्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अनुज्ञापन अधिकारी को रिपोर्ट की जायेगी। सिरांग या टिण्डल की बदली या वहन क्षमता के परिवर्तन की दशा में, बन्दरगाह यान तब तक नहीं चलेगा जब तक कि ऐसी रिपोर्ट नहीं दी जाती और सिरांग या टिण्डल की बदली की दशा में जब तक कि नये सिरांग या टिण्डल को भी रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञापन अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया जाता। ऐसी रिपोर्ट पर या यथास्थिति, ऐसी रिपोर्ट और करने पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अनुज्ञापन अधिकारी स्वामी द्वारा धारित मूल अनुज्ञप्ति में संशोधन करेगा और सिरांग या टिण्डल की बदली की दशा में वह नियम 10 के अधीन रखे गये रजिस्टर में भी संशोधन करेगा।

जब कभी टिण्डल या किसी कर्मीदल की बदली होती है तब सम्बद्ध यान के स्वामी को इन नौकाओं में नियोजन की बाबत अपने नामों की रजिस्ट्रीकृत कराने से पूर्व सीमा-शुल्क अधिकारी से 'निरापत्ति' प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करना चाहिये।

बन्दरगाह यान की वहन क्षमता को प्रभावित करने वाले परिवर्तन की दशा में, स्वामी द्वारा धारित मूल अनुज्ञप्ति को रद्द किया जायेगा और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा बन्दरगाह यान के पुनः माप किये जाने के पश्चात् एक नई अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी और बन्दरगाह यान तब तक नहीं चलेगा जब तक ऐसी नई अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाती।

परन्तु यदि उक्त समय जब कि ऐसी बदली या परिवर्तन होता है, बन्दरगाह यान पत्तन से दूर था, तो बदली या परिवर्तन की बाबत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अनुज्ञापन अधिकारी को उसके पत्तन पर वापस आने पर तुरन्त रिपोर्ट की जायेगी।

10. टिण्डलों का रजिस्ट्रीकरण.— (1) नियम 4 के अधीन किसी बन्दरगाह यान के अनुज्ञापन के समय अनुज्ञप्ति में यथा प्रविष्ट टिण्डल का नाम और उसके सम्बन्ध में अन्य विशिष्टियां ऐसे रजिस्टर में प्रविष्ट की जायेंगी जिसे उप-संरक्षक द्वारा प्ररूप 'ख' में रखा जायेगा।

(2) प्रति वर्ष मार्च मास में ऐसी तारीख को, जिसे उप-संरक्षक द्वारा नियत किया जायेगा, प्रत्येक अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का स्वामी उप-संरक्षक के समक्ष, रजिस्टर में प्रविष्टियों की शुद्धता के सत्यापन के लिये बन्दरगाह यान के टिण्डल को पेश करेगा।

परन्तु यदि ऐसा बन्दरगाह यान इस प्रकार नियत तारीख पर पत्तन से दूर है तो स्वामी उसके वापस आने के 24 घण्टे के भीतर टिण्डल को पेश करेगा।

(3) किसी व्यक्ति को किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान के टिण्डल के रूप में उस दशा में नियोजित या नियुक्त नहीं किया जायेगा जब कि वह—

(क) ऐसा प्रमाणिकृत अधिकारी नहीं है जो नियम 29 के अनुसार ऐसे बन्दरगाह यान के मास्टर या इंजीनियर के रूप में अर्हित है,

(ख) उप संरक्षक की राय में ऐसे बन्दरगाह यान के प्रयोग से अनभिज्ञ है या अन्यथा अदक्ष है।

11. अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान और कर्मदिल का वार्षिक और विशेष निरीक्षण :—प्रत्येक स्वामी, अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से तीस दिन पूर्व, बन्दरगाह यान के निरीक्षण और अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन करेगा। प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अधिकारी या अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा ऐसे स्थान और ऐसी तारीख को जो वह उस प्रयोजन के लिये नियत करे, निरीक्षण के लिये अनुज्ञप्ति सहित उसे पेश करे। ऐसी निरीक्षण के अतिरिक्त, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा सम्यकतः प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसे समयों पर जिन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अनुज्ञापन अधिकारी आवश्यक समझे, विशेष या आंशिक निरीक्षण किया जा सकेगा।

इस नियम के अधीन सभी निरीक्षणों के समय, यान में कर्मदिल के सभी सदस्य और उपस्कर होंगे और ऐसे किसी व्यक्ति को जो इन नियमों की अपेक्षा के अनुसार प्रमाणीकृत व्यक्ति नहीं है या जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की राय में बन्दरगाह यान के प्रयोग से अनभिज्ञ है या अदक्ष है टिण्डल या सिराग के रूप में नियोजित या रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा।

इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त सभी यानों के स्वामी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये सीमाशुल्क अधिकारी से "निरापत्ति" प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेंगे।

12. निरीक्षण के लिये अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान की मरम्मत:—(1) प्रत्येक अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का स्वामी उसकी ऐसी मरम्मत करेगा जैसी नियम 11 में निर्दिष्ट अधिकारी उसे दक्ष बनाने के लिये आदेश दे और कोई भी स्वामी या उसका कोई व्यक्ति ऐसे बन्दरगाह यान का तब तक प्रयोग नहीं करेगा या करवायेगा या करने देगा जब तक कि ऐसी मरम्मतें नहीं की जाती हैं, और उप संरक्षक ने उसके प्रयोग के लिये अनुज्ञा नहीं दे दी हो। ऐसी मरम्मतों के प्रयोजन के लिये स्वामी बन्दरगाह यान को अग्रतट में केवल ऐसे स्थान या स्थानों तक कर्षित करायेगा जैसे उप संरक्षक समय-समय पर निदेश दें।

(2) किसी बन्दरगाह यान के बायलर, मशीनरी या हल में सभी बड़ी मरम्मतें उप संरक्षक द्वारा नियुक्त किसी इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन की जायेंगी। ऐसे यान का स्वामी या मास्टर मरम्मतें प्रारम्भ करने से पूर्व, उप संरक्षक को ऐसे इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक की फीस और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिये पर्याप्त राशि का संदाय करेगा।

स्पष्टीकरण:—इस उपनियम के प्रयोजन के लिये, उप संरक्षक यह विनिश्चित करेगा कि क्या किसी विशिष्ट कार्य को बड़ी मरम्मत के रूप में माना जाये या नहीं।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट फीस निम्नलिखित मापमान पर परिकलित की जायेगी, अर्थात्:—

फीसों का मापमान

	रुपये
(1) ऐसे प्रत्येक जलयान के लिये जिसका सकल टनभार 20 मीटरी टन से अधिक नहीं है।	60
(2) ऐसे प्रत्येक जलयान के लिये जिसका सकल टनभार 25 मीटरी टन से अधिक है और 50 टन से अधिक नहीं है।	75
(3) ऐसे प्रत्येक जलयान के लिये जिसका सकल टनभार 50 टन से अधिक है किन्तु 75 टन से अधिक नहीं है	90
(4) ऐसे प्रत्येक जलयान के लिये जिसका सकल टनभार 75 टन से अधिक है किन्तु 100 टन से अधिक नहीं है	105
(5) ऐसे प्रत्येक जलयान के लिये जिसका सकल टनभार 100 टन से अधिक है किन्तु 300 टन से अधिक नहीं है	120
(6) ऐसे प्रत्येक जलयान के लिये जिसका सकल टनभार 300 टन से अधिक है किन्तु 600 टन से अधिक नहीं है	135
(7) ऐसे प्रत्येक जलयान के लिए जिसका सकल टनभार 600 टन से अधिक है किन्तु 900 टन से अधिक नहीं है	150
(8) ऐसे प्रत्येक जलयान के लिये जिसका सकल टनभार 900 टन से अधिक है किन्तु 1200 टन से अधिक नहीं है। . .	180
(9) ऐसे प्रत्येक जलयान के लिये जिसका सकल टनभार 1000 टन से अधिक है . . . 1200 टन से अधिक प्रत्येक 300 टन या उसके भाग के लिये 30 रुपये अतिरिक्त।	180

(4) उपनियम (2) में निर्दिष्ट व्यय इस निमित्त केन्द्रीय सरकार के साधारण या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार अवधारित किये जायेंगे।

13. अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान के कार्य पर नियंत्रण:—(1) स्वामी, प्रत्येक अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान में ऐसे कर्मदिल या उपस्कर की व्यवस्था करेगा जो उपसंरक्षक द्वारा अवधारित किया जाये और अनुज्ञप्ति में प्रविष्ट किये जाये। बन्दरगाह यान का टिण्डल फलक पर अच्छे या प्रक्षुब्ध मौसम में चलने वाले बन्दरगाह यान के अनुसार अच्छे या प्रक्षुब्ध मौसम के लिये विनिर्दिष्ट कर्मदिल की संख्या से अधिक या कम व्यक्तियों को नहीं रखेगा और बन्दरगाह यान के लिये अनुज्ञप्ति में प्रविष्ट संख्या या परिमाण से अधिक संख्या या परिमाण में यात्रियों या माल का वहन नहीं करेगा।

(2) पत्तन के भीतर चलने वाले प्रत्येक अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान, अपने साथ जीवन बोया इतनी संख्या में ले जाएगा जो उप संरक्षक द्वारा युक्तियुक्त समझी जाए और वे उसके द्वारा अनुमोदित टाइप के होंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ऐसा बन्दरगाह यान ऐसा तरणशील साधित्र भी अपने साथ ले जाएगा जो उप संरक्षक द्वारा आवश्यक समझा जाए। बन्दरगाह यान में ले जाए जाने वाले ऐसे सभी बोया या तरणशील साधित्र को उपसंरक्षक के समाधानप्रद रूप में रखा जाएगा जिससे फलक पर व्यक्ति आसानी से उन तक पहुंच जाए।

(3) यात्रियों के वहन के लिए अनुज्ञप्त प्रत्येक बन्दरगाह यान इस प्रकार फिट किया जाएगा कि प्रत्येक यात्री के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो जाए और सायबानों और बगल में मौसमी पर्दे उपलब्ध कराने की वहां व्यवस्था की जाएगी जहां यात्रियों को क्रमशः धूप और मौसम से संरक्षण देना आवश्यक हो।

(4) उपसंरक्षक पत्तन के भीतर चलने वाले और यात्रियों का वहन करने वाले किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान में कर्मदिल की संख्या नियत करने में अपने विवेक का प्रयोग करेगा।

(5) क्या अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का स्वामी यात्रियों की पूरी संख्या वहन करना चाहता है या वह इसके लिए तैयार नहीं है या विहित जीवन रक्षक उपकरणों का वहन करना अभाव्य समझता है, इस संबंध

में उप संरक्षक तदनुकूल यात्रियों की संख्या सीमित कर सकेगा और अनुज्ञप्ति पर उस आशय का पृष्ठांकन कर सकेगा।

14. पत्तन यातायात में बाधा डालना :—(1) किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान में सेवा करने वाला कोई टिण्डल या कर्मीदल का कोई सदस्य ऐसे बन्दरगाह यान या किसी अन्य अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान के लदान, उतराई या सेवा में बाधा या रुकावट नहीं डालेगा या पत्तन में चलने वाले किसी जलयान के लिए बाधा या रुकावट नहीं डालेगा।

(2) कोई भी टिण्डल अपने भारसाधनाधीन किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान को, पत्तन या घाटों या जेट्टियों के प्रवेश पथों में निर्बाध रूप से परिवहन करने में बाधा नहीं डालने देगा।

15 समुद्र में टक्कर निवारण की बाबत उपबन्धों का अनुपालन-वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्र में टक्करों का निवारण) विनियम, 1965 का पालन:—सभी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान, जबकि वे मार्ग में हों, वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्र में टक्करों का निवारण) विनियम, 1965 के उपबन्धों का अनुपालन करेंगे।

16. विधिपूर्ण प्रतिहेतु बिना चलने में इन्कार करना :—(क) यदि नयमित रूप से भाड़े पर चलने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत बन्दरगाह यान का स्वामी भारवाहक टिण्डल सिरांग विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना ऐसे यान को भाड़े पर चलाने से उस समय इन्कार करता है जब कि उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, तो ऐसे बन्दरगाह यान की अनुज्ञप्ति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अनुज्ञापत अधिकारी द्वारा प्रतिसंति की जा सकेगी।

(ख) यदि बन्दरगाह यान को विधि विरुद्ध या अवैध क्रियाकलाप के लिए प्रयुक्त किया गया पाया जाता है तो अनुज्ञप्ति रद्द की जाएगी।

17. रात्रि के समय और खराब मौसम में अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का कार्यकरण—

(क) कोई भी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान—

(i) अपराह्न के 6 बजे और पूर्वाह्न के 6 बजे के बीच के घण्टों में उप संरक्षक की पूर्व अनुज्ञा के बिना बाहरी सड़कों पर नहीं चलेगा,

(ii) बाहरी सड़कों पर नहीं चलेगा जब कि पत्तन के ध्वज दण्ड से खराब मौसम या उच्च ज्वार उपदर्शित करने वाले तूफान की चेतावनी का संकेत संप्रदर्शित किया जाता है

(ख) जब कि खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट संकेत पत्तन ध्वज दण्ड पर फहराया जाता है, तब बाहरी सड़कों पर चलने वाले सभी बन्दरगाह यान तुरन्त आन्तरिक बन्दरगाह को वापस जाएंगे और उप संरक्षक की विशेष अनुज्ञा के बिना बाहरी सड़कों पर तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि संकेत को नीचे नहीं खींचा जाता है।

18. अच्छे और प्रशुद्ध मौसम में अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का अनुज्ञेय लदान :—(1) कोई भी व्यक्ति, यात्रियों या पशुओं या अन्य स्थौरा सहित किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान को उसकी अनुज्ञप्ति के निबन्धनों के उल्लंघन में किराये पर नहीं देगा।

(2) किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का कोई भी टिण्डल तब तक उसमें किसी पशु का लदान नहीं करने देगा जब तक कि ऐसे बन्दरगाह यान में बालू के बैलास्ट या चपटा फर्श बनाने के लिए पर्याप्त घासपात न हो और जब तक कि ऐसी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन न किया गया हो, जो उप संरक्षक द्वारा किसी बन्दरगाह यानों की बाबत अधिरोपित की जाएं।

(3) जहां किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान में पशुओं का वहन किया जाता है, वहां उसमें अन्य स्थौरा या यात्रियों का वहन नहीं किया जाएगा।

(4) केवल यांत्रिक या विद्युत शक्ति से नोदित अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान में यात्रियों और पशुओं से भिन्न स्थौरा का वहन एक ही साथ किया जा सकेगा।

19. अधिक लदान को रोकने के लिये टिण्डल की शक्ति:— जब कभी किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान में यात्रियों की संख्या या स्थौरा की मात्रा अनुज्ञप्ति में प्रविष्ट की गयी संख्या या मात्रा से अधिक हो जाती है तब टिण्डल जलयान से या तट से रवाना होने से पूर्व किसी यात्री से, बन्दरगाह यान छोड़ने की या किसी परेषक परेषिती या सम्बद्ध पोत परिवहन या अवतरण अभिकर्ता से बन्दरगाह यान से पूरे स्थौरा या उसके भाग को हटाने की अपेक्षा करेगा।

20. टिण्डलों द्वारा कतिपय संकेतों पर ध्यान देने की आवश्यकता.—प्रत्येक अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का स्वामी, ऐसे बन्दरगाह यान के टिण्डल को यह अनुदेश देगा कि वह बन्दरगाह यान मास्टर ध्वज पर और ऐसे वर्गाकार नीले ध्वज पर जिसमें आरपार बार-बार समानान्तर लाल धारियां होंगी, और जिसे पत्तन ध्वज दण्ड पर उस दशा में संप्रदर्शित किया जाएगा जब कि उस संरक्षक में नियम 11 के अधीन निरीक्षण करने की इच्छा की हो, तुरन्त ध्यान दे।

21. अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान लंगर डालने वाले या पास आने वाले जलयानों में उनके लंगर डालने से पूर्व बाधा नहीं डालेगा :—कोई भी व्यक्ति जो किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का भारसाधक है या उसका नौपरिवहन कर रहा है, ऐसे बन्दरगाह यान को किसी बन्ध स्थल या चिह्नक बोया से बांधने का प्रयास नहीं करेगा या ऐसे जलयान के लंगर पर पहुंचने या बोया पर बांधे जाने से पूर्व, लंगर या बंध स्थल पर पहुंचने वाले किसी जलयान के साथ साथ उसे नहीं ले जाएगा।

22. मछली पकड़ने की नौकाओं को स्थौरा नौका या जलयान के पार्श्व पर नहीं आने दिया जाएगा.—(1) कोई भी व्यक्ति, जो किसी अनुज्ञप्त स्थौरा नौका का भारसाधक है या उसका नौपरिवहन कर रहा है, उसके दस गज के भीतर उस दशा में मछली पकड़ने वाली नौका को नहीं आने देगा जब कि ऐसी स्थौरा नौका जलयान और तट के बीच में चल रही हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो मछली पकड़ने की नौका का भारसाधक है या उसका नौपरिवहन कर रहा है, उसे उस समय किसी जलयान के पार्श्व में नहीं आने देगा जब कि स्थौरा की उतराई या लदान हो रहा हो।

(3) यदि उप संरक्षक किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान को उपनियम (1) या (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उपसंरक्षक:—

(क) बन्दरगाह यान की बाबत जारी की गयी अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा।

(ख) यह निदेश दे सकेगा कि किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान में दोषी टिण्डल को किसी भी हैसियत में नियोजित नहीं किया जाएगा तथा टिण्डल के रजिस्टर से उसका नाम काट दिया जाएगा।

(4) यदि उपनियम (3) के खण्ड (ख) में दिये गए उप संरक्षक के निदेशों के विरुद्ध कोई स्वामी ऐसे टिण्डल को नियोजित करता है तो उप संरक्षक उक्त स्वामी द्वारा धारित सभी अनुज्ञप्तियों को या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा।

23. यात्रियों और माल की उतराई और लदान पत्तन के भीतर किया जाना :—सभी यात्रियों और माल की उतराई या लदान पत्तन की सीमाओं के भीतर ऐसे स्थानों पर किया जाएगा जिन्हें संरक्षक नियत करे और कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थानों के बाहर यात्रियों या माल का लदान या उतराई तब तक नहीं करेगा जब तक कि पत्तन और पत्तन के सीमा-शुल्क अधिकारियों की मंजूरी पहले ही नहीं ले ली गई हो।

24. बन्दरगाह यान के भाड़े की दरें :—भाड़े पर यात्रियों का वहन करने के लिये अनुज्ञप्त किसी बन्दरगाह यान के स्वामी, टिण्डल या कर्मीदल का कोई सदस्य और ऐसे बन्दरगाह यान के स्वामी द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, किसी यात्री से ऐसे भाड़े प्रभारों की मांग नहीं करेगा जो उन दरों से अधिक हों जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किया गया है और ऐसे बन्दरगाह यान का स्वामी, टिण्डल या कर्मीदल का सदस्य, जलयान और तट के बीच की यात्रा के दौरान या पत्तन के भीतर या बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा के दौरान किसी यात्री से कोई उपदान या उपहार नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा।

25. दोषसिद्ध टिण्डलों आदि के नियोजन पर प्रतिषेध :—यदि किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का टिण्डल या उसका कर्मीदल का कोई सदस्य, इन नियमों के किसी भंग के लिये दोषसिद्ध किया गया हो तो, बन्दरगाह यान का स्वामी उप संरक्षक द्वारा ऐसी अपेक्षा किए जाने पर, ऐसे टिण्डल या कर्मीदल के सदस्य को अपने नियोजन से पदच्युत करेगा।

26. अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण :—यदि उप संरक्षक की राय में, किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान के स्वामी ने इन नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है, तो वह किसी अन्य कार्यवाही पर जो उस उल्लंघन की बाबत ऐसे स्वामी के विरुद्ध की जाए, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे स्वामी द्वारा धारित सभी या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा।

27. उपसंरक्षक के विनिश्चय के विरुद्ध अपील :—इन नियमों के अधीन उप संरक्षक के विनिश्चय के विरुद्ध अपील पत्तन के संरक्षक को की जाएगी। ऐसी अपील उस तारीख से जिसकी उप संरक्षक का विनिश्चय, ऐसे संबद्ध पक्षकार या पक्षकारों को लिखित रूप में संसूचित किया गया है, सात दिन के भीतर लिखित रूप में की जाएगी।

28. फीसें:—बन्दरगाह यान के सर्वेक्षण, अनुज्ञापन, निरीक्षण के लिये निम्नलिखित फीसें उद्ग्रहणीय होंगी :—

की गई सेवा	डोंगियों और शोधनियों से भिन्न नौकाएं	डोंगियां और सांनियां	कैटामरान	शक्ति चालित यान
1	2	3	4	5
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
1. अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना	2.00	1.00	1.00	25.00
2. अनुज्ञप्ति का संशोधन या अन्य व्यक्ति के हक में अनुज्ञप्ति का अन्तरण	1.00	1.00	1.00	1.00
3. जब मूल अनुज्ञप्ति खो गई हो, गलत स्थान पर रखी गई हो, तब अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का मंजूर किया जाना	2.00	1.00	1.00	1.00
4. टिण्डल का रजिस्ट्रीकरण	1.00	1.00	1.00	1.00
5. टिण्डल के रजिस्ट्रीकरण में संशोधन	1.00	1.00	1.00	1.00
6. प्रत्येक सर्वेक्षण और माप के लिए	5.00	2.00	2.00	50.00
7. वार्षिक निरीक्षण	3.00	1.00	1.00	50.00
8. विशेष निरीक्षण	3.00	1.00	1.00	50.00

29. इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त वाष्प नौकाओं और मोटर नौकाओं को लागू होने वाले विशेष उपबन्ध :—(1) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त प्रत्येक वाष्प नौका के फलक पर, जब कि वह भाड़े के लिये या अन्यथा चल रही हो, निम्नलिखित प्रमाणीकृत अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(I) यदि उसमें सौ एन० एच० पी० अन्यून के इंजिन लगे हों,

(क) तो उसके मास्टर के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिये गये प्रथम श्रेणी मास्टर का प्रमाणपत्र या वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) या ऐसे विनियमों जिन्हें केन्द्रीय सरकार उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, के अधीन दिये गये मास्टर का प्रमाणपत्र या मेट प्रवीणता प्रमाणपत्र हो, और

(ख) उसके इंजीनियर के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास उपरोक्त अधिनियमों या विनियमों में से किसी के अधीन दिये गये इंजीनियरी प्रमाणपत्र हों।

(II) यदि उसमें 100 एन० एच० पी० से कम के किन्तु 40 एन० एच० पी० से अन्यून के इंजिन लगे हों, तो

(क) उसके मास्टर के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिये गये द्वितीय श्रेणी मास्टर का प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाणपत्र हों, जिसे खण्ड (I) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट किया गया है, और

(ख) उसके इंजीनियर के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिये गये प्रथम श्रेणी इंजिन चालक प्रमाणपत्र या वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) या ऐसे विनियमों जैसे केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, के अधीन दिये गये इंजन चालक प्रमाणपत्र या ऐसा प्रमाणपत्र हो, जो खण्ड (I) के उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट है।

परन्तु किसी नौका की बाबत उस दशा में यह समझा जाएगा कि उसने इस खण्ड का अनुपालन किया है जब कि उसमें एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास उपखण्ड (क) और उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट दोनों प्रमाणपत्र हों, और

(III) यदि इसमें 40 एन० एच० पी० से कम के इंजिन लगे हों, तो

(क) उसके मास्टर के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिये गये सारंग प्रमाणपत्र या ऐसा अन्य प्रमाणपत्र हो जो खण्ड (II) के उप खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट है, और

(ख) उसके इंजीनियर के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिये गये द्वितीय श्रेणी इंजिन चालक प्रमाणपत्र या ऐसा प्रमाणपत्र हो जो खण्ड (II) के उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट है।

परन्तु किसी नौका की बाबत उस दशा में यह समझा जाएगा कि उसने इस खण्ड का अनुपालन किया है जब कि उसमें एक व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास उपखण्ड (क) और उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट दोनों प्रमाण पत्र हों।

(2) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त प्रत्येक मोटर नौका के फलक पर, जब कि यह भाड़े पर चल रही हो, निम्नलिखित प्रमाणीकृत अधिकारी होगा, अर्थात् :—

(I) यदि उसमें 565 बी० एच० पी० से अन्यून के इंजिन लगे हों, तो

(क) उसके इंजीनियर के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिए गए प्रमाणपत्र या वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) या ऐसे विनियमों जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, के अधीन दिए गए समुद्रगामी मोटर पोत की दशा में प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी इंजीनियरी प्रमाणपत्र हो,

(ख) उसके मास्टर के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिया गया प्रथम श्रेणी मास्टर का प्रमाणपत्र या वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) या ऐसे विनियमों जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, के अधीन दिया गया प्रवीणता प्रमाणपत्र या मेट का प्रवीणता प्रमाणपत्र हो,

(II) यदि उसमें 565 बी० एच० पी० से कम के, किन्तु 226 बी० एच० पी० से अन्यून के इंजिन लगे हो, तो

(क) उसके इंजीनियर के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिए गए प्रथम श्रेणी मोटर इंजिन चालक प्रमाणपत्र या वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) या ऐसे विनियमों जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, के अधीन दिए गए समुद्रगामी मोटर पोत इंजिन चालक प्रमाणपत्र या ऐसा प्रमाणपत्र हो जो खण्ड (II) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट है, और

(ख) यदि इंजिनों का प्रयोग नोदन के लिए किया गया हो, तो उसके मास्टर के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिए गए द्वितीय श्रेणी मास्टर का प्रमाणपत्र या ऐसा अन्य प्रमाणपत्र हो जो खण्ड (I) के उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट है, और

(III) यदि उसमें 226 बी० एच० पी० से कम के इंजिन लगे हों,

(क) तो उसके इंजीनियर के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिए गए द्वितीय श्रेणी मोटर इंजिन चालक प्रमाणपत्र या वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन या ऐसे विनियमों के अधीन जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, दिए गए समुद्रगामी मोटर पोत इंजिन चालक का प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाणपत्र हों जो खण्ड (I) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट है, और

(ख) यदि इंजिनों का प्रयोग नोदन के लिए किया जाता है, तो उसके मास्टर के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिए गए द्वितीय श्रेणी मास्टर का प्रमाणपत्र या ऐसा प्रमाणपत्र हो जो खण्ड (ख) में निर्दिष्ट है, और

(IV) यदि उसमें 226 बी० एच० पी० से अन्यून के इंजिन लगे हों,

(क) तो उसके इंजीनियर के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिया गया द्वितीय श्रेणी मोटर इंजिन चालक का प्रमाणपत्र या ऐसा प्रमाणपत्र हो जो खण्ड (II) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट है, और

(ख) यदि इंजिनों का प्रयोग नोदन के लिए किया जाता है, तो उसके मास्टर के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिए गए सिरांग प्रमाणपत्र या ऐसा प्रमाणपत्र हो जो खण्ड (II) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट है :

परन्तु ऐसी मोटर नौका में, जिसमें 40 बी० एच० पी० से अधिक के इंजिन नहीं लगे हैं, उसके इंजीनियर के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यकतया प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई अनुज्ञापत्र हो :

परन्तु यह और कि ऐसी मोटर नौका में, जिसमें 20 बी० एच० पी० से अधिक के इंजिन न लगे हों और जिसकी लम्बाई माथा के अग्रभाग से उसके पिछले भाग तक माप करने 30 फिट से अधिक न हो, उसके मास्टर के और इंजीनियर के रूप में ऐसा व्यक्ति हो सकेगा जिसके पास उपखण्ड (क) और उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट दोनों प्रमाणपत्र हों :

परन्तु यह और भी कि ऐसी मोटर नौका में, जिसमें 20 बी० एच० पी० से अधिक के इंजिन नहीं लगे हों और जिसकी लम्बाई उपरोक्त रूप में माप करने पर 30 फिट से अधिक न हो तथा जिसका प्रयोग स्वामी या उसके कुटुम्ब या मित्रों द्वारा अनन्यतः व्यक्तिगत आमोद-प्रमोद के लिए किया जाता है, प्रमाणीकृत मास्टर या इंजीनियर का होना आवश्यक नहीं है, किन्तु उसका नौ परिवहन स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा जिसके पास केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यकतया प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया अनुज्ञापत्र हो।

(3) ऐसे व्यक्ति को, जिसने पहली जनवरी, 1976 को दो वर्ष की अवधि तक, पत्तन में चलने वाली वाष्प नौका या मोटर नौका के मास्टर, सिरांग इंजीनियर या इंजिन चालक के रूप में सेवा की हो, किन्तु जिसके पास, यथास्थिति उपखण्ड (1) या उपखण्ड (2) के अधीन अपेक्षित प्रवीणता प्रमाणपत्र न हो, इस आशय का प्रमाणपत्र कि ऐसी वाष्प नौका या मोटर नौका में जब कि वह पत्तन में चल रही थी, सेवा करने के कारण वह, यथास्थिति, मास्टर सिरांग इंजीनियर या इंजिन चालक के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम है, नीचे दी गयी फीस के संदाय करने पर, परीक्षा किए बिना, मास्टर या सिरांग की दशा में उप संरक्षक द्वारा और इंजिन चालक की दशा में, अधीक्षक, यांत्रिक द्वारा दिया जा सकेगा :—

	रु०
प्रथम श्रेणी मास्टर का प्रमाणपत्र . . .	16.00
द्वितीय श्रेणी मास्टर का प्रमाणपत्र . . .	6.00
सिरांग प्रमाणपत्र	4.00
द्वितीय श्रेणी मोटर इंजिन चालक या द्वितीय श्रेणी मोटर इंजिन चालक प्रमाणपत्र	4.00
प्रथम श्रेणी इंजिन चालक या प्रथम श्रेणी मोटर इंजिन चालक प्रमाणपत्र	10.00
इंजीनियर या मोटर इंजीनियर का प्रमाणपत्र . .	12.00

(4) केन्द्रीय सरकार विशेष परिस्थितियों में :—

(क) वाष्प नौकाओं या मोटर नौकाओं के किसी वर्ग को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) की अपेक्षा में छूट दे सकेगी।

(ख) उन अर्हताओं को अधिकथित कर सकेगी जो ऐसी नौकाओं में नियोजन अधिकारियों के लिये अपेक्षित हों।

30. रेल से भरे बक्स और अग्नि शामकों तथा शोरगुल करने वाले इंजिनों पर स्वशामकों की व्यवस्था :—(1) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त प्रत्येक मोटर नौका में बालू के बक्स और अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त क्षमता के अनुमोदित पेटेन्ट अग्नि शामक की व्यवस्था की जाएगी और स्वामी उसे तेल के कचरे से मुक्त रखेगा।

(2) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त सभी मोटर नौकाओं के जबकि वे पत्तन के भीतर चल रहे हों, शोरगुल करने वाले इंजिनों पर वक्र स्वशामक फिट किए जायेंगे।

31. अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का डूबना :—ऐसे अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान का जो पत्तन क्षेत्र के भीतर डूब गया है, स्वामी, ऐसे डूबने के तथ्य और उसके स्थान, जहां कि यह घटना हुई है, की बाबत रिपोर्ट तुरन्त उप-संरक्षक को करेगा।

32 शास्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया :—इन नियमों के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को, जिस पर ऐसी शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव है, सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

प्रपत्र 'क'

[नियम 4(2) देखिये]

अनुज्ञप्ति संख्या :

----------फिट लम्बी--------चौड़ी----------गहरी माप वाली नौका के, जिसके रजिस्ट्रीकृत टन-------है, स्वामी को----------(पशुओं से भिन्न) और/या यात्रियों/पशुओं को नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तूतीकोरिन महा पत्तन (बन्दरगाह यान) नियम, 1976 में अधिकथित निर्बन्धनों के अधीन और शास्तियों के अधीन रहते हुए, तूतीकोरिन महा पत्तन पर या वहां से दूर पोतों तक या पोतों से वहन करने के लिये की गई अनुज्ञप्ति।

रजिस्ट्रीकरण की तारीख	बन्दरगाह यान का नाम संख्या और विवरण	रंग और उपस्कर	कब और कहां बना	पिछली बार कब और कैसी दशा में मरम्मत हुई	यात्रियों रहित स्थोरा पशुओं की संख्या और अनुमानित भार	पशुओं से भिन्न स्थोरा	यात्रियों की सं० जिसमें स्थोरा नहीं है	कर्मीदल की संख्या	नौका के स्वामी और स्वामियों की बाबत विशिष्टियां		नौका के टिण्डल की बाबत विशिष्टियां		अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रवृत्त रहेगी	टिप्पणियां
									नाम	उपजीविका निवास स्थान	नाम	निवास स्थान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					अच्छे मौसम में प्रक्षुब्ध मौसम में	अच्छे मौसम में प्रक्षुब्ध मौसम में	अच्छे मौसम में प्रक्षुब्ध मौसम में	अच्छे मौसम में टिण्डल लश्कर प्रक्षुब्ध मौसम में टिण्डल लश्कर						

तारीख :

टिप्पण : 12 वर्ष की आयु से कम के दो बच्चे = 1 वयस्क

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/अनुज्ञापन अधिकारी

यथोक्त

यथोक्त

यथोक्त

यथोक्त

यथोक्त

यथोक्त

यथोक्त

यथोक्त

यथोक्त

यथोक्त

-------तक विस्तारित

टिण्डल की बदली के लिये पृष्ठांकन

प्ररूप 'ख'

[नियम 10 देखिए]

1976 के वर्ष के लिये तूतीकोरिन महा पत्तन में नियोजित टिण्डलों के नाम, आयु, निवास स्थान और हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान दर्शित करने वाला रजिस्टर

क्रम सं०	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	बन्दरगाह की संख्या	यान का नाम	आयु			निवास स्थान	हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (निरक्षर की दशा में)	टिप्पणियां
				वर्ष	मास	दिन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[फा० सं० पी० जी० एल०-90/75]

एम० आर० गढ़वाल, अवर सचिव

New Delhi, the 24th January, 1977

G.S.R. 196.—Whereas draft of the Major Port of Tuticorin (Harbour Craft) Rules, 1976, was published as required by sub-section (2) of section 6 of the Indian Port Act, 1908 (15 of 1908) at pages 1748 to 1753 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 26th June, 1976, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. G.S.R. 917, dated the 15th May, 1976, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of sixty days from the date of publication of that notification in the official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 6th July, 1976;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Major Port of Tuticorin (Harbour Craft) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

(3) They shall apply to the Major Port of Tuticorin.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Deputy Conservator" means the Deputy Conservator of the Port ;

(b) "Form" means a form appended to these rules ;

(c) "harbour craft" means any catamaran plying for hire or any flat or cargo passenger or other boat plying whether for hire or not and whether power driven or not and whether plying regularly or only occasionally, or partly within and partly without the port ;

(d) "Inner Harbour" means that part of the Port's water area which lies east of the base line (south north road) having a bearing of 205° and includes the turning basin, eastern dock arm, oil jetty and any future berths docks dredged and developed from time to time, west of the two entrance heads and enclosed by the breakwaters.

(e) "licenced harbour craft" means any harbour craft licensed under these rules ;

(f) "Motor boat" means any power-driven harbour craft propelled wholly or in part by any form of electrical or mechanical power other than steam ;

(g) "Outer Harbour" means the area outside the enclosed breakwaters and east of a line joining the two breakwater heads and covering the entire port limits as defined in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. GSR-304(E) published in the Gazette of India, extra-ordinary Part II-Section 3-Sub-section (i), dated the 11th July, 1974;

(h) "owner" used in relation to a harbour craft includes any part owner, agent or mortgage in possession thereof ;

(i) "Port" means the major Port of Tuticorin ;

(j) "Roads" means that part of the port which lies outside the enclosed breakwaters and outside the demarcated channel, but within the port limit ;

(k) "servant" used in relation to owner includes the tindal or any boatmen ;

(l) "Steam-boat" means any harbour craft propelled wholly or in part by steam power ;

(m) "tindal" includes any person in charge of a harbour craft.

3. Harbour craft, not to ply without a licence :

(a) No person shall, whether as owner or as servant, use any harbour craft to carry goods or passengers to or from any vessel at the port or from place to place within the limits of the port unless such persons holds a licence in form 'A' granted by the Registering or Licensing officer and unless the harbour craft so used has been registered. For purpose of registration the owner of a harbour craft shall cause it to be brought to such place as the Registering Officer or Licensing Officer may appoint.

(b) The owner of any new craft to be licensed under these rules should obtain a 'No Objection' certificate from the Customs before their boats are registered and licensed.

2. Nothing in this rule shall apply,—

(i) to crafts forming part of the equipment of ship or steamer or

(ii) to harbour craft maintained solely for purposes of pleasure and

(iii) crafts in the service of Government or the port.

4. Licensing of harbour craft.—(1) Every application for the licensing of a harbour craft under rule 3 shall be made to the Deputy Conservator in writing and shall contain the following particulars, namely :—

(a) the owners' name and address in full and if the owner is a minor it shall contain the name and address of his guardian ;

(b) the name and address of the agent, if any, duly authorised by the owner to act on his behalf ;

(c) the name of the tindal whom the owner proposes to place him in charge of the harbour craft ;

(d) the nature of the licence required, that is to say, whether it is required for a passenger boat or for a cargo boat, or for any other purposes ; and

(e) the details of the harbour craft in respect of its measurements, gross tonnage and other relevant particulars.

(2) On receiving an application for licence under sub-rule (1), the Deputy Conservator shall survey and measure the harbour craft, or cause it to be surveyed and measured in the presence of the owner or any person duly appointed for the purposes by such owner, and on being satisfied that the harbour craft is seaworthy and fit for service at the port, or upon the production of a certificate in writing from the officer who surveyed the harbour craft certifying—

(a) that such harbour craft is seaworthy, properly equipped and suited for the purpose for which the licence is required ;

(b) the number of passenger that such harbour craft is capable of carrying under all conditions ;

(c) the number of crew required for the safe navigation of such harbour craft ;

(d) that the equipment of such harbour craft is in good order and condition,

grant a licence in Form A on payment of the fees specified in rule 28.

(3) For the purpose of survey and measurement specified in sub-rule (2), the owner shall cause the harbour craft to be brought to such place as the Deputy Conservator may specify.

(4) Subject to the provisions of these rules, all licences in Form A shall be issued for the financial year ending on the 31st March.

5. Minor or Female Owners.—If the owner of a harbour craft is a minor, the licence may be obtained by the guardian of the minor. If the owner is a woman, who according to the customs of the country does not appear in public, the licence may be obtained on her behalf by her duly authorised agent. In such cases the guardian or the agent as the case may be shall be deemed to be the owner for the purposes of these rules.

6. Licence, Rules, etc to be produced when demanded.—(1) The licence of every harbour craft shall be kept in the possession of the tindal who shall produce the licence whenever called upon to do so by the Deputy Conservator by any person duly authorised by the Deputy Conservator in that behalf.

(2) A copy of these rules and of any written directions issued by the Deputy Conservator in respect of their implementation shall also be furnished by the owner to the tindal who shall on demand, show them to any hirer or consignor of, or passenger in, such harbour craft. The owner shall be responsible for ensuring that the tindal understands the provisions of these rules and directions and for obtaining a declaration from him to that effect and producing the same whenever required by the Deputy Conservator.

7. Distinctive Numbering of Licensed Harbour Craft.—(1) The owner of licensed harbour craft shall paint or cause to be painted upon a black back-ground in white or upon a light back-ground in black figures not less than six inches in length, on a conspicuous part of the bow of such harbour craft on one side, and on the quarter of the other, the number of the harbour craft as mentioned in the licence.

(2) No person shall paint or cause to be painted upon any harbour craft not duly licensed under rule 4, any such number as aforesaid or any other mark likely to induce the belief that such harbour craft has been so licensed.

8. Change of Ownership or Control of Licensed Harbour Craft.—When the holder of a licence in Form A transfer the ownership of the harbour craft to another person, the licence shall cease to be valid on the expiry of six days from the date of such transfer. Where such holder mortgages the harbour craft to, or places it under the control of another persons, the licence shall cease to be valid on the expiry of six days from the date of such mortgage or placing unless an endorsement on the licence is made by the Deputy Conservator to the effect that not withstanding such transfer or placing, the licence shall continue to be valid.

9. Changes in Crew of Carrying Capacity of Licensed Harbour Craft to be reported.—Whenever the Syrang or Tindal of any registered harbour craft is changed or any alteration in such craft is made so as to affect any of the particulars contained in the licence granted for it, such change or alteration shall be forthwith reported by its owner to the Registering Officer or Licensing Officer. In case of change of Syrang or Tindal or of any alteration in the carrying capacity, the harbour craft shall not ply until such report is made and in case of change of Syrang or Trindal until the new Syrang or Tindal has also been produced before the Registering or Licensing Officer. On such report or on such report and production, as the case may be, the Registering officer or Licensing officer shall amend the original licence held by the owner and in case of change of Syrang or Tindal, also the register kept under rule 10.

Whenever there is change of Tindal or any other crew, the owners, of the craft concerned should obtain a 'No Objection' certificate from the Customs before their names are registered for employment in these boats.

In case of alteration in the harbour craft affecting its carrying capacity, the original licence held by the owner shall be cancelled and a fresh licence issued by the Registering Officer or Licensing Officer after the harbour craft been re-measured, and the harbour craft shall not ply until such fresh licence has been issued :

Provided that if any harbour craft was away from the port at the time when such change or alteration takes place, the change or alteration shall be reported to the Registering Officer or Licensing Officer immediately on its return to the port.

10. Registration of Tindals.—(1) At the time of licensing of any harbour craft under rule 4, the name of its tindal as entered in the licence and other particulars relating to him shall be entered in a register which shall be kept by the Deputy Conservator in Form B.

(2) Every year in the month of March on a date to be fixed by the Deputy Conservator the owner of every licensed harbour craft shall produce before the Deputy Conservator the tindal of the harbour craft for verifying the correctness of the entries in the register :

Provided that if such harbour craft is away from the port on the date so fixed, the owner shall produce the tindal within 24 hours after its return.

(3) No person shall be employed or registered as a tindal of a licensed harbour craft if he—

(a) is not a certificated officer qualified to be the master or Engineer of such harbour craft in accordance with rule 29 ;

(b) is in the opinion of the Deputy Conservator unaccustomed to the use of such harbour craft or otherwise inefficient.

11. Annual and Special Inspection of Licensed Harbour Craft and Crew.—Every owner shall, 30 days before the date of expiry of licence, submit an application for the inspection of the Harbour Craft and renewal of licence. Every owner of every registered harbour craft shall be required to produce it together with its licence for inspection by the Registering Officer or Licensing Officer at such place, and on such date as he may appoint for the purpose. In addition to such inspection, special or partial inspections may be held by the Registering Officer or Licensing Officer or by any person duly authorised by him, at such times as the Registering Officer or Licensing Officer may consider necessary.

At all inspections under this rule, the harbour craft shall have its full complement of crew and equipment and no person who is not a certificated person as required by these rules, or who in the opinion of the Registering Officer is unaccustomed to the use of the harbour craft or inefficient shall be employed or registered as a Tindal or Syrang

The owners of all craft licensed under these rules shall obtain a 'No Objection' certificate from the Customs for renewal of licence.

12. Repairs of Licensed Harbour Craft Ordered for Inspection.—(1) The owner of every licensed harbour craft shall execute such repairs thereto as the officer referred to in rule 11 may direct in order to render it efficient, and no owner or any of his persons shall use any such harbour craft or cause or permit it to be used until such repairs have been duly executed and the Deputy Conservator has granted permission for its use. For the purpose of such repairs, the owner shall cause the harbour craft to be hauled up only to such place or places on the fore-shore as the Deputy Conservator may from time to time direct.

(2) All major repairs to the boiler, machinery or hull of a licensed harbour craft shall be carried out under the supervision of an Engineer and Ship Surveyor, appointed by the Deputy Conservator. The master or the owner of such craft shall before the commencement of the repairs, pay to the Deputy Conservator a sum sufficient to cover the fees and other expenses of such Engineer and Ship Surveyor.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, the Deputy Conservator shall decide as to whether a particular work should be regarded as a major repair or not.

(3) The fees referred to in sub-rule (2) shall be calculated on the following scale, namely:—

SCALE OF FEES

(i) For every vessel the gross tonnage of which does not exceed 25 tonnes. 60

(ii) For every vessel the gross tonnage of which exceeds 25 tonnes and does not exceed 50 tons. 75

(iii) For every vessel the gross tonnage to which exceeds 50 but does not exceed 75 tons. 90

(iv) For every vessel the gross tonnage of which exceeds 75 tons but does not exceed 100 tons. 105

(v) For every vessel the gross tonnage of whch exceeds 100 tons but does not exceed 300 tons 120

(vi) For every vessel the gross tonnage of which exceeds 300 tons but does not exceed 600 tons. 135

(vii) For every vessel the gross tonnage of which exceeds 600 tons but does not exceed 900 tons. 150

(viii) For every vessel the gross tonnage of which exceeds 900 tons but does not exceed 1,200 tones. 180

(ix) For every vessel the gross tonnage of which exceeds 1,200 tons. 180

Plus Rs. 130/- for every 300 tons or part thereof in excess of 1,200 tons.

(4) The expenses referred to in sub-rule (2) shall be determined in accordance with the general or specified instructions of the Central Government in this behalf.

13. Control of working of licensed harbour craft :—(1) The owner shall provide every licensed harbour craft with such crew and equipment as may be determined by the Deputy Conservator and entered in the license. The tindal of the harbour craft shall not have on the board more or less than the number of the crew specified in the licence for fine or rough weather according as the harbour craft plies in fine or rough weather and shall not carry passengers or goods in excess of the number of quantity entered in the licence for the harbour craft.

(2) Every licensed harbour craft plying within the port shall carry such number of life-buoys as may be considered reasonable by the Deputy Conservator and of a type approved by him. Every such harbour craft shall carry in addition, such buoyant apparatus as may be considered necessary by the Deputy Conservator. All such buoys and buoyant apparatus carried in the harbour craft shall be stowed to the satisfaction of the Deputy Conservator and so as to be readily accessible to the persons on board.

(3) Every harbour craft licensed for the carriage of passengers shall be so fitted that sufficient sitting space is available for each passenger and ownings and side weather screen shall also be provided, where necessary, to give protection to passengers from sun and weather respectively.

(4) The Deputy Conservator shall exercise his discretion in fixing the number of crew required in a licensed harbour craft plying within the port and carrying passengers.

(5) Whether the owner of a licensed harbour craft does not desire to carry the full complement of passengers, or is not prepared, or considers it impracticable to carry the prescribed life saving appliances, the Deputy Conservator may limit the number of passengers accordingly and endorse the licence to that effect.

14. Obstructing Port Traffic.—(1) No tindal or any member of the crew serving in any licensed harbour craft shall obstruct or hinder the loading, discharging or service of such harbour craft, or of any other licen ed harbour craft, or obstruct or hinder any vessel working in the port.

(2) No tindal shall permit any licensed harbour craft in his charge to obstruct the free navigation of the port or the approaches to wharves or jetties.

15. Compliance with the provisions regarding prevention of collision at sea-observance of the merchant shipping.

(Prevention of collisions at sea) regulations, 1965—All licensed harbour craft, when under way, shall comply with the provisions of the Merchant Shipping (Prevention of Collisions at sea) Regulations, 1965.

16. Refusal to ply without lawful excuse.—(a) If the owner or the Tindal/Syrang in charge of a registered harbour craft plying regularly for hire, without reasonable excuse, refuses to ply such craft for hire when required to do so, the licence of such harbour craft shall be liable to be revoked by the Registering Officer or Licensing Officer.

(b) If the harbour craft is found to be used for unlawful or illegal activities, the licence shall be cancelled.

17. Working of the licensed harbour craft at night and in bad weather—

(a) No licensed harbour craft shall ply in the outer roads—

(i) between the hours of 6 P.M. and 6 A.M. without the previous permission of the Deputy Conservator;

(ii) when a storm warning signal indicating bad or high seas is displayed from the port flagstaff.

(b) When the signal referred to in sub-clause (ii) of clause (a) is hoisted at the port flagstaff, all harbour crafts plying in the outer roads shall return to the inner harbour at once and shall not proceed to the outer roads without the special permission of the Deputy Conservator until the signal is hauled down.

18 Permissible loading of licensed harbour craft in fine and rough weather :—(1) No person shall load a licensed harbour craft with passengers or with animals or other cargo in contravention of the terms of its licence.

(2) No tindal of any licensed harbour craft shall permit any animal to be loaded in it, unless the harbour craft has been provided with sand ballast or straw sufficient to form a flat floor and unless such other requirements as may be imposed by the Deputy Conservator in respect of the harbour crafts, have been complied with.

(3) Where animals are carried in a licensed harbour craft, no other cargo or passenger shall be carried therein.

(4) Passengers and cargo other than animals may be carried at the same time only in a licensed harbour craft propelled by machanical or electrical power.

19. Power of Tindal to Prevent Overloading.—Whenever the number of passengers or the quantity of cargo in a licenced harbour craft exceeds the number of quantity entered in the licence, the tindal shall, before starting from the vessel or from the shore, require any passenger to leave the harbour craft or any consignor, consignee, or shipping or landing agent concerned to remove from the harbour craft the whole or any part of the cargo.

20. Attention to Certain Signals Required of Tindals.—The owner of every licensed harbour craft shall instruct the tindal of such harbour craft to pay immediate attention to the harbour craft master flag, square blue flag with four paralled red barsrunning crosswise which shall be displayed on the port flagstaff when the Deputy Conservator desired to carry out an inspection under rule 11.

21. Licensed Harbour Craft not to Interfere with Mooring or Approaching Vessels Before They Anchor.—No person incharge of or navigating any licenced harbour craft shall attempt to make such harbour craft fast to any mooring or mark buey, or take it along side of a vessel approaching an enchorage or mooring before such vessel has come to anchor or been moored to a buey.

22. Fishing Boats Not to be Alloted Near a Cargo Boat Or Alongside vessel.—(1) No person in charge of or navigating a licensed cargo boat shall allow a fishing boat to be within ten yards of her when such cargo boat is plying between a vessel and the shore.

(2) No person in charge of or navigating a fishing boat shall allow it to go alongside the vessel while discharging or shipping of cargo is proceeding.

(3) If any licensed harbour craft is found by the Deputy Conservator to have contravened the provisions of sub-rule (1) or (2) the Deputy Conservator may—

(a) cancel the licence issued in respect of the harbour craft;

(b) direct that the tindal at fault shall not be employed in any capacity in any licensed harbour craft and that his name shall be removed from the register of tindals;

(4) If any owner employs such tindal contrary to the directions of the Deputy Conservator given under clause (b) of subrule (3) the Deputy Conservator, may cancel all or any of the licences held by the said owner.

23. Landing and Shipping of Passengers and Goods to be Within the Port.—All passengers and goods shall be landed or shipped in such places within the limits of the port as the Conservator may appoint and no person, shall ship or land passengers or goods outside such places unless the sanction of the Port and Officers of customs at the Port has previously been obtained.

24. Rates of Harbour Craft Hire.—No owner, tindal or any member of the crew of a licensed harbour craft licensed to carry passengers for hire and no person deputed by the owner of such harbour craft, shall demand from any passenger hire charges exceeding that sanctioned by the Central Government and no owner, tindal or member of the crew of such harbour craft shall demand or accept any gratuity or present from any passenger during the course of its trip between any vessel and the shore or from place to place whether within or without the port.

25. Prohibition of Employment of Convicted Tindals etc.—If the tindal or any member of the crew of a licensed harbour craft is convicted for a breach of any of the provisions of thes rules, the owner of the harbour craft shall, on being required to do so by the Deputy Conservator, dismiss such tindal or member of the crew from his employment.

26. Revocation of Licences.—If, in the opinion of the Deputy Conservator, the owner of any licensed harbour craft has contravened any of the provisions of these rules, he may, without prejudice to any other action that may be taken against such owner in respect of the contravention, cancel all or any of the licences held by the owner.

27. Appeal from Deputy Conservator's Decision.—An appeal shall lie from any decision of the Deputy Conservator under these rules, to the Conservator of the Port. Such appeal shall be preferred in writing within seven days from the date on which the decision of the Deputy Conservator has been communicated in writing to the party or parties concerned.

28. Fees.—The following fees shall be leviable for survey, licensing, inspection of the harbour crafts :

Service rendered	Boats other than Canoes & Shoedhenies	Canoes & Shoedhenies	Catmarans	Power driven craft
	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
1. Issue of Licence	2.00	1.00	1.00	25.00
2. Amendment of the licence or transfer of licence in favour of another person	1.00	1.00	1.00	1.00
3. Grant of duplicate licence when the original is lost mislaid or rendered illegible	2.00	1.00	1.00	1.00
4. Registration of Tindal	1.00	1.00	1.00	1.00
5. Amendment to registration of Tindal	1.00	1.00	1.00	1.00
6. For each survey and measurement	5.00	2.00	2.00	50.00
7. Annual inspection	3.00	1.00	1.00	50.00
8. Special inspections	3.00	1.00	1.00	50.00

Motor Boats Licensed under these Rules.—(1) Every steam boat licensed under these rules shall while plying for hire or otherwise, have no board the following certificated officers, namely :—

(i) if she has engines of not less than 100 N.H.P.

(a) as her Master, a person possessing a First Class Master's certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or a Master's Certificate or Mate's certificate of Competency granted under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or under such regulations as the Central Government may, from time specify in that behalf; and

(b) as her Engineer a person possessing an Engineer Certificate granted under any of the aforesaid Acts or Regulations :

(ii) if she has engines of less than 100 N.H.P. but not less than 40 N.H.P.

(a) as her Master, a person possessing a Second Class Master's certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or any such certificate as is referred to in sub-clause (a) of clause (i) and

(b) as her Engineer, a person possessing a First Class Engine Driver's Certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or an Engine Driver's Certificate granted under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or under such regulations as the Central Government may, from time to time, specify or any such certificate as is referred to in sub-clause (b) of clause (i).

Provided that a boat shall be deemed to have complied with this clause, if she has a person possessing both Certificates referred to in sub-clause (a) and sub-clause (b) and

(iii) if she has engine of less than 40 N.H.P.

(a) as her Master, a person possessing a serang's Certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or any such certificate as is referred to in sub-clause (a) of clause (ii) and

(b) as her Engineer, a person possessing a Second Class Engine Driver's Certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or any such certificate as is referred to in sub-clause (b) of clause (ii):

Provided that a boat shall be deemed to have complied with this clause if she has a person possessing both the certificates referred to in sub-clause (a) and sub clause (b).

(2) Every motor boat licensed under those rules shall, while plying for hire or otherwise have on board the following certificated officer namely :—

(i) if she has engines of not less than 565 B.H.P.

(a) as her Engineer, a person possessing a Motor Engineer's Certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or a certificate as a First Class or Second Class Engineer of Sea-going motor ship granted under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or under such regulations as the Central Government may from time to time specify in that behalf.

(b) as her Master, a person possessing a First Class Master's Certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or a certificate or Mate's Certificate of competency granted under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or under such regulations as the Central Government may from time to time specify.

(ii) if she has engines of less than 565 B.H.P. but not less than 226 B.H.P.

(a) as her Engineer, a person possessing a First Class Motor Engine Dirver's certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or a certificate of an Engine Driver of a sea-going motor ship granted under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or under such regulations as the Central Government may from time to time specify or any such certificate as is referred to in sub-clause (a) of clause (i) : and

(b) in case the engines are used for propulsion, as her Master, a person possessing a Second Class Master's certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or any such certificate as referred to in sub-clause (b) of clause (i) and

(iii) if she has engines of less than 226 BHP :—

(a) as her Engineer, a person possessing a Second Class Motor Engine Driver's Certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917), or a certificate of an Engine Driver of a Sea-going motor ship granted under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or under such regulations as the Central Government may from time to time specify or any such certificate as is referred to in sub-clause (a) of clause (i) and

(b) in case the engines are used for propulsion, as her Master, a person possessing a Second Class Master's certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or any such certificate as it referred to in sub-clause (b) of clause (i) and

(iv) if she has engines of less than 226 BHP :

(a) as her Engineer, a person possessing a Second Class Motor Engine Driver's certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or any such certificate as is referred to in sub-clause (a) of clause (ii) and

(b) in case the engines are used for propulsion, as her Master, a person possessing a Serang's certificate granted under the Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or any such certificate as referred to in sub-clause (i) clause (ii):

Provided that a motor boat having a engines of not more than 40 B.H.P. may have as her Engineer, a person holding permit granted by the Central Government or by any person duly authorised by the Central Government in this behalf:

Provided further, that a motor boat having engines of not more than 20 B.H.P., the length of which measured from the fore part of the stem to the after part of the stem post does not exceed 30 feet may have as her Master and Engineer a person possessing both the certificates referred to in sub-clause (a) and sub clause (b):

Provided also that a motor boat having engines of not more than 20 B.H.P., the length of which measured as aforesaid does not exceed 30 feet, which is used exclusively for personal recreation by the owner or his family or friends need not carry a certificated Master or Engineer but may be navigated by the owner or any other person possessing a permit granted by the Central Government or by any person duly authorised by the Central Government in this behalf.

(3) Any person who has served as Master, Serang, Engineer or Engine Driver of a steam boat or motor-boat plying in a Port for a period of two years on the 1st January 1976 but is not in possession of the certificate of competency required under sub-rule (1) or sub-rule (2) as the case may be, may be granted, in the case of the Master or Serang by the Deputy Conservator and in the case of Engineer or Engine Driver by the Superintendent, Mechanical, a certificate to the effect that he is, by reason of his having so served, competent to act as Master, Serang, Engineer or Engine Driver as the case may be, on board such steam boat or motor boat while plying in the the Port without examination, on payment of the fees set out below :—

First class Master's Certificate	..	Rs. 16.00
Second Class Master's Certificate	..	Rs. 6.00
Serang's Certificate	..	Rs. 4.00
Second Class Engine Driver's or second class Motor Engine Driver's certificate	..	Rs. 4.00
First Class Engine Driver's/First Class Motor Engine Driver's	..	Rs. 10.00
Engineer's or Motor Engineer's certificate	..	Rs. 12.00

(4) The Central Government may in special circumstances

(a) exempt any class of steam boats or motor boats from the requirement of sub-rule (1) or sub rule (2) as the case may be.

(b) lay down the qualifications required for the officers employed on such boats.

30. Provision of Sand Box and Fire Extinguishers and Silencers on Noisy Engine.—(1) Every motor boat licensed under these rules shall be provided with a sand box and an approved patent fire extinguisher of suitable capacity for extinguishing fire and the owner shall keep it free from oil refuse.

(2) Noisy engines of all motor boats licensed under these rules while plying within the port shall be fitted with efficient silencers.

31. Sinking of License Harbour Craft.—The owner of any licensed harbour craft which has been sunk within the port area shall forthwith report the fact of such sinking and the place where it occurred to the Deputy Conservator.

32. Procedure for imposing penalties.—No order imposing a penalty under these rules shall be made except after giving the person on whom such penalty is proposed to be imposed an opportunity of being heard.

FORM 'A'

[See rule 4 (2)]

Licence No :

Licence granted to.....Owner of boat measuring.....feet long..... feet broad.....feet deep.....registered tons, to carry cargo (other than animals) and/or passengers/animals to the extent specified below, to and from ships at or off the Major Port of Tuticorin under the restrictions and subject to the penalties laid down in the Major Port of Tuticorin (Harbour Craft) Rules, 1976—

Date of Registry	Name, number & description of Harbour Craft	Rig. and equipment	When built and where	When repaired last & in what condition	Cargo without passengers		Number of passengers without cargo
					Number of animals and presumed weight	Weight of cargo other than animals	
1	2	3	4	5	6	7	8
					In fine weather In rough weather	In fine weather In rough weather	In fine weather In rough weather

Number of crew	Particulars respecting the owner of the boat		Particulars respecting tindal of the boat		Period for which the licence is to be in force	Remarks
	Name	Occupation, place or places of residence	Name	Place of residence		
9	10	11	12	13	14	15

In fine weather : Tindal
Lascars
In rough weather : Tindal
Lascar.

Date :
Note : Two children under 12 years of age = 1 adult

Registering Officer/Licensing Officer.

Extended to.....

Ditto
Ditto
Ditto
Ditto
Ditto
Ditto
Ditto
Ditto
Ditto
Ditto

Endorsement for change of Tindal

FORM 'B'

(See rule 10)

Register showing the Names, ages, places of residence and Signature/Thumb impression of Tindals employed in the Major Port of Tuticorin for the year 1976

S.No.	Date of Registry	Number of Harbour craft	Name	Age			Place of residence	Signature/ thumb impression (In case of illiterate)	Remarks
				Years	Months	Days			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[File No. PGL-90/75]

M. R. CATHWAL, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1977

सा०का०नि० 197—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमो को आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1976 कहा जा सकेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में, "पुस्तकाध्यक्ष (वरिष्ठ)" के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 73 के सम्मुख, कालम 12 के अन्तर्गत प्रविष्टियो मे "राज्य या राज्यो के समूह" शीर्ष के अन्तर्गत, मद संख्या 12 के बाद निम्नलिखित मद संख्या अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"13. राजस्थान
14. उत्तर प्रदेश
15 पश्चिम बंगाल"।

[संख्या 1/3/74-बी(ए)]
एम० एल० टण्डन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFOMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 19th January, 1977

G.S.R. 197.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Fourth Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, against serial number 73 relating to the post of "Librarian (Senior)", in the entries in column 12, under the heading "States or Group of States", after item 12, the following items shall be inserted, namely:—

"13. Rajasthan
14. Uttar Pradesh
15. West Bengal"

[No. 1/3/74-B(A)]
M. L. TANDON, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1976

सा० का० नि० 198—केन्द्रीय सरकार, लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 (1961 का 58) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर नियम, 1963 का निम्नलिखित प्रारूप जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (1) में अपेक्षित है, उन सभी व्यक्तियो की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनो की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि मे पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उस पर विचार करेगी।

नियमो का प्रारूप

1. इन नियमों का नाम लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (प्रथम संशोधन) नियम, 1977 है।

2. लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर नियम, 1963 मे,—

(1) नियम 49 मे

(i) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखि उप-नियम रखा जाएगा; अर्थात् :—

"इस अधिनियम के अधीन उत्पाद शुल्क के रूप मे वसूल की गई उपकर की राशि प्राप्ति शीर्षक "038—सघ उत्पाद शुल्क—डी० मान पर उपकर—लौह अयस्क" मे जमा कर दी जाएगी और लौह अयस्क खान उपकर आयुक्त उसके समाधान के लिए उत्तरदायी होंगे तथा इस अधिनियम के अधीन सीमा-शुल्क के रूप मे सीमा-शुल्क विभाग द्वारा वसूल की गई उपकर की राशि प्राप्ति शीर्ष "037—सीमा-शुल्क—निर्यात पर उपकर—लौह अयस्क" मे जमा की जाएगी।

(ii) उप-नियम 2 में खण्ड 'न' निक्षेप और अधिदाय—भाग 2-1 ब्याज रहित निक्षेप (ख) "आरक्षित निधि लौह अयस्क खान श्रम कल्याण निधि" पद के स्थान पर "लौह अयस्क खान श्रम कल्याण निधि" खण्ड ञ मे आरक्षित निधि (ख) मूल्य गौण शीर्ष ब्याज रहित आरक्षित निधि के स्थान पर "829—विकास और कल्याण निधि—खान कल्याण निधि" पद रखा जाएगा।

(iii) उप नियम 3 में "32—प्रकीर्ण सामाजिक और विकास संगठन—श्रम और रोजगार" पद के स्थान पर "087—श्रम और रोजगार—श्रम विधि के अधीन प्राप्ति, लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम/नियम के अधीन प्राप्ति" पद रखा जाएगा।

(2) अनुसूची में "3—औषधालय के लिए औषधियो, शल्य उपस्करो, मरहम पट्टी इत्यादि" शीर्षक के अधीन,—

(i) उप-शीर्ष "क—औषधि" के अधीन के क्रम सख्या और प्रविष्टियों" के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सख्या और प्रविष्टिया रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1 एसिड एसेटिक
2. एसिड बोरिक
3. एसिड कारबोलिक
4 एसिड ऐसिसेलिक
5. आक्सा डिस्टिलाटा
6 एमोनियम कार्बोनेट
7 एस्पिरिन
8. जेन्सिएन वायलेट
9. बैनेडिक्ट्स सोल्यूशन
10 कलामिन प्रिपरेटा
11. इफेड्राइन हाइड्रोक्लोर (1/2 ग्राम टेबलेट)
12. ईथर
13. इक्सट्रैक्ट क्ला० लिक्विड
14. फेरी सुफ टेबलेट्स फिरसोलेट
15. ग्लूकोज पाउडर एण्ड इंजेक्शन
16 ग्लीसेरीन

17 गम अकामिया
18. काओलिन
19. लिक्विड अमोनियम एसीटेट
20. लाइसोल या इटाल या साबलोन
21 मैग० आक्साइड पाउडर या मैग० ट्रिसिलिकेट
22. मैग० सल्फेट
23. मल्टी विटामिन टेबलेट
24 ग्लैक्सेना
25 आयल मेंथ पिप०
26. पालुड्राइन टेबलेट्स
27. फेनोबार्बिटेन टेबलेट्स
28. पोटैशियम ब्रोमाइड
29 पोटै० आयोडाइड
30. पोटै० परमागनेट
31. सोडि० बाइकारबोनेट
32 सोडि० नेलिसिलेट
33. एबैट अरमोन अरोमाल
34. एबैट मैथीलेटेड
35. एबैट रेक्टफाइड
36 सल्फानिलेमाइड या लस्फाडाइनिन
37 सल्फागुआडिन टेबलेट
38 सल्फानिलामाइड पाउडर
39 टेबलेट डिगोजिन/पिल डिजिटालिस को० बी० पी० सी०
40 टिंचर बेलाडोना
41 टिंचर बेनेक्साइज को
42. टिंचर आपि कामफोरेटा
43. टिंचर कार्ड को०
44. टिंचर हेम्मामस
45 टिंचर आयोडिन
46. वासेलाइन
47 जाइन आक्साइड
48 कोरामाइन या निकेथमाइड
49 इमेटाइन हाइड्रोक्लोर (एएमपी 30 मि ग्रा०, 60 मि० ग्रा०)
50. पेरामाइन (हाइड्रोक्लोर या नोवामिन 2% ए० एम० पी०)
51. सीरम टेटानस एन्टी एन्टी टाक्सिल, 1,500 यूनिट्स
52. टेबलेट एट्रापाइन 1/100 ग्राम
53. टेबलेट मोरफिन
54. पेनिसिलिन 1,00,000 यूनिट एम्पलस या 4,00,000 यूनिट एम्पलस
55 स्ट्रेप्टोमाइसिन
56. पी० एस० एस० (पारामिनो सीडेकिकालासाइड) (बड़े औषधालय)
57. इन्जेक्शन एड्रेनालिन हाइड्रोक्लोराइड
58. पोटेशियम साइट्रेट
59. इनसेनिसैनिक एसिड हाइड्राजाइड 100 मिलीग्राम टेबलेट्स
60. डेक्ट्रोन एण्ड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन यू० एस० पी० ट्रान्सफ्यूजन बोतलों में
61. डिस्टिल्ड वाटर एम्पुल्स
62. लिक्विड पैराफिन
63. टेटनस टोक्साइड
64. इंजेक्शन स्पेस्मिनडान
65. इंजेक्शन मेथराजिन
66. इंजेक्शन नवलजिन
67. लेथीड्रान (बड़े औषधालय)
68. इंजेक्शन सेक्विल
69. इंजेक्शन पेथेडाइन मैकस
70. इंजेक्शन फेनेड्रगान
71. इंजेक्शन लार्जास्टाइल
72. इंजेक्शन मेफेन्टाइन सल्फेट
73. इंजेक्शन डेकाड्रान
74. इंजेक्शन एविल
75. इंजेक्शन गार्डिनल सोडियम (बड़े औषधालय)
76 इंजेक्शन कैल्सियम ग्लुकोनेट
77 इंजेक्शन क्लूडेन
78 इंजेक्शन सेरपाजिल
79. इंजेक्शन एमिनोफेलिन 10 मि०
80. इंजेक्शन विटामिन के०
81. इंजेक्शन विटामिन बी० सी० और बी०-12
82. इंजेक्शन बी कामप्लेक्स
83. इंजेक्शन पारालडे हाइट 15 मि० एम्पुल्स
84. टेबलेट
85. लिवर सेट्राक (बड़े औषधालय)
86. इंजेक्शन सोडिलैन्डिड (बड़े औषधालय)
87 इंजेक्शन स्ट्रेप्टोपेनिसिलीन
88. इंजेक्शन लाजिस (बड़े औषधालय)
89. इंजेक्सन प्रोल्यूटानडिपोट (बड़े औषधालय)
90. टेबलेट बी कामप्लेक्स (बड़े औषधालय)
91. टेबलेट कैलिसियम ग्लुकोनेट
92. टेबलेट विटामिन सी (एस्कार्बिक एसिड)
93. टेबलेट इमीड्रेक्स
94. टेबलेट एन्टामिड
95. टेबलेट प्रेडलिमोटोन
96. पिपराजाइन साइट्रेट
97. क्लोराइल केमिकल कैप्सूल 125 और 250 मि० ग्रा०
98. कप्सूल टेरासाइक्लीन एच० सी० 250 मि० ग्रा०
99. टेबलेट एविल
100. टेबलेट मेक्विल (बड़े औषधालय)
101. टेबलेट फिनायलबुटाजोन (बड़े औषधालय)
102. टेबलेट सरपासिल
103. टेबलेट असपापाक्स डिपोट
104. टेबलेट सोरबिट्रेट (बड़े औषधालय)
105. टैरामाइसीन आई लिन्ट
106. सीरप टोलू
107. सीरप वासाका
108. लिक्योरिक लिक्विड एक्सट्रेक्ट
109. मरबोमिन पाउडर
110. अलकोहल (स्प्रिट)
111. टेबलेट एस्पिरिन
112. शार्क लिवर आयल
113. टेबलेट मेथाराजिन (बड़े औषधालय)
114. हाइड्रोजिन पेरोक्साइड (बड़े औषधालय)
115. लोबेलिया टिंचर
116. ओरेंज टिंचर
117. सोडियम साइट्रेट
118. पैरासैरान्टोमाल टेबलेट्स (अल्सर से पीड़ित ऐसे रोगियों के लिए जिनके लिए एस्पिरिन रोकी गई हो) (बड़े औषधालय)
119. परासेन्टोमाल सीरप (बच्चों के लिए) बड़े औषधालय
120. मेक्साफार्म टेबलेट्स इन्ट्रानिवनाल—इन्ट्रोवायाफार्म
121. आक्सीफेनबुटाजान टेबलेट्स (टेस्ट्रिल) बड़े औषधालय
122. एन्टीडायरिया सस्पेंशन (बच्चों के लिए)

123. मल्टीविटामिन ड्राप
124. आई० टी० पी० वाजिनल टेबलेट्स
125. फ्लागेल टेबलेट्स
126. इक्वानिल टेबलेट्स
127. टिंचर जिंजिर्हेस
128 टेबलेट क्लोरोक्विन फास्फेट
129. टेबलेट टेट्राजान

तैयार किए गए मिक्चर की सूची

1. इक्सपेक्टोरेन्ट
2. अल्कालाइन
3. एन्टासिड
4 कार्मिनेटिव
5. एन्टि एस्थामेटिक
6. बिस्मुथ-कोलाइन
7. डायफोरेटिक
8. सोडियम सेलिसीलेट
9. पोटैशियम आयोडाइड
10. पोटेशियम साइट्रेट
11. अल्बा

तैयार किए गए आयन्टमेन्ट

1. इन्ट्राक्विनाल
2. सेलिसिलिक एसिड
3. बोरिक एसिड
4. जाइन आक्साइड

तैयार किए ग लोशन

1. आई ड्राप
2. इयर ड्राप
3. केलमिन लोशन
4. जेन्टिन वोलेट
5. मरकुरोक्रोम
6. लोसल ड्राप्स
7. सिनिमेन्ट टरपेन्टाइन"

(iii) उप-शीर्ष 'ग—चिकित्सीय और शल्य उपस्करों" के अधीन अन्त में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी :—

"63—प्रशीतक 1 1
64—सूक्ष्मदर्शी 1 . . . . . 1"

[फा० संख्या एस० 23012/1/75—एम० आई० बी०]

पी० के० सेन, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 25th January, 1977

G.S.R. 198.—The following draft of certain rules further to amend the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Rules, 1963, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 8 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1961 (58 of 1961), is hereby published, as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken up for consideration on or after the expiry of 45 days of its publication in the Gazette of India.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect of the said draft before the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess (First Amendment) Rules, 1977.

2. In the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Rules, 1963,—(1) in rule 49,—

(i) for sub-rule (1) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"The amount of cess collected as duty of excise under the Act shall be credited to Receipt Head "038-Union Excise Duties-D. cesses on Commodities-Iron Ore" and the Iron Ore Mines Cess Commissioner shall be responsible for reconciliation of the same and the amount of cess collected by the Customs Department as duty of customs under the Act shall be credited to Receipt Head "037-Customs-Cesses on exports-Iron Ore";

(ii) in sub-rule 2, for the expression "Section T-Deposits and Advances-Part II-Deposits not bearing interest (B) Reserve Funds-Iron Ore Mines Labour Welfare Fund," the expression "Iron Ore Mines Labour Welfare Fund" in Section J-Reserve Funds (b), Reserve Funds not bearing interest under the Major Head "829-Development and Welfare Funds-Mines Welfare Funds" shall be substituted.

(iii) in sub-rule 3, for the expression "XXXII-Miscellaneous Social and Developmental Organisation-Labour and Employment", the expression "087-Labour and Employment-Receipts under Labour Laws "Receipts under Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act/Rules" shall be substituted;

(2) in the Schedule, under the heading

"III LIST OF DRUGS, SURGICAL EQUIPMENTS, DRESSINGS, ETC. FOR DISPENSARY",—

(i) for the serial numbers and entries under the sub-heading "A. DRUGS" the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

"1. Acid Acetic.
2. Acid Boric.
3. Acid Carbolic.
4. Acid Salicyclic.
5. Aqua Distillata.
6. Ammon. Carbonate.
7. Aspirin.
8. Gencian Violet.
9. Benedict's solution.
10. Calamin Preparata.
11. Ephedrine Hydrochlor (1/2 gr. tab.)
12. Ether.
13. Extract Clycrr. Liq.
14. Ferri suph tablets-Fersolate.
15. Glucose powder & injection.
16. Glycerine.
17. Gum acacia.
18. Kaolin.
19. Liq. Ammon. Acetatis.
20. Lysol or Dettol or Savlon.
21. Mag. oxide powder or Mag. Trisillicate.
22. Mag. Suplh.
23. Multi vitamin tab.
24. Glaxena.
25. Oil Menth pip.
26. Paludrine tabs.
27. Phenobarbitone tab.
28. Pot. Iodide.
29. Pot. Bromide.
30. Pot. permanganate.
31. Sodi bicarbonate.
32. Sodi salicylate.
33. Spt. ammon. aromat,
34. Spt. methylated.

35. Spt. rectified.
36. Sulphanilamide or sulphadiazine tablets.
37. Sulphaguandine taolet.
38. Sulphanilamide powder.
39. Tab. Digoxin/Pill Digitalis co. B.P.C.
40. Tinct. Belladona.
41. Tinct. Benxoin Co.
42. Tinct. Opii camphorata.
43. Tinct. Card co.
44. Tinct Hyoscyamus.
45. Tinct. Iodine.
46. Vaseline.
47. Zine Oxide.
48. Coramine or Nikethmide.
49. Emetins Hydrochlor (amp. 30mg, 60 mg.)
50. Perocaine (Hyderochlor Or Novocain 2% amp.).
51. Serum Tatanus anti toxin 1,500 units.
52. Tab. Atroppne (1/100 gr.).
53. Tab. Morphine (60 mg.).
54. Penicillin 1,00,000 unit ampoules or 4,00,000 unit amps.
55. Streptomycine. (1 gm amp.).
56. PAS (Paramino cydealicacid (bigger dispensary).
57. Inj. Adrenalin Hydrochloride.
58. Pot. Citrate.
59. Isonicotinic Acid Hydrazide 100 mg. tab.
60. Dextrose and sodium chloride injections U.S.P. in transfusion bottles.
61. Distilled water ampoules.
62. Liquid Parraffin.
63. Tetanus toxoid.
64. Inj. Spasmindon.
65. Inj. Methergin.
66. Inj. Novalgin.
67. Lethidrone (bigger dispensary).
68. Inj. Siquil.
69. Inj. Pethedine Mcl.
70. Inj. Phenergan.
71. Inj. Largactil.
72. Inj. Mephentine sulphate.
73. Inj. Decadron.
74. Inj. Avil.
75. Inj. Gardenal sodium (bigger dispensary).
76. Inj. Calcium gluconate.
77. Inj. Clouden.
78. Inj. Serpasil.
79. Inj. Aminephyllin 10 ml.
80. Inj. Vot. K.
81. Inj. Vit BC &BI2.
82. Inj. B. Complex (bigger dispensary).
83. Inj. Paraldehyde ampoule of 5 ml.
84. Tab.
85. Liver Cetrac (bigger dispensary).
86. Inj. Cedilanid (bigger dispensary).
87. Inj. Streptopeniccillin.
88. Inj. Lasiz (bigger dispensary).
89. Inj. Proluton Depot (bigger dispensary).
90. Tab. B. complex (bigger dispensary).
91. Tao. cal. gluconate.
92. Tab. Vit. C (ascorbic acid).
93. Tab. Esidrex.
94. Tab. Antacid.
95. Tab. Prednisotone.
96. Piperazine citrate.
97. Chloramphenicol cap (125 mg. & 250 mg.).
98. Cap. Tetracycline Hc. 250 mg.
99. Tab. Avil.
100. Tab. Sequill (bigger dispensary).
101. Tab. Phenylbutazone (bigger dispensary).
102. Tab. Serpasil.
103. Tab. Asmapax depot.
104. Tab. Sorbitrate (bigger dispensary).
105. Terramycin eye oint.
106. Syrup Tolu.
107. Syrup Vasaca.
108. Liquoric liquid extract.
109. Merbromin powder.
110. Alcohol (spirit).
111. Tab. Aspirin.
112. Shark liver oil.
113. Tab. Methergin (bigger dispensary).
114. Hydrogen Peroxide (bigger dispensary).
115. Lobelia tincture.
116. Orange tincture.
117. Sodium citrate.
118. Paracetamol tablets (for patients sensitive with ulcer where Asprin is contra-indicated) (bigger dispensary)
119. Paracetamol syrup (for childern) bigger dispensary.
120. Mexaform tablets-Entroquinol-Enteroviaform.
121. Oxyphenbutazone tablets (Tendril) (bigger dispensary).
122. Antidiarrhoea suspension (children).
123. Multivitamin drops (children).
124. I.T P. Vaginal tablets.
125. Flagyl tablets.
126. Equanil Tablets.
127. Tinct. Zingiheres.
128. Tab. Chloroquin Phosphate (Nivaquin).
129. Tab. Hatrazan.

LIST OF PREPARED MIXTURES

1. Expectorant.
2. Alkaline.
3. Antacid.
4. Carminative.
5. Anti-Asthmatic.
6. Bismuth-Kaoline.
7. Diaphorlatic.
8. Sodium Salicylate.
9. Potassium Iodide.
10. Potassium Citrate.
11. Alba.

PREPARED OINTMENTS

1. Enteroquinol.
2. Salicilic Acid.
3. Boric Acid.
4. Zine Oxide.

PREPARED LOTIONS

1. Eye drop.
2. Ear drop.
3. Calamin lotion.
4. Gention violet.
5. Mercurochrome.
6. Nasal drops.
7. Liniment turpentine."

(ii) under the sub-heading "C. MEDICAL AND SURGICAL EQUIPMENTS", the following serial numbers and entries shall be inserted at the end, namely :—

"63—Refrigerator—1 1

64—Microscope—1 1".

F. No. S-23012/1/75-M[V]

P. K. SEN, Under Secy.

सा०का०नि० 199.—संविद श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए नतिपय नियमों का प्रारूप जैसा कि संविद श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 35 की उपधारा (1) में अपेक्षित है, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 498, तारीख 11 मार्च, 1976 द्वारा भारत के तारीख 3 अप्रैल, 1976 के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) के पृष्ठ 986 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 3 अप्रैल, 1976 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविद श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम संविद श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. संविद श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 में,

(i) नियम 25 में, उप-नियम (2) में, खण्ड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(viii) अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे प्रत्येक संविदा-कार्य के प्रारम्भ और समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर इस अधिनियम की धारा 28 के अधीन नियुक्त निरीक्षक को, यथास्थिति ऐसे संविदा-कार्य के प्रारम्भ या समाप्ति की वास्तविक तारीख की सूचना प्रारूप vi-क में देते हुए विवरणी देगा";

(ii) नियम 81 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) प्रत्येक प्रधान नियोजक, प्रत्येक संविदाकार के अधीन प्रत्येक संविदाकार्य के प्रारम्भ और समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर, इस अधिनियम की धारा 28 के अधीन नियुक्त निरीक्षक को, यथास्थिति ऐसे संविदाकार्य के प्रारम्भ या समाप्ति की वास्तविक तारीख की सूचना प्रारूप vi-ख में देते हुए विवरणी देगा";

(iii) प्रारूप-1 में, मद 6 में, उपमद(ग) के पश्चात् निम्नलिखित उप-मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(गग) प्रत्येक संविदाकार के अधीन प्रत्येक संविदा-कार्य के प्रारम्भ की प्राक्कलित तारीख";

(iv) प्रारूप-4 के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्रारूप VI-क

[नियम 25(2) (viii) देखिए]

संविदा-कार्य के/की प्रारम्भ/समाप्ति की सूचना

मैं/हम, श्री/मैसर्स ..... (संविदाकार का नाम और पता) सूचना देता/देते हूं/हैं कि ..... (प्रधान नियोजक का नाम और पता) के स्थापन में संविदा-कार्य ..... (कार्य का नाम), जिसके लिए मुझे/हमें लाइसेंस अधिकारी (मुख्यालय का नाम) द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या ..... तारीख ..... दी गई थी ..... (तारीख) से ..... (तारीख) को, प्रारम्भ/समाप्त हो चुकी है।

संविदाकार (ग) के हस्ताक्षर

सेवा में

निरीक्षक,

.....

.....

प्रारूप VI-ख

[नियम 81(3) देखिए]

संविदाकार्य के/की प्रारम्भ/समाप्ति की सूचना

1. प्रधान नियोजक का नाम और पता .....

2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख .....

3. मैं/हम सूचना देता/देते हूं/है कि (संविदाकार का नाम और पता), जिसकी अनुज्ञप्ति संख्या ..... तारीख ..... है, को दिया गया संविदा-कार्य (कार्य का नाम) ..... (तारीख) से ..... (तारीख) को, प्रारम्भ/समाप्त हो चुका है।

प्रधान नियोजक के हस्ताक्षर

सेवा में

निरीक्षक,

.....

....."

[फा० संख्या एम० 16025(32)/73-एल० डब्ल्यू०]

के० डी० गांधी, अवर सचिव

G.S.R. 199.—Whereas the draft of certain rules further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, were published as required by sub-section (1) of section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) at pages 986-987 of the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (i) dated the 3rd April, 1976, under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. G.S.R. 498, dated the 11th March, 1976 inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the Public on the 3rd April, 1976;

And, whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 35 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, namely :—

1. (1) These rules may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(2. In the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971,

(i) in rule 25, in sub-rule (2), after clause (vii), the following clause shall be inserted namely :—

"(viii) the licences shall, within fifteen days of the commencement and completion of each contract

work submit a return to the Inspector, appointed under section 28 of the Act, intimating the actual date of the commencement or, as the case may be, completion of such contract work in Form VI A";

(ii) in rule 81, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) Every principal employer shall, within fifteen days of the commencement or completion of each contract work under each contractor, submit a return to the Inspector, appointed under section 28 of the Act, intimating the actual dates of the commencement or, as the case may be, completion of such contract work, in Form VI B".

(iii) in Form-I, in item 6, after sub-item (c), the following sub-item shall be inserted, namely:—

"(cc) Estimated date of commencement of each contract work under each contractor";

(iv) after Form VI, the following Forms shall be inserted, namely:—

"FORM VI-A

[See rule 25(2)(viii)]

Notice of commencement/completion of contract work

I/We Shri/M/s. (Name and address of he contractor) hereby intimate that the contract work

(Name of work) in the establishment of (Name and address of principal employer) for which licence No.——— dated———has been issued to me/us by the licencing officer (name of the headquarter), has been commenced/completed with effect from (date)/on (date).

Signature of the Contractor(s)

To

The Inspector

———

———

Form VI-B

[See rule 81(3)]

Notice of commencement/completion of contract work

1. Name of the principal———

Employer and address———

2. No. and date of———

certificate of registration———

3. I/We hereby imtimate that the contract work (Name of work) given to (name and address of the contractor) having licence No.———dated——— has been commenced/completed with effect from (date)/on (date).

Signature of the principal employer

To

The Inspector,

———

———

[F. No. S. 16025(32)/73-LW]

K. G. GANDHI, Under Secy.(I)

राजस्व और बैंकिंग विभाग

राजस्व पक्ष

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1977

औषधि और प्रसाधन निर्मितियां

सा०का०नि० 200—केन्द्रीय सरकार, औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) नियम 1956 के नियम 60 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्थायी समिति के परामर्श से यह घोषणा करती है कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं द्वारा निर्मित उस सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक नई विनिर्मिति को उक्त सारणी के तत्सम्बन्धी स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट निर्मितियों के प्रवर्ग में सम्मिलित कर लिया जाएगा :

सारणी

क्रम संख्या	औषधीय निर्मिति	विनिर्माता का नाम	प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)
1	क्लेरासिल	मैसर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान लिमिटेड मुम्बई	औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) की अनुसूची की मद सं० 1(i) (क) के अधीन आने वाली अनिर्बन्धित औषधीय निर्मिति।
2.	फार्मा कम्पाउण्ड	मैसर्स पी०एण्ड बी० लेबोरेट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, मुम्बई।	औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादशुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) की अनुसूची की मद सं० 1(i) (क) के अधीन आने वाली अनिर्बन्धित औषधीय निर्मिति।

[अधिसूचना सं० 3—फा० सं० 656/33/76-अफीम]

लक्ष्मी चन्द मित्तल, उप-सचिव।

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

New Delhi, the 31st January, 1977

MEDICINAL AND TOILET PREPARATIONS

G.S.R. 200.—In pursuance of Sub-rule (3) of rule 60 of the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Rules, 1956 and on the advice of the Standing Committee, the Central Government hereby declares that each of the new medicinal preparations specified in column (2) of the Table below prepared by the manufacturers specified in column (3) thereof shall be included in the category of preparations specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table :

TABLE

S. No.	Medicinal Preparation	Name of the manufacturer	Category
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	CLEARASIL	M/s. Richardson Hindustan Limited, Bombay.	'Unrestricted' falling under Item No. 1(i) (a) of the Schedule to the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 1955)
2.	PHARMA COMPOUND . .	M/s. P & B Laboratories (P) Ltd. Bombay.	-do-

[Notfn. No. 3—F. No. 656/33/76-OPIUM]

L.C. MITTAL, Deputy Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1977

सा० का० नि०. 201.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय निर्माण संगठन में हिन्दी अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय निर्माण संगठन (हिन्दी अधिकारी) (समूह 'ख') भर्ती नियम, 1977 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
हिन्दी अधिकारी	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) (अलिपिकवर्गीय)	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	चयन	35 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) टिप्पणी : आयुसीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उन से भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहते हैं।) आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी।	आवश्यक : (i) (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की हिन्दी में या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य अर्हता तथा डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या चयनात्मक विषय के रूप में होनी चाहिए। (ख) संस्कृत में पर्याप्त प्रारम्भिक शिक्षा या (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य अर्हता तथा डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी एक चयनात्मक या अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए। (ii) हिन्दी में शब्दावली संबंधी कार्य का और/या अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, का अधिमानत: तकनीकी और वैज्ञानिक साहित्य का पांच वर्ष का अनुभव। (अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं, विशेष रूप से अनुभव सम्बन्धी अर्हताएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में, उन के लिए आरक्षित पदों के लिए, शिथिल की जा सकती हैं) वांछनीय : (i) टिप्पण और प्रारूप सम्बन्धी हिन्दी कक्षाएं या कार्यशिविर आयोजित करने का अनुभव (ii) प्रशासनिक अनुभव। (iii) अन्य आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं। शैक्षिक अर्हताएं : स्तम्भ 11 में 'प्रोन्नति' शीर्ष के अन्तर्गत उपदर्शित सीमा तक।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : हिन्दी अनुवादक (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों के सिवाय) जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात अपनी श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की हो और जिसके पास कम से कम चयनात्मक/अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जो 550–900 रु० वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष सेवा कर चुके हों या समतुल्य या 425–800 रु० वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष सेवा कर चुके हों या समतुल्य, और जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन विहित की गई शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	अध्यक्ष : निदेशक, राष्ट्रीय निर्माण संगठन। सदस्य : (1) उप-सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय। (2) राष्ट्रीय निर्माण संगठन में डिविजन (प्रमंडल) के प्रधान।	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित के अनुसार।

[सं० ए-11013/1/73-पी एस]

मीर नसरुल्लाह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 29th January, 1977

G.S.R. 201.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hindi Officer in the National Buildings Organisation, namely :—

1. Short title and commencement: (i) These rules may be called the National Buildings Organisation (Hindi Officer) (Group 'B') Recruitment Rules, 1977. (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay: The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these rules.

3. Method of recruiment, age limit and other qualifications: The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the schedule aforesaid.

4. Disqualification: No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of theese rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the scheduled castes, the scheduled tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruitments	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Hindi Officer	One	General Central Service Group 'B' (Gazetted Non-Ministerial)	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200	Selection	Not exceeding 35 years. (relaxable for Govt. servants) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) (a) Master's degree of a recognised University or equivalent in Hindi as an elective/compulsory subject at degree level. (b) Adequate grounding in Sanskrit. OR (i) Master's degree of a recognised University or equivalent in Sanskrit with Hindi and English as elective/compulsory subjects at the degree level. (ii) Five years' experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi and vice-versa preferably of technical and scientific literature. (Qualifications relaxable at the descretion of the UPSC in case of candidates otherwise well-qualified; in particular, the qualications regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them). Desirable : (i) Experience of organising Hindi Classes or workshops for noting and drafting. (ii) Administrative experience. (iii) Knowledge of another modern India Language.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances under which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Age: No. Educational Qualifications to the extent indicated in column 11 under the heading 'Promotion'.	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion : Hindi Translator (Except deputationist) with 8 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis, and possessing at least degree of a recognised University or equivalent with English and Hindi as elective/Compulsory Subject. Transfer or deputation : Officers of the Central Govt. holding analogous posts, or with 3 years' service in posts in the scale of Rs. 550-900 or equivalent, or with 8 years' in post in the scale of Rs. 425-800 or equivalent, and possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7 (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Chairman Director, N.B.O Members : 1. Deputy Secretary, Ministry of Works & Housing. 2. Head of the Division in the N.B.O.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulaation, 1958.

[No. A—11013/1/73—PS]
MIR NASRULLAH, Joint Secy.

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1977

सा० का० नि० 202 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अण्डमान और निकोबार प्रशासन के नगर-योजना एकक में सहायक नगरयोजनाकार के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अण्डमान और निकोबार प्रशासन, नगर-योजना एकक, सहायक नगर-योजनाकार भर्ती नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2. से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक नगर-योजनाकार।	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ख राजपत्रित लिपिकवर्गीय।	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०।	लागू नहीं होता।	35 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण :—आयु सीमा के अवधारण की निर्णायक तारीख, भारत में के अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न, जो अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी।	आवश्यक :— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी या वास्तुकला में उपाधि या समतुल्य। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की नगर और ग्राम योजना में स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा या समतुल्य (अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं)। वांछनीय : किसी योजना या वास्तु कार्यालय का अनुभव।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण की जाएगी/किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता।	2 वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : सदृश पद धारण करने वाले केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों के अधीन अधिकारी या ऐसे अधिकारी, जिन्होंने 550-900 रु० के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 3 वर्ष सेवा की है और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए स्तम्भ 7 में विहित अर्हताएं हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती करते समय और किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

[सं० ए०-12033/1/73-यू०डी०III ब०]
के० के० सक्सेना, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th January 1977

G.S.R.202.—In excercise of the powers conferred by the proviso article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Town Planner in the Town Planning unit of the Andaman and Nicobar Administration, namely.—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Andaman and Nicobar Administration, Town Planning Unit, Assistant Town Planner Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall effect the reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No.of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Town Planner	1	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 650-30-740-35-810-EB35-880-40-1000-EB-40-1200.	Not applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable for Govt. Servants) Note 1—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential.— (i) Degree in civil Engineering or Architecture from a recognised University or equivalent. (ii) Post-graduate degree or diploma in Town and Country Planning of a recognised University or equivalent. (Qualifications relaxable at discretion of the Union Public Service Commission is case of candidates otherwise well qualified). Desirable.— Experience in a planning or Architectural office.

Whether age and Educational qualification sprescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If DPC exist what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	By Direct recruitment, failing which by transfer on deputation.	Transfer on deputation.—Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories holding analogous posts or with 3 years service inposts in the scale of Rs.550-900 or equivalent and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column 7. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission will be necessary while making direct recruitment and appointing an officer of a State Government or Union Territory.

[No. A-12033/1/73-UDIIIB]
K. K. SAXENA, Desk Officer.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1977

सीमा-शुल्क

सा०का०नि०203.—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना संख्या 199-सीमाशुल्क (सा०का०नि०सं० 568 (अशा०) तारीख 2 अगस्त, 1976 को विखण्डित करती है।

[सं० 19/का० सं० 552/263/ग्र/76-भू०सी०शु०-I]
एन० कृष्णमूर्ति, अवर सचिव

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

New Delhi, the 12th February, 1977

CUSTOMS

G.S.R. 203.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Department of Revenue and Banking No. 199-Customs [G.S.R. No. 568(E)], dated the 2nd August, 1976.

[No. 19/F. No. 552/263/76-L.C.I.]
N. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1977

सा.का.नि. 204.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 1 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित स्थापनों को जिनमें बीस या अधिक व्यक्ति नियोजित हों, ऐसे स्थापनों के वर्गों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिन्हें उक्त अधिनियम 1977 की 28 फरवरी से लागू होगा।

अनुसूची

1. ऐसे स्थापन जो सरेस और गेलन्टीन के विनिर्माण में लगे कारखाने हैं।

2. स्टोन चिप, स्टोन सेट, स्टोन बोल्डर और रोड़ी पत्थर निकालने वाली पत्थर खदानें।

3. मछली प्रसंस्करण और मांसयुक्त खाद्य परीक्षण उद्योग, जिसमें सूकर-मांस कारखाने और सूकर मांस प्रसंस्करण संयंत्रों में लगे हुए स्थापन भी सम्मिलित हैं।

[सं. एस. 35011(59)/73-पी. एफ-2(1)]
एस. एस. सहस्रनामन, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 31st January, 1977

G.S.R. 204.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby specifies the establishments mentioned in the Schedule hereto annexed and employing twenty or more persons as classes of establishments to which the said Act shall with effect from the 28th January, 1977.

SCHEDULE

1. Establishments which are factories engaged in the manufacture of glue and gelatine.

2. Stone quarries producing stone chips, stone sets, stone boulders and ballasts.

3. Establishments engaged in fish processing and non-vegetable food preservation industry including bacon factories and pork processing plants.

[No. S. 35011(59)/73-PF. II (i)]
S. S. SAHSRANAMAN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1977